Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

मंगलवार, २८ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री अर्जुनदास :

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्थापन

१२३४. श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): No. One, Two, Three, Four (1234)

(हंमी)

Will the Minister for Education be pleased to answer the following: (a) Has the Rao Commission Report about iocation of the Rajasthan Board of Secondary Education been implemented so far ?

(b) If not, why ?

(c) What is the last date by which the report is likely to be implemented ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (a) No.

(b) The matter is under correspondence with the Government of India who has been requested to hand over the building of the Board of Secondary Education to us.

(c) It is expected that this would be possible at an early date.

श्री अर्जुनदास : When it is likely to be implemented ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is expected that this would Le possible at an early date.

श्री अर्जुनदास : By early date, do we understand about five years ?

Page No.2

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Perhaps that is not an early date.

श्री अर्जुनदास : Did the Rao Commission suggest that this should be implemented only after you carry out the correspondence with the Government of India ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Pardon, I could not follow you.

श्री अर्जुनदास : Why not implement immediately instead of waiting for the decision of the Government of India ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Because we have no proper building available in Ajmer and that is why we are trying that we may get the building of the Board and that would be better.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : बिल्डिंग्ज़ की ही दिक्कत है या अन्य कोई दिक्कत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अन्य कोई दिक्कत का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील एवं ग्रामवाइज तकावी वितरण

१२३५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसीलवाइज़, ग्रामवाइज कितनी कितनी तकावी कुए, बैल, मेड, नाडी और ड्रिंकिंग वेल्स के हेतु १९५६-५७-५८ में वितरण कमेटी द्वारा वितरित की गई ?

(ख) उसमें से कितनों को अभी तक तकावी नहीं मिली ? और कितनों को मिल चुकी और क्या जिस कार्य हेतु यह उपरोक्त तकावी दी गई थी वह कार्य संपूर्ण हो चुका है अगर बाकी है, तो क्यों ?

(ग) जो धनराशि वितरित हो चुकी है, उसमें से कितनी कितनी वसूल हो चुकी है, और कितनी कितनी सालवाइज़ बाकी है ? बाकी रहने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (क) सूची सदन की मेज़ पर रख गई है।

(ख) सबको तकावी मंजूर शुदा बांट दी गई है। जिस कार्य के लिये तकावी दी गई वह कार्य सम्पूर्ण हो गया है। केवल तहसील देवली में वर्षा के कारण कार्य पूरा नहीं हुआ है, और निवाई व उनियारा का अभी वेरीफिकेशन नहीं हुआ है।

(ग) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। बाकी रहने का कारण आसामियान का समय पर न मिलना या किस्त का ड्यू न होना है। फिर भी वसूली की, कार्यवाही जारी है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावराजा श्री सरदारसिंह : तकावी

Page No.3

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

समय पर नहीं मिलने के क्या कारण हैं ? क्यों नहीं मिल सकी।

सम्पतराम : मैंने यह कब कहा कि तकाबी समय पर नहीं मिली। मैंने यह कहा है कि तकाबी समय पर बांटी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने जांच किस तरह से कराई कि जिस के लिये तकाबी दी गई उसी काम में ली या नहीं, जैसे बैलों के लिये दी गई या मेड के लिये दी गई या कुओं के लिये दी गई, उसे उसी काम में ली गई।

श्री सम्पतराम : तहसीलदार खास तौर से इसीलिये होते हैं कि वे इस बात की तहकीकात करें कि तकाबी जिस काम के लिये दी जावे उसको देखें। उनके द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने उसी तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह सूचना दी है। मगर एक्चुअली जिस कार्य के लिये रकम दी जाती है उस कार्य के लिये वास्तव में वह रकम खर्च होती है या नहीं, उसकी जांच करने के लिये क्या सरकार ने कभी तहसीलदार के अलावा और भी किसी व्यक्ति के जरिये जांच कराई या नहीं ?

श्री सम्पतराम : ऑर्डिनरी कोर्स में इस प्रकार की जांच तहसीलदार द्वारा होती है। तहसीलदार के अलावा किसी से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता। अगर आपके पास इस प्रकार की शिकायत हो तो सरकार को जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार को इसमें कोई आपत्ति है कि जब एस. डी. ओ. तहसील का दौरा करते हैं तो हर तहसील में जितनी तकाबी वितरण होती है उसमें से किसी केस को टेस्ट केस के रूप में जांच करें।

श्री सम्पतराम : आप जनरल बात कहते हैं। आप स्पेसेफिक बात कहें। यदि किसी केस में मिसयूज हो तो उसकी जांच करा ली जावे लेकिन जनरल बात पर क्या किया जा सकता है ? यदि आपको किसी केस में नाराजगी हो तो आप बतावें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या किसी की नाराजगी से ही उसकी जांच कराई जा सकती है। यह तो नाराजगी का कोई जांच के लिये आधार नहीं होना चाहिये। जांच तो कुछ मुद्दे पर होती है। कोई नाराजगी पर जांच का होना आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नाराजगी आधार है शिकायत का और जांच है आधार शिकायत का। नेक्स्ट।

डोडा पोस्त के लाइसेन्स

१२३६. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या मंत्री, आबकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा डोडा पोस्त के लाइसेन्सों की

Page No.4

(श्री शंकरलाल)

संख्या में वृद्धि नहीं करने की नीति अपनाई गई है ?

(२) क्या यह सही है कि पाली में पहले केवल एक लाइसेन्स था व अब एक और लाइसेन्स दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री, आबकारी विभाग : (श्री सम्पतराम):

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

जनसंख्या को देखते हुए एक और लाइसेन्स दिया गया है।

श्री शंकरलाल : एक तरफ तो सरकार नशा बंदी करना चाहती है और दूसरी तरफ उसका प्रचार करती है ऐसा क्यों ?

श्री सम्पतराम : इससे अफीम का जूस निकाल लिया जाता है। फिर भी यह मामला सरकार के विचारा धीन है कि इस पर लाइसेन्स दिया जावे या नहीं। अब तक जो लाइसेन्स दिये जाते रहे हैं वे जारी हैं।

श्री शंकरलाल : यह बताया गया कि पोपुलेशन को देख कर बढ़ाया जाता है। एक तरफ तो आप अफीम बन्द कर रहे हैं और एक तरफ दुकाने बढ़ा रहे हैं। पहले पाली में दो दूकानें शराब की थीं। अब एक कर दी गई है क्यों ?

श्री सम्पतराम : पाली में एक दुकान की गई है। एक दुकान लेबर कोलोनी के नजदीक थी इसलिये उसको हटा दिया। पोस्त में से ओपियम जूस निकाल दिया जाता है और यह दूसरे काम में आता है और हो सकता है कि इसको नशे के लिये लोग इस्तेमाल में लें। यह मामला सरकार के विचाराधीन है कि इसका लाइसेन्स दिया जावे या नहीं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि ओपियम ड्रिंक पर बैन लगा दिया गया है ?

श्री सम्पतराम : सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सारे मुल्क में फर्स्ट अप्रैल से बन्द किया है। इसलिये बान तो अपने आप हो गया।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्य को अफीम के मिलने में आपत्ति होने लगी है ?

श्री पी. के. चौधरी : In this year's budget the income from opium has been shown as nil, with the understanding that there will bo no growth of opium in this State. Is it correct ?

श्री सम्पतराम : I could not follow your question.

श्री पी० के० चौधरी : इस साल, ओपियम से जो सरकार को इन्कम मिलती थी उसकी आय आपने बजट में निल बताई है। So is it not on the understanding that there will be no production of opium in the State ?

श्री सम्पतराम : ओपियम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा सप्लाई की जाती है। रेस्ट्रिक्टेड-

(श्री सम्पतराम)

सेन्स में मेडिकल पर्पज के लिये सीमित मात्रा में अवश्य बिकती है और उसकी आमदनी स्टेट को होती है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं उत्पादन के लिये पूछ रहा हूं।

श्री सम्पतराम : Rajasthan Government does not control the production of opium.

श्री अध्यक्ष : Next.

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय

१२३७. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १६५८–५६ में प्रत्येक ज़िले में कितनी कितनी धन राशि खर्च की गई ? इसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया) : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १६५८–५६ में प्रत्येक जिले में दिसम्बर सन् १६५८ तक व्यय की गई धन राशि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह जो तालिका आपने दी है वह लैक्स में या या उजेन्ड्स में यह मेन्शन नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह लैक्स में है।

श्री पी० के० चौधरी : यह किस आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स में अलॉटमेन्ट किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह डिस्ट्रिक्टवाइज़ अलॉटमेन्ट नहीं होता, स्कीम वाइज़ अलॉटमेन्ट होता है।

श्री पी० के० चौधरी : क्योंकि हम देखते हैं गंगानगर १. ५५ लाख, कोटा में १. ७८ लाख है और कुछ कुछ जगहों पर ७. ८ लाख अलॉटमेन्ट हुआ है इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जो उत्तर दिया उससे साबित होता है वहां पर चम्बल भाखरा आदि योजनाओं के कारण ज्यादा खर्चा है।

श्री पी० के० चौधरी : भरतपुर में १८ लाख किस आधार पर किया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चूरू ज़िले के अकालग्रस्त गांवों को राहत देने संबन्धी

१२३८. **श्री रावतराम** (चूरू-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) संवत् २०१४ व २०१५ में चूरू ज़िले के अन्तर्गत कितने गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये ? गांवों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ख) उपरोक्त दोनों सालों में फैमिन

Page No.6

(श्री रावतराम)

रिलीफ का कार्य कितने गांवों में चालू किया गया और उन पर कितने रुपये खर्च हुए ? कार्यों की सूची व्यौरेवार दी जाय ।

(ग) अकालग्रस्त गांवों में कितना लगान माफ किया जायगा, और कितना वसूल किया जायगा, क्या इस बात का फैसला सरकार ने कर लिया है यदि हां, तो कितना ?

(घ) कितनी फसल नष्ट होने से अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : सम्वत २०१४ व २०१५ में चुरू ज़िले में ५६६ गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है । सम्वत् २०१५ में गांवों को अकालग्रस्त घोषिति करने के मामले विचाराधीन है ।

(ख) सम्वत् २०१४ (५७-५८) में चुरू ज़िले में खरीफ की फसल नष्ट होने से २० ग्रामों में कार्य चालू किया गया जिसमें २६४४१ रु० ७० न. पै. खर्च हुए। पुनः संवत् २०१५ (५८-५६) में ५२ ग्रामों में कार्य आरम्भ किया गया जिसमें ६६६२१ रु. ७६ न. पै. खर्च किया गया कार्यों को सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । २०१५ में कार्य आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह सही नहीं है ।

(घ) अकाल ग्रस्त गांवों के लगान का २८२२७६. ६० रु० माफ किये जाने का व ५,२५,३६०.६३ रु० वसूल किये जाने की सिफारिश आई है जो कि विचाराधीन है ।

(ङ) साधारणतया ८ आने से या इससे अधिक नुकसान वाले क्षेत्र अकाल ग्रस्त घोषित किये जाते हैं । तहसील वार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री रावतराम : आपने उत्तर में यह २०१४ व १५ में ५६६ गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये और नीचे आप कह रहे हैं २०१५ के गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित करने का मामला विचाराधीन है यह क्या बात है ?

श्री सम्पतराम : अकाल का समय नवम्बर ५७ से सितम्बर ५८ तक का रहा है इसमें दोनों संवत् आ जाते हैं ।

श्री रावतराम : २०१५ के गांव अकाल ग्रस्त कब घोषित किये जायेंगे ?

श्री सम्पतराम : राहत कार्य आदि सब विचाराधीन है ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : संवत् २०१५ में जिन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित करना था उनको घोषित नहीं किया गया इसलिये लगान वसूल कर लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक २०१५ के गांवों का सवाल है इसकी जांच पूरी नहीं हुई । जांच जो की गई उससे यह पता चलता है कि अकाल ग्रस्त घोषित करने लायक रिज़ल्ट नहीं आया है । इसलिये यह कह नहीं सकते कि उनको अकाल ग्रस्त घोषित किया भी जायगा या नहीं ।

श्री रावतराम : २०१५ का लगान फसल पर वसूल नहीं किया गया ?

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी सिफारिश रेमिट करने की गई उतना वसूल नहीं किया गया है इस बारे में जल्दी फैसला कर दिया जायगा ।

श्री भीमसेन : सस्पेन्डेड लगान कहां कहां से वसूल किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहां के लिये पूछ रहे हैं ।

प्रश्न संख्या १२३६

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

जागीरदार बूसी (पाली) द्वारा जाली रेकॉर्ड

१२४०. **श्री मनरूपाराम परिहार** (खारची-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि बूसी गांव ज़िले पाली के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा फर्जी रेकॉर्ड से अधिक मुआवजा उठाने बाबत शिकायत पर जांच की जा चुकी है तथा रेकॉर्ड व क्लेम फर्जी साबित हुआ है ? यदि हां तो क्या सरकार जागीरदार के विरुद्ध जागीर रिज़म्पशन एक्ट की धारा ४१ के तहत कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(२) इस प्रकार के गलत दावे को जांच कर तस्दीक करने वाले अधिकारी व कर्मचारी कौन थे ? उनके क्या नाम हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमन्त्री, राजस्व विभाग : (श्री सम्पतराम): इस जागीरदार द्वारा फर्जी रिकॉर्ड पेश करके अधिक मुआवज़ा प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हुई और इस शिकायत पर विभाग से जांच चल रही। जांच के पूर्ण होने के बाद ही यदि आवश्यकता हुई तो जागीरदार के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

(२) जांच पूरी होने के बाद जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : यह शिकायत कब पेश हुई कितने अर्से से जांच हो रही है ?

श्री सम्पतराम : इसकी निश्चित तारीख तो नहीं है ।

श्री शंकरलाल : एक साल से अधिक अर्सा हो गया डेढ़ दो साल हो गये इस बारे में जांच हुए स्थानीय अधिकारियों ने यह कहा कि रिकॉर्ड फर्जी है । न मालूम मन्त्री महोदय के इस उत्तर की जांच कौन कर रहे हैं, क्या स्टेज है जांच की ?

श्री सम्पतराम : रिकॉर्ड गलत पेश किया गया । कलेक्टर को लिख दिया है कि इसको वेरिफाइ करें यह ठीक है या नहीं ।

श्री शंकरलाल : कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिप्टी कलेक्टर जागीर जांच कर रहे हैं। तहसीलदार ने जांच करके भेजा वह गलत जांच है। इसकी जांच डिप्टी कलेक्टर जागीर कर रहे हैं। अभी तक फाइनल फैसला नहीं किया।

श्री शंकरलाल : तहसीलदार ने जांच करने के बाद क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार की रिपोर्ट को गलत माना गया। उसका वेरीफिकेशन ठीक नहीं माना गया इसकी जांच डिप्टी कलेक्टर जागीर कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : तहसीलदार ने रिपोर्ट किस तारीख को दी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटा डिविजन में पाठ्य पुस्तकों की खरीद की व्यवस्था

१२४१. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा–सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या सन् १९५८ में कक्षा १ से ६ तक की जो पाठ्य पुस्तकें कोटा डिविज़न में बिकने से बच गई उन पुस्तकों को दीमक खा गई है ?

(ख) क्या सरकार छोटे छोटे स्कूलों में अभी तक भी पुस्तकें भेजने में असमर्थ रही है ?

(ग) छोटी कक्षा के बच्चों को पुस्तकें गुम हो जाने या फट जाने के बाद साल के बीच में पुस्तक कहां से खरीदी जा सकती हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि पुस्तकों की कीमत बैंक में जमा कराई जाने पर ही पुस्तकें खरीदी जासकती है ?

उप-मन्त्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जी नहीं।

(ख) छोटे छोटे स्कूलों में भी पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में दी जा चुकी हैं।

(ग) पुस्तकें स्कूल के प्रधानाध्यापक, उस जगह के निरीक्षक या बोर्ड के सेक्रेटरी के कार्यालय से खरीदी जा सकती हैं। स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से भी १५ सितम्बर के बाद से प्राप्त हो रही है।

(घ) जी हां। यह सही है कि पुस्तक विक्रेताओं को नियमानुसार ट्रेजरी में चालान द्वारा रकम जमा कराने पर उन्हें पुस्तकें इस कीमत की दी जाती हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : बच्चों को जो पुस्तकें मिल रही हैं वे दीमक लगी हुई हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के मुकदमों की पैरवी

१२४२. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

Page No.9

(श्री सोहनलाल भटनागर)

क्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के मुकद्दमों की पैरवी मुफ्त में करने बाबत सरकार ने कोई नियम बनाये हैं ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री भीखाभाई) : जी हां नियम नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : क्या वहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति की पैरवी के लिये उन्हीं विधान सभाइयों को नियुक्त किया जायगा जो उनकी पैरवी यहां करते हैं ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या उन नियमों में ऐसा लिखा हुआ है, मुकदमा जीतने के बाद व्यक्ति को वापिस खर्चा देना पड़ेगा ?

श्री भीखाभाई : दर असल में यह चीज़ अभी नोटिस में आयी है इस बारे में लॉ मिनिस्ट्री से जांच करायी जायगी। संशोधन की आवश्यकता हुई तो संशोधन कर दिया जायगा।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या जो व्यक्ति क्रिमीनल केसेज़ में इनवोल्व्ड होंगे उनकी भी पैरवी कराई जायगी ?

श्री भीखाभाई : इसके लिये रूल्स देख लीजिये।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या ये नियम बने हुए काफी अर्सा हो गया किन्तु उसका पालन नहीं हो रहा है ?

श्री भीखाभाई : काफी अर्सा नहीं हुआ, चार महिने पहले यह गजट में प्रकाशित हुये थे, जिनको फायदा लेना है लीगल असिस्टेन्स के लिये अपना प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को भेजें।

श्री सोहनलाल भटनागर :–इस वित्तीय वर्ष में कितनी रकम इसके लिये रखी गई है ?

श्री भीखाभाई : पन्द्रह हज़ार।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या आप पन्द्रह हज़ार रुपया काफी समझते हैं।

श्री भीखाभाई : पन्द्रह हज़ार रुपया काफी है या नहीं यह तो अनुभव से सिद्ध हो सकेगा आवश्यकता हुई तो और भी रकम बढ़ाई जायेगी।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर–सु०) : किस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करेंगे ?

श्री भीखाभाई : सभी तरह के।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या इसका महिने भर के अन्दर अन्दर फैसला कर दिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : नियम तो बन गये हैं फायदा लेने का काम उन लोगों का है। वे

Page No.10

(श्री भीखाभाई)

फायदा लेना चाहते हैं तो प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को दें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : चोरी कर लेगा क्या सरकार उसकी भी पैरवी करेगी ?

राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल जोधपुर में फीस

१२४३. **श्री सुरजमल** (फलौदी-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) जोधपुर में राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल में किस किस कक्षाओं की छात्राओं से किस किस किस्म की कुल कितनी कितनी फीस ली जाती है ?

(ख) सन् ५५-५६, ५६-५७, ५७-५८ व इस वर्ष में किस किस किस्म की फीसों में से कुल कितने कितने रुपये किस किस कार्य के लिये खर्च हुए ? तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(ग) क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ गर्ल्स स्कूल, जोधपुर के सर्क्यूलर तारीख २६-६-५७ के अनुसार छात्राओं से कुल मिलाकर ११ किस्म की फीस ली जाती है जो बहुत अधिक व अनुचित है ?

उप-मन्त्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ग) तालिका सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) दिनांक २६-६-५७ का कोई ऑर्डर नहीं है। दिनांक २६-६-५६ का एक ऑर्डर है जो केवल मॉन्टसरी शालाओं के लिये है। छात्राओं से जो अन्य एक्टीविटीज़ के लिये फीस ली जाती है वह अधिक व अनुचित नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सन् ५६ के पहले कितनी फीस ली जाती थी उन छात्राओं से ? ५६-५७ में नहीं ली जाती थी। अब ५८-५६ में ११ प्रकार की १६ रु० की फीस ली जाती है क्या यह सत्य है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने तीन साल के लिए पूछा वह मैंने बता दिया। इसके लिये अलग से आप पूछेंगे तो जानकारी करके बता सकूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आज ११ प्रकार की १६ रुपयों की फीस ली जाती है। तो इसके पहले ५७-५८ में वह नहीं ली जाती थी क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ५६-५७-५८ में तीनों सालों में, यही फीस ली जाती थी।

प्रश्न संख्या १२४४

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतें

१२४५. श्री गिरधारीलाल (नोखा)

Page No.11

(श्री गिरधारीलाल)

क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : (१) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यूनियन द्वारा बीकानेर सिविल ज़ज, असिस्टेन्ट कलेक्टर और राजस्थान स्टेट लाइब्रेरी के अधिकारियों पर उनके द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को मारपीट करने, बरतन मंजवाने, कपड़े धुलवाने और इसी तरह के बर्ताव के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि यूनियन की इस दरख्वास्त पर सरकार ने अब तक कोई भी कार्यवाही व जांच उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं की, अगर हां, तो क्यों ?

(३) यूनियन की ओर से सरकार के पास कितनी दरख्वास्तें व किस किस तारीख को आई ?

मुख्य मंत्री(श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) केवल बीकानेर लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यूनियन द्वारा इस प्रकार की एक शिकायत का होना प्रकट हुआ है ।

(२) जी नहीं । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उचित जांच की गई और फलस्वरूप उचित कार्यवाही की गई ।

(३) इस सम्बन्ध में यूनियन की ओर से प्राप्त हुई ७ (सात) दरख्वास्तों की तारीखें निम्न प्रकार हैं: १. तारीख २१।६।५७, २. ३०।१०।५७, ३. १५।११।५७, ४. २।१२।५७ ५. १२।१।५८, ६. १७।३।५८ ७. १२।४।५८

श्री गिरधारीलाल : जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो सीनियर होते हैं उसके द्वारा कराई जाती है ।

श्री गिरधारीलाल : आप नाम बता दीजिये न कि किस अधिकारी ने की और क्या रिजल्ट निकला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सही तौर से तो पूरी चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हुई । फिर भी डाउट होता था इसलिये वार्निंग दी गई उसको ।

ग्राम सेविका, विद्यालय, शाहपुरा में एक छात्रा की मृत्यु

१२४६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सच है कि कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित ग्राम सेविका विद्यालय, शाहपुरा की एक छात्रा जल कर मर गई यह ? दुर्घटना कैसे हुई ?

(ख) क्या उक्त विद्यालय में छात्राओं का सामूहिक भोजनालय है ? खाने पीने की स्वतन्त्रता व व्यक्तिगत व्यवस्था की छूट कितनी है ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीभीलाभाई) : (क) जी हां, संस्था की संचालिका द्वारा दुर्घटना के सम्बन्ध में जो जानकारी की गई है वह सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) खाने पीने की सामूहिक व्यवस्था

(श्री भीखाभाई)

है। व्यक्तिगत खाने पीने की छूट नहीं है। केवल बीमारी की स्थिति में रोगी की आवश्यकतानुसार खाने पीने की अलग व्यवस्था की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या छात्रा का स्वर्गवास होने के वक्त का अन्तिम बयान मजिस्ट्रेट ने लिया है ?

श्री **भीखाभाई** : जी हां, जैसी कि जानकारी प्राप्त हुई है।

डॉ० **चन्द्रकला** : विद्यालय की संचालिका ने समाज कल्याण विभाग को इस दुर्घटना की सूचना कब दी ?,

श्री **भीखाभाई** : समाज कल्याण विभाग का सवाल नहीं है। इसे केन्द्र बोर्ड द्वारा खर्चा मिलता है। फिर भी क्योंकि समाज कल्याण बोर्ड इसका चुनाव करती है इसलिये इसको इत्तला ६ तारीख को दी गई थी।

डॉ० **चन्द्रकला** : क्या यह सच है कि छात्रा ने जो बयान दिया उसमें यह बताया गया था कि मेरी मृत्यु के लिये मैं जिम्मेदार हूं और दूसरा कोई नहीं है और वह आत्म हत्या का केस है ?

श्री **भीखाभाई** : जी हां, जैसी कि जानकारी प्राप्त हुई है। जो पत्र उसने लिखा है उसमें यही बात बताई गई है।

डॉ० **चन्द्रकला** : जब छात्राओं को खाने पीने की अलग कमरे में व्यवस्था करने की छूट नहीं है तो क्या इस बात की जांच की गई कि इस छात्रा को अलग कमरे में स्टोव वगैरह रखने और चाय आदि बनाने की अलग इजाज़त क्यों दी गई ?

श्री **भीखाभाई** : आपने पत्र नहीं पढ़ा पूरा ऐसा लगता है। पढ़ते तो सब बात मालूम हो जाती। गुलाब नामक छात्रा बीमार हो गई और बीमार होने के कारण उसे अलग कमरे में चाय बनाने करने की इजाज़त दी गई। जब वह चाय लाने को ऊपर गई और फिर स्टोव पर चाय बनाने लगी तो कमरे में उस से आग लग गई और उससे वह भी काफी जल गई। दिन के एक बजे का वक्त था। इस पर सब लड़कियां और संचालिका दौड़ी आई और उसे बचाया किया।

डॉ० **चन्द्रकला** : क्या रसोईघर में बना कर वह चाय नहीं ला रही थी और स्टोव और अंगीठी पर नहीं बनाई गई थी यह सच है ? यह प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद में पूछना चाहती हूँ ?

श्री **भीखाभाई** : यह जानकारी तो जैसी आई है वैसी दी है। इसमें समाज कल्याण बोर्ड का एग्ज़ीक्यूटिव कन्ट्रोल नहीं है। यह कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट के केन्द्रीय बोर्ड से संचालित होता है।

डॉ० **बहादुरसिंह** : क्या इस मृत्यु की जांच पुलिस द्वारा की गई ?

श्री **भीखाभाई** : जी हां, जैसा कि पत्र में बताया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): लाश का पोस्टमार्टम भी कराया गया ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): आत्म हत्या का केस है या स्वभाविक रूप से आग लग जाने से जल जाने का केस है? इसके सम्बन्ध में एक्सीडेन्टली ऐसा हो गया इतना ही कह कर इसे नहीं टाला जा सकता। मरते वक्त का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बयान है? क्या इसकी जांच कराने को तैयार हैं।

श्री भीखाभाई : इसमें भी यही लिखा क्योंकि क्योंकि वह विद्यालय कस्तूरबा ट्रस्ट द्वारा संचाचित है इसलिये समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जांच की जिम्मेदारी को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जांच करा कर ही तो बता रहे हैं।

श्री भीखाभाई : दर असल में बात यह है कि यह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल समाज कल्याण बोर्ड में नहीं है। यों तो वहां पुलिस भी पहुँची, बयान भी हुए सारी बातें हुईं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला भरतपुर व धौलपुर में लोहे का लघु उद्योग

१२४७. **श्री सूबेदारसिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बाड़ी, जिला भरतपुर में लघु उद्योग द्वारा सबसे अधिक लोहे का सामान बनाया जाता है?

(ख) भरतपुर जिले को कितना लोहा व कोयला मिलता है तथा बाड़ी को कितना लोहा व कोयला दिया जाता है?

(ग) क्या धौलपुर सब-डिवीजन में भी नियन्त्रण का लोहा आता है? यदि हां, तो किसको मिलता है और कहां बेचा जाता है, नाम वार बतावें?

मुख्य-मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसका अभी तक उत्तर नहीं आया, और विभागों से भी जानकारी करनी है इसलिए इसे आगे के लिए रख दिया जावे तो ठीक होगा।

डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन के नाम अलॉटेड सरकारी जमीन

१२४८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: (१) डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन, हनुमानगढ़ ने अपने तथा लड़कों के नाम से कितनी कितनी सरकारी ज़मीन भाखरा नहर द्वारा सिंचित होने वाले क्षेत्र में अलॉट करवा रखी है?

(२) क्या यह सही है कि उन्होंने चक नम्बर २ एस. एन. एम. से किसी दूसरे चक में जमीन का तबादला करवाया है? अगर हां, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त चक नम्बर २ एस. एन. एम. जागीरदारों के लिये

(श्री भीमसेन)

हीं रिजर्व है ? अगर हां, तो उनको उपरोक्त चक के अलावा दूसरे चक में तबादला करने की आज्ञा कैसे दी गई ?

उप मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो आया है पर इससे संतोष नहीं है। इसलिए फरदर जानकारी करने की आवश्यकता है इसलिये अर्ज है कि इसको आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक महीने, दो महीने हो जावें और फिर भी जवाब नहीं आता तो यह तो अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत से प्रश्न रह जाते हैं। यह प्रश्नकर्ताओं को बता दिया जाना चाहिये पहले कि कितने दिन पहले उनको कोई प्रश्न पूछना चाहिये ताकि उनका जवाब तब तक आ जाये।

श्री अध्यक्ष : वह फिर बाद में बता दूंगा आपको। सब रिकॉर्ड है हमारे पास।

प्रश्न संख्या १२४९

श्री किशनराम।

(अनुपस्थित)

लॉ कॉलेज में अध्यापकों की नियुक्ति

१२५०. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :
(क) क्या यह सही है कि १० जुलाई सन् ५८ को राजस्थान सार्वजनिक सेवा आयोग के द्वारा लॉ कॉलेजों में प्राध्यापकों के दस रिक्त स्थानों के लिये चार व्यक्तियों का (सिलेक्शन) चुनाव किया गया था ? यदि हां तो उन रिक्त स्थानों तथा चुने हुए चारों व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ख) उपरोक्त चुने हुए (सिलेक्टेड) व्यक्तियों में कितनों को कब कब, किस किस स्थान पर नियुक्त किया गया है ?

(ग) क्या इन दसों रिक्त स्थानों पर नये व्यक्ति नियुक्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन को ?

उप-मन्त्री शिक्षा विभाग (श्रीपूनमचंद बिश्नोई) : (क) लॉ कॉलेजों में प्राध्यापकों के दस स्थान रिक्त नहीं थे। राजस्थान जन सेवा आयोग ने लॉ लेक्चरार के पद के लिये चार व्यक्तियों को चुना था। उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) आज्ञा दिनांक ३०।१०।५८ के द्वारा श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य को गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पार्ट टाइम लॉ लेक्चरार के पद पर नियुक्त किया गया था। किन्तु उनके कार्यभार न सम्भालने के कारण यह आज्ञा ३।२।५९ को रद्द कर दी गई।

आज्ञा दिनांक ३०।१०।५८ के द्वारा श्री सम्पतराय बज़ को गवर्नमेन्ट कॉलेज कोटा में पार्ट टाइम लेक्चरार के पद पर नियुक्त किया गया था।

आज्ञा दिनांक ३।२।५९ के द्वारा श्री मिलापचन्द जैन को गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पार्ट टाइम लॉ लेक्चरार के पद नियुक्त किया गया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आज्ञा दिनांक ३।२।५६ के द्वारा श्री धर्मचंद जैन को गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में श्री मदनसिंह पार्ट टाइम लॉ लेक्चरार के स्थान पर जिनको कि राज्य सेवा से हटाया जाना था, नियुक्ति की गई थी। चूंकि श्री मदनसिंह को हटाने के बारे में आगे विचार किया जा रहा है, आज्ञा को कार्यान्वित होने से रोक दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा): यह मदनसिंह कहां के हैं, दांता के या कहां के ?

(हंसी)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अजमेर के वकील हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जिस समय सेवा आयोग से डिमांड निकली थी उस समय दस स्थान रिक्त थे या क्या थे, कितने थे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दस के लिये भेजा गया था क्योंकि एडीशनल पैनल भी हम मंगा लेते हैं क्योंकि यह पार्ट टाइम जॉब है मालूम नहीं कब कौन वकील स्तीफा दे दे। वकीलों के पास अपना काम ज्यादा आ जाता है तो इन्कार कर देते हैं। इससे असुविधा पढ़ाई में न हो इसके लिये ज्यादा लिस्ट मांग लेते हैं। पर उन्होंने चार को ही चुन कर भेजा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि इन रिक्त स्थानों पर और भी रिक्त स्थानों पर बाहर से लोगों को अपोइन्ट कर दिया गया और इस प्रकार सिलेक्टेड व्यक्तियों को नहीं लिया गया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सर्विसेस कितनी साल की है ?

पूनमचन्द विश्नोई : तीन साल की है।

श्री पी० के० चौधरी : पहले वालों को क्यों हटाया जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनका यह था कि वे पी. एस. सी. से सिलेक्टेड नहीं थे और टेम्प्रेरी थे।

डॉ० चन्द्रकला : वास्तव में कुल कितने स्थान रिक्त थे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चार।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जो पी. एस. सी. से चुनकर आये हैं उनको पहले नियुक्ति दी जानी नहीं चाहिये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यही किया जाता है। श्री मदनसिंह सिलेक्टेड नहीं थे इस तरह। एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ने इन्हें सिलेक्ट किया था। इस पर ऐतराज़ किया जा रहा है इस ऐतराज को सुनने के लिये मियाद बढ़ाई गई थी जब तक कि ऐतराज़ सुनकर कुछ तै नहीं हो जाय।

श्री पी० के० चौधरी : जो व्यक्ति तीन साल तक सर्विस करता है उसको आप

Page No.16

(श्री पी० के० चौधरी)

पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने क्यों नहीं भेजते ? Why don't you send him to appear before the Public Service Commission ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम पहले यही तय कर रहे हैं कि जो बोर्ड था वह लीगेली कॉन्स्टिट्यूटेड था और इस कारण पब्लिक सर्विस कमीशन की राय की जरूरत नहीं थी।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह श्री मिलाप चन्द की जगह श्री धर्मचन्द की नियुक्ति निकालने का क्या कारण था और फिर बाद में क्यों केन्सिल कर दिया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह टेम्प्रेरी थे इसलिए वह कन्टीन्यू नहीं करते इसलिए उनको एक महीने का नोटिस देकर उनकी सर्विसेज़ टर्मीनेट कर दी। फिर बाद में श्री मिलापचन्द ने रिप्रेजेन्टेशन किया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी सर्विसेज़ टेम्प्रेरी हैं लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर में नहीं था। लेकिन इसके लिए एक बोर्ड बैठाया गया था कमिश्नर के द्वारा और उसकी राय की भी वही वकत है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की थी और इस दरमियान में उसकी सर्विसेज़ को कन्टीन्यू कर दिया।

श्री पी. के. चौधरी : तो फिर...

प्रश्न संख्या १२५१

श्री अध्यक्ष : श्री किशकलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

जयपुर में हाई, मिडिल व प्राईमरी स्कूल भवनों की सूची

१२५२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे : (१) जिला जयपुर में हाई, मिडिल, प्राईमरी स्कूलों के भवन किस किस जगह पूर्ण नहीं बन पाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उनको पूर्ण बनवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जितनी डिटेल्स चाही गई है कि प्राईमरी स्कूल की कितनी बिल्डिंग्स अधूरी हैं और पूरे राजस्थान की सूचना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न में काफी देर लग जाती है। अगर किसी पर्टिक्युयर जगह के बारे में आप पूछते तो मिल जाता।

श्री अध्यक्ष : विशेष आप अपनी तहसील के बारे में जानना चाहते हैं ?

श्री रामकरणसिंह : मेरा मकसद यह है कि जो तहसील डेवेलपमेंट कमेटी हैं उनको इस प्रकार के आदेश दिये जायें कि जो स्कूलें चल रही हैं उनके भवन पूर्ण नहीं हों तब तक नये भवनों पर रुपया खर्च नहीं किया जाये, क्योंकि जितने भी पुराने भवन हैं और उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे भवनों के पूर्ण नहीं होने के कारण धूप और बरसात में

(श्री रामकरणसिंह)

पड़ते हैं और इस प्रकार आधे भवन बना दिये जाते हैं । मेरा मतलब यह है कि जब तक दूसरे नये भवन नहीं बनाये जायें जब तक कि पहले वाले भवन पूरे नहीं हो जाते ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए कोई हाई एण्ड फास्ट रूल्स तो बनाना मुश्किल हो जाता है । क्योंकि कई जगह जैसे दो हजार की मदद से तीन चार कमरे बना देते हैं और नये स्कूल खुलते हैं तो वहां के लिए भी सोचना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह ।

तहसील आसिन्द (भीलवाड़ा) के हरिजनों की सरकार से आर्थिक मदद की मांग

१२५३. **श्री जयसिंह** (आसिन्द) : क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: (१) तहसील आसिन्द, ज़िला भीलवाड़ा के सदर मुकाम पर जो हरिजन आबाद हैं उनकी संख्या क्या है ? क्या उन्होंने अपने मकानों तथा पीने के पानी के लिए सरकार से आर्थिक मदद हेतु गत ५ वर्षों में कभी मांग की है ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने गत पांच वर्षों में इस हेतु सालवार कितना रुपया खर्च किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय अभी तक इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है....

श्री जयसिंह : किस तारीख तक आ जायेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नेक्स्ट टर्न पर जवाब दे देंगे ।

श्री सूरजमल (फलौदी-सु०) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता कि जब भी हरिजनों का सवाल आता है तो यही उत्तर दिया जाता है कि बाद में उत्तर दिया जायेगा । तो समझ में नहीं आया कि क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : अभी तक समझ में नहीं आया ।

(हंसी)

श्री सूरजमल : रोज़ाना ही यह कहा जाता है ।

प्रश्न संख्या १२५४

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

ट्रेण्ड अध्यापकों को एरियर

१२५५. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मन्त्री शिक्षा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:- (१) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के दो वर्षीय ट्रेन्ड अध्यापकों को अभी तक एरियर नहीं मिला है ?

(२) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों ने सरकार को नोटिस भी दिया है ?

Page No.18

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(३) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हां। कुछ अध्यापकों ने नोटिस दिया है।

(३) एरियर बिल बन गये हैं और उनको ट्रेजरी से पास करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह एरियर किस साल तक का है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई ; उन्होंने दो साल तक ट्रेनिंग पाई थी इसलिए सन् ५७ में, सन् ५० से ट्रेन्ड ग्रेड दिया गया था। उसका एरियर बाकी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सन् ५७ में उनको ग्रेड दे दी और दो साल तक किसी का मामला नहीं सलटना क्या यह विभाग की अयोग्यता का प्रमाण नहीं है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : १६५७ में बिल बना दिया लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर ने यह एतराज कर दिया कि यह पुराना मामला है इसलिए गवर्नमेंट की सेंक्शन होनी चाहिए। इस पर यहां के विभागीय अधिकारी ने डाइरेक्टर को लिखा और डाइरेक्टर ने ए० जी० को लिखा कि ट्रेजरी ऑफिसर को डाइरेक्शन दे दी जाये कि वह इस बिल को पास कर दे। इस पर ए० जी० ने यह एतराज किया कि यह ग्रेड रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं की जा सकती थी। तो इस मामले में विचार हो रहा है और ३ अप्रेल को ही ए० जी० ने फाइनली लिखा है कि यह रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं दिया जाना चाहिए। सन् ५७ से ही होना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस पर कब तक विचार होकर निर्णय हो जायेगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ३ अप्रेल, १६५६ को ए० जी० का जवाब आया है। लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेन्स और एजूकेशन डिपार्टमेंट सब मिलकर के इस पर विचार करेंगे और निर्णय जल्दी ही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम।

अकाल सहायता

१२५६. **श्री रुपाराम** (नोखा-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील नोखा व कोलायत के कितने गांव इस वर्ष में अकालग्रस्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ? अगर हां, तो सरकार इस विषय में क्या व्यवस्था कर रही है ?

(ग) क्या अकालग्रस्त ग्रामों में सहायता कार्य चालू हो चुके हैं अगर नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि अकाल सहा-

Page No.19

(श्री रूपाराम)

यता वाटर सप्लाई स्कीम में अब तक कोई कुआं चालू नहीं किया गया है जब कि लोगों को सात सात मील भी पानी उपलब्ध नहीं है ?

(ङ) क्या सरकार इसका प्रबंध शीघ्र ही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है अतः इसका उत्तर अगली टर्न पर दे दिया जायेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : अकालग्रस्त कितने गांव हैं यह सूचना आपके पास नहीं है तो यह तो बड़ा विचित्र मालूम होता है । अकालग्रस्त गांव जिनको घोषित किया उसकी सूचना आपके पास नहीं है यह तो आश्चर्यजनक बात मालूम होती है । मेरे ख्याल से आपके पास होगी यह सूचना ?

श्री सम्पतराम : नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह हो ही नहीं सकता ।

श्री सम्पतराम : इसका सटरडे को जवाब दे दिया जायेगा ।

श्री रुपाराम : इसका जवाब कब तक मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि शनिवार को दे दिया जायेगा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सटरडे को तो हाउस ही नहीं होगा ।

राजस्व मंत्री (श्रीदामोदरलाल व्यास) : शनिवार से मतलब नेक्सट टर्न ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

धौलपुर के मिडिल स्कूल के ड्राइंग व क्राफ्ट अध्यापकों का ग्रेड

१२५७. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) राजस्थान में मिडिल स्कूलों में ड्राइंग व क्राफ्ट के अध्यापकों के क्या ग्रेड हैं ?

(ख) धौलपुर में कितने और उनमें उक्त विषय का शिक्षण कौन कौन अध्यापक करते हैं ? उनका ग्रेड क्या है ? सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

(ग) उक्त अध्यापकों को स्वीकृत ग्रेड अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

उप–मंत्री शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद विश्नोई) : (क) कोई पृथक ग्रेड नहीं है ।

(ख) धौलपुर में १३ मिडिल स्कूल हैं । उक्त शिक्षण के लिए पृथक अध्यापक नहीं है ग्रेड का तथा सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह ।

भीलवाड़ा के मरहूम जागीरदार के महलात

१२५८. **श्री जयसिंह राणावत** (आसिन्द):

Page No.20

(श्री जयसिंह)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) तहसील आसिन्द ज़िला भीलवाड़ा के सदर मुकाम पर जो महलात मरहूम जागीरदार के हैं उसकी अट्टालिकायें कितने मंजिल की हैं ? और उसमें मंजिलवार कितने कमरे हैं ?

(ख) इस इमारत को लागत आज कितने रुपयों की है ?

(ग) यह इमारत कब से किस विभाग के चार्ज में होकर क्या काम आ रही है ? और इसके मेन्टीनेन्स के लिए सालाना क्या बजट है ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है अतः अगले टर्न पर इसका जवाब दे दिया जायेगा ।

श्री जयसिंह राणावत: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का उत्तर पहले भी दिया गया है और इसके बारे में पहले भी कई दफा कहा है कि लाखों रुपयों की बिल्डिंग बेकार हो जायेगी। मेरे ख्याल से यह सूचना सरकार के पास होनी चाहिए ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Ministry concerned should be pulled up Sir. This particular Ministry is always refusing to answer questions.

श्री अध्यक्ष : No. That honour is shared by others also.

श्री भैरोंसिंह

सन् १९५८-५६ में आई० ए० एस० ऑफिसर्स के रिक्त स्थान

१२५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) जनवरी १९५६ से पहले ५८-५६ में कितने आई० ए० एस० ऑफिसर्स के स्थान रिक्त थे ?

(ख) इस अर्से में कितने आई० ए० एस० आफिसर्स प्रोबेशनरी पीरियड में थे तथा कितने आई० ए० एस० की एप्रूव्ड लिस्ट में आ गये थे ? कौन कौन और कब से ?

(ग) क्या यह सही है कि जनवरी, १९५६ में सरकार ने आई० ए० एस० की सलेक्शन कमेटी से आई० ए० एस० के रिक्त स्थानों से अधिक व्यक्तियों का सलेक्शन करवाया ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

(घ) प्रमोशन कोटा कितना निर्धारित किया गया था और किस आधार पर ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) ८

(ख) प्रोबेशनरी पीरियड में १८ ऑफिसर्स थे। निम्नलिखित ४ आफिसर्स १९५८ः की एप्रूव्ड लिस्ट में थे :

(१) श्री तेजसिंह कोठारी

(२) श्री नारायन दास मेहता

(३) श्री मदन गोपाल दलेला

(४) श्री आर० आर० जैन

Page No.21

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ग) १९५९ की सलेक्शन लिस्ट अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) आई० ए० एस० (रिक्रूटमेन्ट रूल्स) १९५४ के रूल ९ के अनुसार सीनियर आर० ए० एस० पोस्ट का २५ पर्सेंट प्रमोशन कोटा होता है

श्री भैरोंसिंह : (क) प्रश्न का उत्तर समझ में थोड़ा नहीं आया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ८ मैंने निवेदन किया ।

श्री भैरोंसिंह : जब रिक्त स्थान केवल ८ थे तो उसके अगेन्स्ट में १३ आदमियों का सलेक्शन सलेक्शन कमेटी द्वारा क्यों कराया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑफिशियेट करने के लिए एक अलग लिस्ट रखते हैं । ताकि कोई जगह खाली हो तो ऑफिशियेट कर सकें और कोई डेप्यूटेशन पर जाते है, कोई छुट्टी जाता है । कुछ को नॉन आई० ए० एस० पोस्ट पर भी अपॉइन्ट करना पड़ता है । इसलिए यह रिज़र्व लिस्ट अलग रहती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन १३ के अन्दर ४ प्रोबेशनर्स भी शामिल हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो केवल ८ ही स्थान रिक्त हैं और भी बाकी हैं वह भी शामिल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जो प्रोबेशनर्स थे या जो एप्रूव्ड लिस्ट में आ चुके थे जिनको कनफर्म नहीं किया गया था, क्या ऐसे व्यक्ति भी इन ८ में शामिल थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय १३ आदमियों का सलेक्शन, सलेक्शन कमेटी ने किया उस समय केवल ४ स्थान ही रिक्त थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस समय तो जो स्थान रिक्त थे उनकी संख्या ८ थी । जिसके अन्दर ८ में से प्रमोशन का कोटा २ का होता है और ६ डाईरेक्ट रिक्रूटमेन्ट से होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : फिर यह माना जाये कि सलेक्शन कमेटी को सिर्फ प्रमोशन देना था और जिन जिन स्थानों के ऊपर प्रमोशन देना था वह केवल दो अधिकारियों के ही रिक्त थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर्मानेन्ट दो को ही करना था लेकिन उसके बाद में वह ज्यादा की लिस्ट दिया करते हैं इसलिए कि एक नम्बर खाली होने के बाद में उनको नम्बर मिल सके ।

श्री भैरोंसिंह : जो १३ आदमियों की लिस्ट बनी थी वह किस आधार पर बनी थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया है कि जो कमेटी बैठती है वह ओवरआल हमारी रिक्वायरमेंट को, टोटल नम्बर और अलग अलग जगह पर ऑफिशियेट करने की अपोर्चुनिटीज़ हैं उसको देखते हुए लिस्ट बना कर वह कमेटी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भेजा करती है। सरकार अपनी तरफ से कोई तादाद निश्चित करके ऑफिशियेट करने के लिए नहीं कहती है कि हमारे लिए एक रिजर्वड लिस्ट बना कर भेजो ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि सिलेक्शन कमेटी को मालूम था कि कितने आदमियों का सिलेक्शन करना था, उसकी संख्या निर्धारित की जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर्मानेन्ट पोस्ट का सिलेक्शन जो निर्धारित कोटा है उतना ही करती है। उसके अलावा ऑफिशियेट करने के लिए एक एप्रूव्ड लिस्ट साथ में और देती है। उसकी तादाद स्थानों को देखते हुए, उसको ज़ज़ करते हुए वह देती है।

श्री भैरोंसिंह : ऑफिशियेट करने वालों को जो लिस्ट भजी जाती है, क्या यह सही है कि वह लिस्ट शुरू में सरकार की तरफ से बना कर सिलेक्शन कमेटी के सामने रखी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर सिलेक्शन कमेटी को इस बात का ज्ञान किस प्रकार से होता है कि इतनी वेकेन्सीज़ को फुलफिल करने के लिए ऑफिशियेटिंग पर्सन्स की लिस्ट भेजती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टोटल वेकेन्सीज़ फिक्स्ड हैं। जैसे आई. ए. एस. की १२२ पोस्टें राजस्थान के अन्दर हैं। वह टोटल नम्बर उसकी स्ट्रेन्थ फिक्स्ड है। उसके बाद अलग अलग जगह डेपुटेशन पर कितने हैं उसके सारे फेक्टर्स को रिव्यू करती है, उसके बाद में लिस्ट तैयार करती है।

श्री भैरोंसिंह : वह बता दिया आपने कि टोटल स्ट्रेन्थ इतनी है उस स्ट्रेन्थ में पर्मानेन्ट कोटा की २ वेकेन्सीज़ हैं तो दो के लिए सिलेक्शन कमेटी विचार कर सकती है। लेकिन दोनों के ऊपर जो इस कोटा की टोटल स्ट्रेन्थ है उस टोटल स्ट्रेन्थ के बाहर ऑफिशियेट करने के लिए सिलेक्शन होता है उसकी सूचना सरकार को देनी पड़ती है, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह ऑफिशियेट करने के लिए पिछले साल के एक्सपीरियन्स से जज़ करते हैं कि कितने आदमियों को ऑफिशियेट करने के लिए अपोर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, और उन बातों को देखते हुए वे ऑफिशियेट करने के लिए एक रिजर्वड लिस्ट साथ में दिया करते हैं। रिजर्वड लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से बनाकर नहीं भेजी जाती है कि इस साल इन पोट्स पर रिजर्वड नम्बर इतना होना चाहिये। मान लें कि इतनी पोस्टें खाली नहीं हुई तो जो नीचे होगा उसको अपोर्चुनिटी नहीं मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि टोटल स्ट्रेन्थ फिक्स्ड है उसके बाहर ऑफिशियेटिंग चान्स देने के लिए सिलेक्शन कमेटी विचार कर सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : करती है। वह प्रोसीजर है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीजर तो यह है कि जब टोटल स्ट्रेन्थ १२२ की तय हो गई तो १२२ स्थानों के लिए ही सिलेक्ट कमेटी विचार कर सकती है। वह १२२ की स्ट्रेन्थ के लिये सिलेक्शन करेंगी लेकिन ऑफिशियेट करने के लिये लोगों को सिलेक्ट करें, क्या यह कमेटी के कम्पीटेन्स में है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिये कि यह उसके कोम्पीटेन्स के अन्दर है। इसी वजह से कह किया जाता है कि पहले से ही ऑफिशियेट करने के लिये सिलेक्शन किया जाय ताकि उन आदमियों को ही अपोर्चुनिटी दी जाय जो कमेटी की राय के अन्दर सब आदमी के साथ उनके सामने आये हैं उनके अन्दर उनको कम्पीटेन्ट समझती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कमेटी को सरकार इस बात की जानकारी देती है कि अमुक अमुक काम के लिये इतने आदमियों को ऑफिशियेटिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कमेटी और सरकार के बीच में इतनी बातचीत नहीं हुआ करती है।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी १२२ वेकेन्सीज फिक्स्ड हैं तो क्या उसमें लीव रिजर्व्ड पोस्ट्स नहीं हैं ? Is it correct that for these 122 posts there is not a single leave reserve post ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I cannot say exactly at present. लेकिन मेरे ख्याल से लीव रिजर्व्ड इनके अन्दर इन्क्ल्यूड होने चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जिन १३ आदमियों का सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन में दो वेकेन्सीज़ को एनाउन्स करके पर्मानेन्ट प्रोमोशन के लिये दो की सिफारिश की थी। बाकी ११ व्यक्तियों को ऑफिशियेटिंग चान्स जिनको दिया है सिलेक्शन कमेटी की ही तरफ से दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक निश्चित फॉर्मुला है निश्चित तादाद है उसके मुताबिक किस साल में कितने पर्सेन्ट सिलेक्ट करेंगे वह एक नॉन (known) बात होती है कि उसके अनुसार इस साल में कितने लेना है। प्रमोशन था वह दो का होता है। पर्मानेन्ट प्रमोशन का कोटा फिक्स्ड है। पर्मानेन्टस सिलेक्शन के लिए फिक्स्ड कोटा है। लेकिन इसके साथ साथ ही रिजर्व्ड लिस्ट बनाते हैं। उस रिजर्व्ड लिस्ट को, नौकरी फेक्टर्स को जज करके, कमेटी डिसीज़न करती है कि कितने आदमी रिजर्व्ड लिस्ट में लेना चाहिये। दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिजर्व्ड लिस्ट सिलेक्शन कमेटी बनाती है उसके लिए इस तरह के इन्स्ट्रक्शस, प्रोसीजर और कन्वेंशन्स हैं। जो भी एपॉइन्टमेंट होते हैं उसके बाद वे चाहे उसे सीनियोरिटी लिस्ट कहें चाहे मेरिट लिस्ट कहें जो कि वे भेजते हैं उसके मुताबिक होता है। जैसे कि बाद में दूसरी पोस्टें खाली हुई तो नेक्स्ट मेन जो भी लिस्ट में होगा उसको लिया जायेगा। यह नहीं होता है कि सरकार चाहे जिसको उस लिस्ट में से कर दे।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी ने दो का सिलेक्शन कर दिया और सरकार को लिख

(श्री भैरोंसिंह)

कर भेज दिया । रिज़र्व्ड लिस्ट तैयार करके भेज दी। कितने आदमी उस सिलेक्शन में होने चाहिये, कितने नाम रिजर्व्ड लिस्ट में शामिल किये जांय। इनके संबंध में क्या सरकार के द्वारा सिलेक्शन कमेटी को लिखा था कि इतने व्यक्तियों को किया जाय? यदि नहीं लिखा गया तो क्या यह माना जाय कि सिलेक्शन कमेटी ने जो रिजर्व्ड लिस्ट बनाई है, जितने व्यक्ति इसमें शामिल हैं सिलेक्शन कमेटी ने अपनी खुशी से किये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे याद नहीं आता है कि हमने कभी भी इस मामले में कहा हो कि इतनी तादाद सिलेक्ट करके रिजर्व्ड लिस्ट के लिये भेजी जाय। कमेटी खुद अपने डिस्क्रीशन से सारी चीजों को तय करके भेजती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कमेटी सिलेक्शन में इस बात की आवश्यकता नहीं समझती है कि रूल्स के अनुसार सरकार से यह जानकारी ले कि कितने रिजर्व्ड लिस्ट में शामिल किये जाने की आवश्यकता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी।

भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी समितियों को भूमि का वितरण

१२६०. श्रीमती आनन्दी देवी जोलिया (तारा-सु०) क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार द्वारा, भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी समितियों के गठन करने व इन सहकारी समितियों को पड़त भूमि काश्त के लिए वितरण करने के कार्य को सम्पन्न करने हेतु कोई उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपना काम निश्चित अवधि में सम्पूर्ण कर दिया है?

(३) यदि हां, तो इस समिति ने क्या राय व्यक्त की है और उसका कब से कार्यान्वित होना सम्भव होगा?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। मुख्य समिति द्वारा एक सहायक समिति....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन के सम्बन्ध में काफी चर्चा होती है। ऑफिशियल तो नहीं लेकिन जो लेटेस्ट इन्फोर्मेशन टेलीफोन से हमें मिल सकी है उसके अनुसार उस लिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने एप्रूव कर दिया है।

श्री सम्पतराम : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। मुख्य समिति द्वारा एक सहायक समिति (सब-कमेटी) का निर्माण किया गया था जिसकी रिपोर्ट अभी हाल में ही प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट पर अब मुख्य समिति

Page No.25

(श्री सम्पतराम)

द्वारा विचार किया जायेगा ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०): इस समिति का गठन किया गया है जैसा कि आप फर्मा रहे हैं भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिए तो इसके कौन कौन मेम्बर हैं ?

श्री सम्पतराम : यह सब कमेटी बनाई गई है । सब कमेटी के मेम्बर को आप पूछना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र : आपने अभी फर्माया है कि 'हां' बनाई गई है, लेकिन उसके मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

श्री सम्पतराम : : मेम्बरों के नाम इस प्रकार हैं :

रेवेन्यू मिनिस्टर, डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर, चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर अजमेर डिविजन, सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव एण्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कलेक्टर जयपुर, कलेक्टर गंगानगर, डिप्टी डवेलपमेंट कमिश्नर, श्री ए. के. खेरी, ओ. एस. डी, रेवेन्यू विभाग ।

श्री रामचन्द्र : इस कमेटी का क्या कार्य होगा ।

श्री संपतराम : वह कमेटी के सारे मामले को एग्जामिन करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करेगी । इस मामले को एग्ज़ामिन करने के लिए सब-कमेटी का निर्माण किया है । उसकी रिपोर्ट अभी आई है । आज ही उसकी ३ बजे कमेटी की मीटिंग भी है ।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार की तरफ से ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि भूमि का वितरण बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं दिया जाय और अलॉटमेंट बन्द कर दिया जाय ?

श्री सम्पतराम : जी हां ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सरकार को मालूम है कि कोऑपरेटिव विभाग भूमिहीनों की सहकारी समिति बनाने में इन्कार करता है और कहता है कि जिनके पास भूमि है उनकी सहकारी समिति बना सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : उसके लिए इन्स्ट्रक्शन्स दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है । दर असल में यह जो कमेटी बनाई गई है वह कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स को देखेगी । इस मामले में जितने भी ब्रॉड इश्यूज़ हैं उनको एग्जामिन करके उनकी एक रिपोर्ट देगी । उसके बाद में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को यदि सरकार आवश्यक समझेगी, आदेश देगी और अगर कोई एमेंडमेंट करना होगा तो वह किया जायगा । क्या इस सम्बन्ध में पालिसी हो, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनें, कितने आदमियों की बनें, उनके हक क्या हों, इस प्रकार के जो ब्राड इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करेगी ।

श्री शंकरलाल : मेरा प्रश्न यह नहीं था कि कमेटी क्या करेगी । मेरा तो प्रश्न यह था कि एक तरफ तो भूमि का अलॉटमेंट बन्द कर दिया गया है और दूसरी तरफ सहकारी विभाग भूमिहीन किसानों की सह-

(श्री शंकरलाल)

कारी समिति नहीं बनाता है और जब सहकारी समिति नहीं बन जाती है तो भूमि का अलॉटमेंट नहीं हो सकता है।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): रूल्स में परिवर्तन किया जा सकता है। को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हिदायत दी जा सकती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): तहसीलदार की शिथिलता की वजह से सवा साल पहले जो भूमि अलॉट हुई थी, वह भूमि अलॉट होने के बावजूद भी अब नहीं दी जा सकती है। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि अलॉटेड भूमि का वितरण नहीं किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की शिथिलता की वजह से अलॉटेड भूमि भूमिहीनों को नहीं दी जा सकी। अब पोजीशन ऐसी हो गई है इसलिए नहीं दी जा सकेगी तो जो तहसील की शिथिलता की वजह से अलॉट नहीं की गई तो क्या सरकार उस भूमि को अलॉट नहीं करायेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास: That is a separate question. I want notice for it.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, अध्यक्ष महोदय सरकार ने नियम बनाये हैं कि किसी को भी कहीं भूमि अलॉट नहीं की जा सकेगी, जब तक भूमिहीन काश्तकारों की कोऑपरेटिव नहीं बनेगी। लेकिन जहां पर कि वह डेढ़ साल पहले से अलॉटमेंट किया गया है वहां पर भूमि अलॉट नहीं की गई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया कि अलॉटमेंट सब जगह बन्द कर दिया राजस्थान में। माननीय सदस्य यह देखते हैं कि कहीं अलॉटमेंट हो गया और कब्जा नहीं दिया गया है। उसके लिए प्रश्न अलग से पूछ सकते हैं। जहां तक अलॉटमेंट का प्रश्न है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देने का विचार है।

श्री रामचन्द्र: अलॉटमेंट किस तारीख को बन्द किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास: फरवरी महीने में बन्द किया गया।

श्री रामचन्द्र: वर्षा के पहले भूमिहीनों को ज़मीन मिल सकेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी हां, १०, ५ दिन में काम शुरू हो जायगा।

श्री शंकरलाल: आपने कहा कि रूल्स बनाये जा रहे हैं। वर्षा के पहले रूल्स बन जाने चाहिए। इसके अलावा सहकारी विभाग के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वे गांव गांव में जाकर समितियां बनायें। अगर वर्षा ऋतु के पहले सोसाइटीज़ बनी नहीं तो भूमि वैसी पड़ी रहेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया कि १०, ५ दिन में अलॉटमेंट शुरू हो जायेगा, व्यवस्था की जायगी, रजिस्ट्रेशन की। बहरहाल भूमि बिना अलॉटेड नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

छोटी सादड़ी की राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय पर सरकारी खर्चा

१२६१. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सत्य है कि चितौड़गढ़ ज़िले के छोटी सादड़ी कस्बे में राजकीय आदर्श माध्यमिकशाला घोड़ों के बांधने की घुड़शाला में चलाई जा रही है ?

(ख) इस घुड़शाला को माध्यमिक शाला की बिल्डिंग के रूप में परिवर्तन करने को शिक्षा विभाग व पी. डब्ल्यू. डी. ने कितनी रकम अपने विभाग से खर्च की ?

(ग) इस शाला में कितनी क्लास चल रही हैं और किस किस क्लास में कितने कितने विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं और इसमें कुल कितने मास्टर हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) इसके ठीक आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हो पाये हैं ।

(ग) माध्यमिक शाला तक चलती है । विद्यार्थियों की तादाद पूरी तरह उपलब्ध नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): ठीक आंकड़े प्राप्त होने में कठिनाई क्यों रही है ?

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया : वह सूचना डिटेल्स में नहीं मिल पाई है ।

डॉ० चन्द्रकला : यह सारा काम शिक्षा विभाग की ओर से पी. डब्ल्यू. डी. ने किया है, क्या उनके पास हिसाब नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एजूकेशन डिपार्टमेंट द्वारा पी. डब्ल्यू. डी. से पूछ कर जवाब यहां आता है, उसके एक्जेक्ट फिगर्स नहीं आये हैं ।

स्थगित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम ।

वासणा ग्राम लगान की वसूली

७०४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम वासणा तहसील सोजत सेटल्ड गांव था और सन् १९४८ में जागीर में दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व जोधपुर सरकार के यह आदेश थे कि सेटल्ड जागीर में लटाई न की जाय व नगद लगान ही वसूल किया जाय ?

(३) क्या यह सही है कि गांव वाजना में सन् १९४८ व १९४९ में नकद लगान ही वसूल किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि वासणा की जागीर केवल उसके अनसेटल्ड होने के नाते अवाप्त करने के बाद वापिस रिलीज़ की गई है ?

(श्री तेजराम गहलोत)

(५) क्या यह बात सही है कि सोजत तहसील के दूसरे गांव जिनका बन्दोबस्त भी वासणा गांव के साथ हुआ था व १६४८ में जो जागीर में दिये गये थे जैसे धीनावास अट-बड़ा आदि गांव उसी बन्दोबस्त के आधार पर ही अवाप्त किये गये हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : १, २, ३, ४, ५। जी हां, मगर ।४। में कार्यवाही जागीर कमिशनर द्वारा की गई है ।

श्री तेजाराम गहलोत : जब १,२,३, ४,५, के लिए कहा, जी हां, यानी सेटल्ड हैं, तो अन सेटल्ड मान कर रिलीज़ की गई हैं ।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदलाल व्यास): जागीर कमिश्नर को रिप्रजेन्ट किया १६४६ में कि जागीरदारी रिजम्पशन होकर उन्होंने केश रेन्ट के बजाय काइन्ड रेन्ट देना शुरू करदिया था । इस आधार पर फैसला कर दिया । सरकार उसे कानूनी तौर पर एग्ज़ामिन कर रही है । अगर कानूनी तौर पर फैसला ठीक नहीं होगा तो इसको मन्सूख करने की कार्यवाही की जायगी

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न तीन यह है-क्या यह सही है कि गांव बाजना में सन् १६४८ व १६४६ में नकद लगान ही वसूल किया गया था....

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा है कि जो जागीर कमिश्नर के फैसले होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, वह इंडीपेन्डेन्ट हैं । सरकार को भी नाराजगी है तो उसके खिलाफ अपील कर सकती है । मैं अर्ज कर चुका हूं, कानूनी तौर पर एग्ज़ामिन कर रहे हैं, अगर कानूनी तौर पर फैसला गलत है तो मसूख करने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन ।

तहसील बोंली में काश्तकारों की बेदखली

७२८. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम गैराट तहसील बोंली में ज़िला सवाई माधोपुर में काश्तकारों को हाल ही में भूमि से बेदखल किया गया है ?

(ख) अगर हां, तो इसका क्या कारण है ।

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) तहसील बोंली में ज़िला सवाई माधोपुर में गैरोट नाम का कोई ग्राम नहीं है । अलबत्ता तहसील सिकराय ज़िला जयपुर में गैरोट नाम का ग्राम अवश्य है जिसमें पहले दो साल से किसी काश्तकार को बेदखल नहीं किया ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रामधन : गैरोट नाम का गांव है ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : यह कहते हैं कि गांव है ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम ।

श्री गिरधारीलाल : गांव बताते हैं साहब।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जागीरदारों द्वारा जागीरों की ग्रान्ट

७३५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य के नियमों के अनुसार किसी जागीरदार को सिवाय अपने छोटे भाइयों के और किसी को भी ग्रान्ट देने का कानूनी अधिकार नहीं था ?

(२) क्या यह भी सही है कि मेल लिनिअल डिसेन्डेंट के अलावा अगर जागीरदार किसी को ग्रान्ट दे भी दें तो वह काबिल जब्ती है व ग्रान्ट भी नाजायज है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम मांडा, तहसील खारची के जागीरदार ने अपनी ठकुरानी को भी जागीर दी है ?

(४) क्या सरकार उन जागीरों को भी जो गैर कानूनी है मान्यता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो गैरकानूनी जागीरों को मान्यता न देने के बारे में सरकार ने क्या सक्रिय कदम उठाये हैं ?

(५) क्या सरकार मांडा के जागीरदार द्वारा उसकी ठकुरानी को दी हुई जागीर को नाजायज मानती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां। यह सही है कि मांडा जागीरदार ने अपनी ठकुरानी को आजीविका में ज़मीन सन् १९४४ में दी थी।

(४) जी नहीं, इसकी जांच कमिश्नर जोधपुर कर रहे हैं।

(५) इसकी जांच कमिश्नर जोधपुर कर रहे हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय उप मन्त्री जी ने प्रश्न १, २ में कहा 'जी हां'। फिर कमिश्नर जोधपुर किस बात जांच कर रहे हैं।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इस बात की जांच कर रहे हैं कि फेमिली की मेन्टेनेन्स के लिए ज़मीन दी गई है, वह जायज दी गई है या नाजायज़ दी गई है। उसको अलग जागीर माननी चाहिए या नहीं।

श्री तेजाराम गहलोत : इसका उत्तर प्रश्न २, ३ के उत्तर में आ चुका है कि जागीदार को इस तरह ग्रान्ट देने का अधिकार नहीं, तो फिर कमिश्नर जोधपुर के लिए कौनसा प्रश्न रह जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका आधार, १९४९ का जो कानून बना हुआ था, वह है। उससे पहले जो कानून था, उसमें क्या प्रावधान थे, यह जागीर है, यह १९४४ की निकली हुई है, उसमें क्या प्रावधान थे। उसको देख कर कमिश्नर जोधपुर जांच करेंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रावधानों की जानकारी करने की कोशिश की थी और क्या जागीर रिजम्पशन महकमें को आदेश दिये गए थे कि जो पहले कानून थे, उनकी जानकारी करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आदेश की जरूरत नहीं थी, कानून सरकारी मुलाजिम को जानने चाहिये और जानकारी करके फैसला करना चाहिये।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने बताया कि जोधपुर कमिश्नर इस कानून के पहले क्या कानून था, उसकी जानकारी कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो ग्रान्ट दी वह जायज़ थी या नाजायज़ थी, इसको मानना चाहिये या नहीं मानना चाहिये, मुआवजा देना है या नहीं देना है यह जांच कर रहे हैं, तो वे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि १९४४ में ग्रान्ट दी गई उस उक्त क्या कानून था।

श्री तेजाराम गहलोत : इस जांच के दौरान में जागीर रिजम्पशन महकमे को कार्यवाही करने के आदेश दे दिए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि आदेश नहीं दे सकते हैं, जागीर कमिश्नर के फैसले पर हमारा नियंत्रण नहीं, वे जुडिशियली इन्डीपेन्डेन्ट हैं। हमको भी अगर नाराजगी होती है, तो हम अपील करते हैं। हम कोई इन्स्ट्रक्शन्स जागीर कमिश्नर को नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी।

श्री बेनाराम गहलोत : ७५४।

सन् १९५७-५८ में बाली तहसील में अकाल सहायता

७५४. श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली-श्री बेनाराम गहलोत द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाली तहसील में सन् १९५७–५८ में अकाल सहायतार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

(ख) उक्त धनराशि वितरण करने हेतु कमेटी की कब कब मीटिंग बुलाई गई तथा वह रकम किन किन को दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) तहसील बाली में सन् १९५७-५८ में अकाल सहायतार्थ १४९५० रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) अकाल धनराशि के वितरण करने हेतु दिनांक ४-३-५८, १०-३-५८ एवं २०-३-५८ को कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, यह रकम जिन जिन ग्रामों को व जिन जिन व्यक्तियों को दी गई थी उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

माउन्ट आबू पर विकास कार्य

७६१. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री दलपतसिंह)

माउन्ट आबू पर सन् १६५७ से १६५८ तक कितना विकास कार्य हो चुका है, कितनी योजनाएं अधूरी हैं और वे कब तक पूरी हो जावेंगी ?

विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माउन्ट आबू पर विकास कार्य किया गया, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी है, क्या क्या कार्य पूरे हो गए, क्या क्या कार्य अधूरे हैं, जो काम अधूरे हैं, उनके शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

भीलवाड़ा तहसील में गॉवर्डी (Ganverdi) की बीड़

७६६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Revenue Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that the bead of 'Ganverdi' in Bhilwara Tehsil was previously under the control of the Forest Department ?

2. Is it correct that so long as it was under the control of the Forest Department it used to be auctioned every year for grass and used to bring a revenue of Rs. 4,000/—per annum ?

3. Is it correct that in 1955 this bead was earmarked for resettlement of displaced persons from the area commanded by the Meja Dam ?

4. Is it correct that not a single plot of land has yet been allotted to these displaced persons but nearly 134 bighas of land has been allotted without auction to a fictitious Society called 'Ganverdi Dairy Farm Society' with a membership of 11 persons ? If so, what are the names and addresses of these persons ?

5. Is it also correct that these 11 members of the Society are neither landless persons nor residents of the area ?

6. Is it correct that the remaining 172 bighas of land of the said bead have now been allotted in January, 1958 to the family members and relations of the said 11 members of the Society ?

7. Is it correct that local people have represented to the Government against this allotment of land to the outsiders ?

8. What is the annual revenue, the Government now receives from this 'Ganverdi Bead' ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(1) Yes.

(2) Yes. But the average annual income was about Rs. 1860 only.

(3) Yes.

(4) It is correct that no plot has so far been allotted to displaced per-

(श्री पी० के० चौधरी)

sons because they did not like the site in question. They were given land in Naya Samalia. For this reason this land was lying vacant. 100 Bighas of land has been allotted to the Ganverdi Dairy Farm Society but its membership is 24 and not 11. A list of members of the Society has been placed on the Table of the House.

(5) The Society has 24 members and not 11. 14 of these are landless and the remaining 10 have got land as mentioned in the list referred to above. All these persons are local residents except two who belong to 'Pwr' as shown in the list.

(6) Remaining 1721/2 bighas not 172 bighas was allotted to the members in July, 1958 and not in January, 1958. A list of such allottees has been placed on the Table of the House. Some of these are relatives to the members of the Society.

(7) Yes.

(8) In Sambat 2014, Rs. 2,501/-.
In Sambat 2015 Rs. 581/14/-.

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : पार्ट ४ के रिप्लाई में कहा था कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को जमीन देने से इन्कार कर दिया था। क्यों उनको इन्कार किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर ने अलॉटमेंट करना चाहा, जिन्होंने कर दिया उनको जमीन नहीं दी गई।

श्री पी० के० चौधरी : जिन्होंने इन्कार कर दिया था, उनकी अंगूठा निसानी हैं या दस्तखत हैं कि उन्होंने इन्कार कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : That I cannot say, but this is the information from the Collector and I presume that to be correct.

श्री पी० के० चौधरी : यह डेअरी फार्म सोसाइटी कोपरेटिव सोसाइटी के अन्डर में रजिस्टर्ड है या कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is registered under what Act, I cannot say, but it is registered as a dairy farm.

श्री पी० के० चौधरी : आपने लिस्ट दी है, पार्ट ५ के उत्तर में लिस्ट दी है, उसमें मणिशंकर वल्द रामचन्द्र और किशनलाल, इन दोनों को भूमि हीन बताया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन कौन ?

श्री पी० के० चौधरी : आइटम नम्बर १९, श्री मणिशंकर रामचन्द्र, आइटम नम्बर २०, किशनलाल। इन दोनों को लैंड लेस बताया है क्या यह बात सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Nothing is written against him in my list.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि मणिशंकर के पास २० बीघा और

Page No.33

(श्री पी० के० चौधरी)

हमीरगढ़ में उसके पास ७० बीघा जमीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। आप सूचना देते हैं तो जानकारी करूंगा। न० २० और न० २६।

श्री पी० के० चौधरी : मेरे पास में लिखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : No thing is written against him in my list. आपने जो सूचना दी है कि हमीरगढ़ में उसके पास अलग जमीन है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि मणिशंकर ने हमीरगढ़ में जो जमीन है ७० बीघा उसमें से दो बीघा भूदान में दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। I will find out and let him know next time

श्री पी० के० चौधरी : दूसरी लिस्ट में आपने आइटम १०, ११, १७ में रिलेटिव का कॉलम दिया है उसमें उनकी क्या रिश्तेदारी है नहीं बताया है। क्या यह सही है कि आइटम नम्बर १० पर जमनाप्रसाद का सगा भाई है। ११ में कजिन ब्रॉदर है और १७ में ब्रॉदर इन्-लॉ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने बताया है कि वे रिश्तेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : साला है या भाई है आपकी मंशा यह पूछने की नहीं थी।

नेक्स्ट।

तारांकित प्रश्नोत्तर

आर० ए० एस० इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट

१२३६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर-रावराजा श्री सरदारसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) आर० ए० एस० इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किन नामों की सिफारिश की थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि उस सूची में सरकार ने रद्दोबदल किया है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि इसी रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ व्यक्तियों को सरकार ने ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर नियुक्त करने के सुझाव पर विचार किया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) ६३। सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) हां। तहसीलदारों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की निर्धारित संख्या पूरी करने के लिए रूल्स के अनुसार रद्दोबदल किया गया।

(३) जी हां। एक व्यक्ति को ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर बनाया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो रद्दोबदल किया है in order of priority नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर हुआ यह रद्दोबदल ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तहसीलदार और अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी पूरी तादाद नहीं आने की वजह से यह रद्दोबदल हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजगढ़ तहसील में आबादी क्षेत्र से बाहर बाड़े बनाने सम्बन्धी

१२४४. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील, ज़िला चूरू के गांवों में आबादी भूमि की सीमाएं निर्धारित न होने की वजह से लोगों ने कुछ बाड़े आबादी क्षेत्र से बाहर बना रखे हैं ?

(२) क्या जब ये बाड़े बनाए गए थे तब सरकार ने बाड़ा बनाने वालों को ऐसा करने से मना किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा अब उन बाड़ों के मालिकों पर मुकद्दमें बनाए जा रहे हैं ?

उप मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) आबादी भूमि की सीमायें निर्धारित हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अनाधिकार आबादी क्षेत्र से बाहर बाड़े बना रखे हैं।

(२) जी नहीं, क्योंकि बाड़े बिना किसी सूचना के बनाये गये थे।

(३) जी नहीं।

(४) क्योंकि ये बाड़े अनधिकृत रूप से एवं बिना सूचना के बनाये गये हैं जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के विरुद्ध है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या पंचायतों को आबादी भूमि का कब्जा दिया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऑर्डर दे दिया गया था और ऑर्डर से उनका कब्जा हो गया था।

श्री भीमसेन : डिमार्केशन की सीमाएं थोड़ी ही लगाई थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायतों को यह मालूम होना चाहिये की आबादी भूमि कहां है। यह पंचायतों को जानना चाहिये और इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

अलवर जिला में जागीरदारों को मुआवजा

१२५४. **श्री रघुवीरसिंह** (राजगढ़) :

(श्री रघुवीरसिंह)

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नकदी जागीरों के पुनर्ग्रहण हुए काफी अर्सा हो जाने पर भी अलवर ज़िले में जागीरदारों को अभी तक मुआवज़े की रकम मिलना प्रारम्भ नहीं हुई है ?

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या वजह है और कब तक मुआवज़ा मिलना शुरू हो जाएगा ?

उप–मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) अभी जांच हो रही है जल्द ही मुआवज़े के लिये निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

९.१५ म० पू०

जनलेखा समिति व प्राक्कलन समिति के निर्वाचित सदस्य

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति, १९५९-६० के लिये निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :

जनलेखा समिति

(१) श्री हरिदेव जोशी (५६)

(२) श्री भवानीशंकर नन्दवाना (१७)

(३) श्री भीमसेन (१९)

(४) श्रीमती सुमित्रा देवी (१६५)

(५) श्री श्रीमानसिंह (१६२)

(६) श्री भैरोंसिंह (१४)

(७) श्री विशम्भरनाथ जोशी (२२)

(८) श्री परसराम मदेरना (११९)

(९) श्री होतीलाल (६३)

(१०) श्री तनसिंह (१६७)

प्राक्कलन समिति

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (१५१)

(२) श्री जगदीशप्रसाद माथुर (६५)

(३) श्री रामदेवसिंह (१३१)

(४) श्री गुलाबसिंह (५२)

(५) श्रीमती प्रभा मिश्रा (१२३)

(६) श्री भंवरलाल शर्मा (१६)

(७) श्री गनपतीलाल वर्मा (५४)

(८) श्री लालूराम (८४)

(९) श्री पी० के० चौधरी (१२१)

(१०) श्री धर्मपाल पंवार (३९)

(११) श्री भौलानाथ (२१)

(१२) श्री गोपाललाल पुरोहित (४९)

(१३) श्री लक्ष्मीचन्द (८३)

(१४) श्री शंकरलाल (१५३)

(१५) श्री गिरधारीलाल (४७)

इन समितियों का कार्यकाल १४ मई, १९५९ से प्रारम्भ होगा।

विशेषाधिकार प्रश्न

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : सभापति महोदय, मैंने जो प्रीविलेज़ मोशन

(श्री मुरलीधर व्यास)

मूव किया उसका कोई जवाब नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से ?

श्री मुरलीधर व्यास : एक तो मंत्री महोदय ने जो गलत जवाब दिया उसके सम्बन्ध में था और दूसरा और था और वह इस सम्बन्ध में था कि मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा उसके सम्बन्ध में प्रमाण देते हुए मैंने लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आप उपस्थित नहीं थे इसीलिये उस पर कोई निर्णय आपकी अनुपस्थिति में नहीं लिया गया। सरकार की ओर से उसका उत्तर आया है। मगर आप अनुपस्थित थे।

९.१७ म० पू०

विधेयकों का पुरः स्थापन

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज़ बिल, १९५९।

राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १९५९

उप-मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १९५९

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ फ्यूनरल फिस्ट्स बिल, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करताहूं।

श्री पी० के० चौधरी : I have got an objection to the title of this Bill. It should not be 'Funeral Feasts Bill.' Funeral looks very incorrect. Either it should be....

(श्री पी० के० चौधरी)

'मृत्यु भोज बिल' या death ceremony Bill.

श्री अध्यक्ष : इसका ट्रान्सलेशन किया है ।

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, Funeral is different fram Mratyu-Bhoj.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसको हिन्दी के नाम से....

श्री पी० के० चौधरी : Funeral means actual burial ceremony or the burning ceremony, but this Bhoj is not on the occasion of the burning. As a matter of fact, after the funeral, people take their bath and don't take their meals before it. So this title should be changed and after that the Bill be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष : We will take it into account at the proper time.

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल, १६५८ ।

६.२५ म० पू०

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८

(विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर वादविवाद)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ पर बोल रहा था और मैंने बताने की कोशिश की थी कि इसके अन्दर एक हिन्दू शब्द रखा गया है यह शब्द न होकर सारी पब्लिक के लिये और किसी धर्म विशेष के लिये उपयोग नहीं होकर, सब के लिये होना चाहिये था । मैंने यह बताया था कि यह ऐसा विषय है जो केन्द्र के अधीन होता है । जैसे अनाज की व्यवस्था आदि के नियम होते हैं - वैसे ही यह भी आ सकता है और जब केन्द्रीय सरकार इसके लिये विचार कर रही है जो राजस्थान में इस प्रकार का खर्चा क्यों किया जावे ? जब केन्द्र से कानून बनता है तो इस प्रकार राजस्थान में अनावश्यक रूप से खर्चा किया जावे इसकी जरूरत नहीं है । मैंने कल इसके सेक्शन ११ पर जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में आक्षेप लगाते हुए कहा था कि जो इस प्रकार की कमेटी एपॉइन्ट की जावेगी उसमें केवल ऐसे लोग आ जावेंगे जो इसमें किसी तरह से भी इन्ट्रेस्टेड नहीं होंगे और वे हमेशा सरकार के मुंह की तरफ देखते रहेंगे । ऐसे लोग आवेंगे जो सरकार के मुखापेक्षी हों और खास तौर से उन्हीं लोगों को लिया जावेगा जो सरकार की हां में हां मिलाने वाले हों । इससे किसी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं सुधरेगा । क्योंकि अभी तक जो भी एक्सपेरिमेन्ट किये गये हैं नाथद्वारे के

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मन्दिर और दूसरे मंदिर के जिसका मैनेज़मेंट सरकार ने अपने हाथ में लिया है, उसका प्रबन्ध गिरता ही गया है बजाय सुधरने के। उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। जब हम इस प्रकार की बातें देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यह उचित नहीं हो सकता। इसके लिये जो आशंका प्रकट की वह यह थी कि अलग अलग साम्प्रदायों में जिस प्रकार शैवों और वैष्णवों में और दूसरे मज़हब के लोगों में, दिगम्बरों और श्वेताम्बरों में जिस प्रकार का वातावरण नजर आता है फिर से वही धार्मिक झगड़े खड़े होते नज़र आवेंगे। हम एक तरफ यह चाहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं में एकता कायम हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा और आपस में बड़े बड़े झगड़े शुरू हो जावेंगे और जो एकता अभी मिल रही है वह समाप्त हो जावेगी। इसके बाद में इसमें जो सेक्शन रखा गया है कि किसी भी अदालत में धर्म के प्रति अन्याय होता है तो वह अदालत में नहीं जा सकता। जो ५८ सेक्शन था कि कोई आदमी न्याय के लिये अदालत में नहीं जा सकता यह हटना चाहिये। वहां यह था कि कुछ एग्जेम्पशन आपने रखे हैं। जिसको आप चाहें छोड़ सकते हैं। इससे यह होगा कि करप्शन बहुत बढ़ेगा। इसके बाद....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कल कही हैं उन्हीं को दोहरा रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी बातें वे कल कह चुके हैं उनको वापिस यहां न कहें।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो बातें कल नहीं कही उन्हीं पर आ रहा हूँ। अब मैं सदन का खास ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे संविधान में धर्म के मामलों में सब को स्वतन्त्रता दी गई है। वे चाहें तो अपने इन्स्टिट्यूट चला सकते हैं और अगर वे चाहें तो मन्दिर। इसके लिये सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं संविधान (कॉन्स्टिट्यूशन) की धारा को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और उस पर जो कमेन्टरी है उसको भी सुनाना चाहता हूं। जो कमेन्टरी है वह बसू की है उसको मैं आपके सामने पढ़ कर आपको बताता हूं : Article 26. Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right-(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, (b) to manage its own affairs in matters of religion, (c) to own and acquire moveable and immoveable property and (d) to administer such property in accordance with law. अब लॉ क्या है इसके विषय में आप कह सकते हैं। ३२४ पर यह डिफाइन किया गया है–'Right to administer property in accordance with law.' इसमें लिखा है "A law which takes away the right of administration from the hands of a religious denomination altogether and vests it in any other authority would amount to a violation of the right guaranteed in the present clause. Similarly, a law which requires that sanction of the Commissioner of Endowments should be necessary for spending the surplus income for the propagation of the religious tenets of the order which is

(श्री दयाकृष्ण विजय)

one of the primary functions of the Mahant to discharge, would be void." यहां पर यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर हो या किसी संस्था की ओर से कोई काम करता हो और वह अगर किसी दूसरे हाथ में दे दी जाती है या महन्त को अधिकार है किसी प्रोपर्टी को देने के उसके अधिकार दूसरों को दे दिये जाते हैं तो यह सारा का सारा प्रोसिडिंग्ज़ गलत होगा। आपने इस विधेयक के सेक्शन ३७ में लिखा है 'Commissioner to be Treasurer of Charitable Endowments.' आपके जितने भी धार्मिक प्रन्यास हैं उनमें कमिश्नर ट्रेजरार होगा। यानि खर्च करने का अधिकार है वह कमिश्नर के हाथ में रहेगा। मैं आपको सेक्शन ४१ पढ़ कर बताना चाहता हूँ "(2). The Assistant Commissioner, after making such inquiry as he considers necessary and, where the application has not been made by the working trustee himself, after giving him a reasonable opportunity of being heard, direct such working trustee or any other trustee or person having interest in the trust to apply to the court for the appointment of a new working trustee..." इस तरह से आप नये ट्रस्टी को एपॉइन्ट कर सकते हैं और कमिश्नर के हाथ में सारी सम्पत्ति को आप अपनी इच्छा से सौंपते हैं ताकि वह उसका मैनेजमेंट करे या किसी नये व्यक्ति के हाथ आप मैनेजमेंट दें यह आपके संविधान की धारा २६ के विपरीत पड़ता है। यदि किसी ने अपनी इच्छा से दान दिया है या किसी को ट्रस्टी कायम किया है और यदि आप उसको बदलना चाहते हैं तो यह उस व्यक्ति के विचारों के विपरीत पड़ता है और जैसा मैंने बताया Ratilal Panchand V. State of Bombay सुप्रिम कोर्ट का डिसिशन है उसमें यह तय है कि सरकार किसी प्रकार का उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है रद्दोबदल नहीं कर सकती और एडमिनिस्ट्रेशन दूसरों के हाथ में नहीं दे सकती। इसमें यह रखा है कि जितने भी एन्डोमेंट हैं सारे के सारे महन्तों के हाथ में हैं। और अगर उनको दूसरों के हाथ में दिया जावेगा तो यह वोइड होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम नियम बना रहे हैं उस समय हमको संविधान की धाराओं में संविधान द्वारा जो स्वतंत्रता गई है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। हम एक धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हैं तो हमें धर्म के मामले में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये लेकिन देखने को यह मिलता है कि जब कोई किसी प्रकार के धार्मिक इन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो यह कानून उनको फ्लोरिश करने में बाधक बनता है। जब हम यह देखते हैं कि दान करते वक्त जो दान दिया जायगा वह राज्य सरकार के हाथ में जाने वाला है और उस धन का धर्म के मामलों में और काम में उपयोग नहीं होने वाला है तो हमारी त्याग और दान करने की जो मनोवृत्ति है उस पर भारी आघात पहुँचता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान की धारा २६ के खिलाफ आपका यह सेक्शन ३६, ३७ है और सेक्शन ११ के द्वारा जो एडवाइज़री कमेटी बनेगी और उसका प्रबन्ध उनके हाथ में देना चाहते हैं और कमिश्नरों को देना चाहते हैं वह सब हमारे संविधान की धारा २६ के खिलाफ होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गौ हत्या के बारे में और उसके बाद सुप्रीम

Page No.40

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कोर्ट में निर्णय देते हुए कहा गया है कि इस प्रकार का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कानून बना दिया गया उसके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्यवाही होगी और फिर हमें इसमें संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए प्रारम्भ ही में यह सोच लेना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति न हो, लोगों को खर्च न करना पड़े इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम संविधान की धारा २६ को सामने रखते हुए इस प्रकार का कानून न बनायें, किसी व्यक्ति के धर्म में या धार्मिक प्रन्यासों में अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप न करें और इस बिल को वापिस लें। इसी आधार पर मैंने कल भी इस बिल का विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक के बारे में जो जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं वे मैंने ध्यान पूर्वक सुनी। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध भी किया और कहा कि इस प्रकार का बिल आना ही नहीं चाहिये। कुछ लोगों की यह राय रही कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और कुछ की राय यह रही कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। जहां तक इस विधेयक का सवाल है, मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार का विधेयक यहां होना चाहिये जिससे जो इस प्रकार के सार्वजनिक ट्रस्टस हैं उनके ऊपर नियन्त्रण हो और उनके धन का दुरूपयोग न हो सके। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी महसूस करते हैं उसमें इतनी आजादी होनी चाहिये इस प्रकार के जो सार्वजनिक ट्रस्टस बनते हैं उसके अन्दर जो लोग रहते हैं इस प्रकार के सार्वजनिक संस्थायें जिनके कल्याण के दृष्टिकोण से इस प्रकार के ट्रस्टस का निर्माण करते हैं उनके विकास में उनके हित में इस प्रकार के ट्रस्ट के धन का सदुपयोग होता है उसके विकास में सहयोग हो सके ये बातें होनी चाहिये। मैं समझता हूं जो इस प्रकार की परम्परा हमारे देश में चली है प्राचीन काल से साधारण आदमी की यह मनोवृत्ति रही है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर के वे कुछ न कुछ निर्माण कार्य करते हैं और चाहते हैं कि उनके कमाये हुए धन का उपयोग सार्वजनिक जनता के लिये हो। इस भावना को लेकर के अनेक प्रकार की धर्मशालायें मन्दिर संस्थायें आदि का निर्माण होता रहा है। यानि इस प्रकार की प्राचीन भावना के अन्दर यह हमारे समाज का ढांचा रहा है और लोगों ने इस प्रकार के काम किये हैं। यह जो स्थिति रही है उसमें हमें देखना है कि आज क्या स्थिति है क्या नहीं लोगों का क्या कहना है ? यह ठीक बात है कि सारे कामों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहनी चाहिये। धार्मिक मामलों में सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

धर्म के नाम पर नाना प्रकार की बातें कही जाती है मैं मानता हूं कि सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न हो। धार्मिक मामले को लेकर के किसी बात को यह कह कर के छोड़ देते हैं कि इससे उनके कार्य में बाधा पहुँचेगी, मैं समझता हूं यह बुरी चीज है। जो प्राचीन काल से परम्परा चली आ रही है, मनुष्य की मनोवृत्ति क्या है चाहे

(श्री मुरलीधर व्यास)

पब्लिक ट्रस्ट हो उसके ट्रस्टीज जिनको बना दिया जाता है वे करते क्या हैं मन्दिरों के जो बड़े बड़े पुजारी हैं भगवान के नाम पर सेवा पूजा करते हैं वर्षों से करते हैं उनकी मनोवृत्ति होती है वह ऐसी होत, है वे भगवान के नाम पर आनी वाली चीजों का गबन कर देते हैं मनमाने तौर पर दुरुपयोग करते हैं। ऐसी ऐसी अनेक घटनायें घटी है राजस्थान में ही नहीं दूसरे प्रान्तों में यहां तक हुआ कि भगवान की मूर्ति थी, उस मूर्ति को पुजारी तक ने जिसकी बीस साल तक सेवा पूजा करता रहा लाखों रुपये का माल मूर्ति के लिये आ जाने पर उस मूर्ति को लेकर जिसके लिये हीरे पन्ने इकट्ठे हो गये काफी जवाहरात मूर्ति के नाम पर आ गया वैसी हालत में उस पूजारी ने जिसने बीस साल तक उस मूर्ति की सेवा पूजा की उस मूर्ति को उठाकर कुएं में डाल दिया और माल को घर में छिपा लिया। उसके बाद में जांच हुई तो यह पता चला कि मन्दिर के पुजारी ने मूर्ति को कुएं में डाल दिया और धन को घर में छिपा दिया। धर्म के नाम पर लोग क्या कार्य नहीं करते वह इससे साफ प्रगट होता है। धर्म के नाम पर जिस व्यक्ति ने बीस वर्ष तक उस मूर्ति की सेवा पूजा की उसने धन के लोभ में आकर उस मूर्ति की सेवा को एक तरफ रख दिया और उस मूर्ति को कुएं में डाल दिया और धन को छुपाकर रख दिया।

अभी कुछ दिन पहले नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न सदन के सामने रखा था उसमें एक ट्रस्ट था उसमें एक करोड़ रुपये के करीब था। कुछ लोग उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज थे। उन ट्रस्टीज ने किस प्रकार से उस सारे ट्रस्ट के रुपये का गबन किया। सरकार की स्टेटड्यूटी को छिपाने के लिये क्या क्या काम किया इस बारे में प्रश्न रखा था। उस समय पूरी जानकारी मुझे भी नहीं थी फिर मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की मुझे पता चला कि इस ट्रस्ट में एक करोड़ रुपये के करीब था वह एक महिला द्वारा निकाला गया था। उस महिला के वारिस नहीं था, लड़का नहीं था न उसके आगे पीछे कोई था। एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति के लिये एक ट्रस्ट को अपॉइन्ट किया मेरे धन का संचालन इस प्रकार से होगा। उस गुप्त दान में पांच आना जनता के लिये रखा। जन कल्याण की दृष्टिकोण से उस रुपये को लगावें। इसमें एक स्कूल के लिये धन लगाने की बात थी और इस प्रकार वह एक सार्वजनिक संस्था में धन लगाने की बात थी। पर जिनको ट्रस्टी मुकर्रर किया था उन पर सरकार का नियन्त्रण नहीं था और इसलिये उन्होंने उस धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत कामों में किया और सरकार को उन्होंने स्टेट ड्यूटी सात लाख की बताई और बाकी का इतना रुपया गबन कर गये। इस सारे मामले की सारी बातें सरकार को बताई गई। बहुत कुछ कार्यवाही करने के लिये कहा गया। पर आश्चर्य यह है कि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्यवाही नहीं कराई गई। धन के लालच में संचालकों ने उस महिला को, जिसका कोई वारिस था नहीं उसको सवेरे छः बजे जब मालूम पड़ा कि उसकी हालत खराब है तो इन्जेक्शन लगाकर मरवाया और सुबह छः बजे से ही बोरियां में भर भर कर धन वहां से ले जाकर इन्होंने अपने अपने घरों में छिपाया। वह धन बम्बई में जाकर भी बिका। काफी रिपोर्ट करने कराने

(श्री मुरलीधर व्यास)

पर बम्बई में तलाशी ली गई और कुछ पकड़ा भी गया । ऐसे मामलों में भी हमारी यह राजस्थान सरकार जहां उसे सारी ड्यूटी मिलाकर पच्चीस तीस लाख रुपया मिलने वाला था, और जिसकी राई रत्ती खबर दी गई, कोई कार्यवाही नहीं की, चुपचाप देखती रही। सरकार इस तरह के कानून बनावे यह ठीक बात है। पर साथ ही साथ उसको जागरुक रहना चाहिये। बताने पर और सारी बातें उसके ध्यान में आने पर तत्परता से जांच करानी चाहिये। मैंने जब रेकार्ड देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि यह बात पन्तजी और नेहरुजी तक गई। आखिर पन्तजी को राजस्थान सरकार को यह लिखना पड़ा कि इसकी जांच करो। इस पर मजबूरन जांच करानी पड़ी सरकार को। पर फिर भी किया क्या इस सारे मामले के लिऐ एक मामूली से सब–इन्सपेक्टर को अपॉइन्ट किया और उस सब–इन्सपेक्टर की ऐसे मामले में कोई हिम्मत नहीं हो सकती थी। जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल है जिसमें सत्ताधारी पक्ष के लोग शामिल हैं और ये लोग हैं जो सारे बही खाते छुपाये हुए हैं सारा धन छुपाये हुए हैं और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है कि इस मामले को सरकार ढीला छोड़ दे। इसके लिये पन्तजी, राजस्थान के गवर्नर, मन्त्री लोग, राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री तक को पत्र लिखे गये। आखिर ऊपर तक सारी कार्यवाही की गई और ऊपर से उन लोगों ने जब राजस्थान सरकार को कहा कि छानबीन करो तो मजबूरन गवर्नमेन्ट ने कुछ किया पर वह भी किया बेमन होकर और क्या किया कि बीकानेर से एक सब–इन्सपेक्टर को इसकी जांच के लिये अपॉइन्ट किया। अब इस पर सब-इन्सपेक्टर ने भी जो जांच की...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : क्या यह केस किसी कोर्ट में पेन्डिंग है ?

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की जांच चल रही थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी सूचना ऐसी है, यह कैसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेन्डिंग है और चालान कर दिया गया है कोर्ट में इस केस का।

श्री मुरलीधर व्यास : चालान किया गया है अगर यह आप कहते हैं तो यहां तक है तो अच्छा है। पर····

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप अपनी सूचना को फिर वेरीफाई करलें कि वाकई में यह केस कोर्ट में चालान कर दिया गया है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझ से ज्यादा वे जानते हैं कि अदालत में चालान कर दिया गया है या क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं न कि चालान कर दिया है। क्या इसको सही मान लिया जावे ?

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस ने उसे रोक रक्खा है, न मालूम किसके कहने से। रोका हुआ है पांच महिनों से। सब-इन्सपेक्टर कहता है, मैं तो यह कर नहीं पाता जबतक ऊपर के अधिकारी इसमें रुचि न लें। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के करोड़ों के मामले में जब सरकार ही सुस्त है

(श्री मुरलीधर व्यास)

जब तक वह सतर्क होकर काम न करे तो फिर इस तरह के कानून बनाने मे क्या लाभ है ? तो मैं इस मामले में कहना चाहता हूं कि गड़बड़ गोटाले हुए हैं, हो रहे हैं। पब्लिक ट्रस्ट में पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकारी नियन्त्रण मैं आवश्यक मानता हूं। सरकार को इसमें जागरुक रहना होगा, उसकी मशीनरी को ठीक बनना पड़ेगा। सरकार के पक्ष वालों को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने से रोकना पड़ेगा। और इस मामले में जनता को भी जागरुक होना पड़ेगा। सरकार और जनता दोनों को जागरुक होना पड़ेगा। तभी इस कानून का ठीक उपयोग हो सकेगा। मैं इस मूल विधेयक को इस आशा से इस नजर से देखता हूं। विरोध के दृष्टिकोण से नहीं। मैंने जो तथ्य रक्खे हैं सरकार को उन्हें देखना चाहिये। इसमें मन्दिरों की व्यवस्था ही नहीं करोड़ों रुपये के जो ट्रस्ट हैं जो पब्लिक ट्रस्ट हैं वे सारे ट्रस्ट रिकग्नाइज्ड होने चाहिये, रजिस्टर्ड हों और साथ ही साथ सरकार के अधीन हों। ऐसे ट्रस्टों में जो गड़बड़ी हो उसे रोकने और जांच करने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। ये सारे पॉवर, सरकार अपने हाथ में रक्खे पर वह यह देखे कि जो बुनियादी उसूल हैं मंदिर के ट्रस्ट के जो जनता की भावना है उनमें और जिस भावना से प्रेरित होकर जनता उनमें पैसा देती है उस भावना की पूरी पूरी रक्षा हो। जो हमारे देश की परम्परा चली आ रही है, धार्मिक संस्थाओं के विकास करने की इससे जनता के कल्याण के लिये कुछ काम करने की और इन कामों में धन लगाने की उस भावना की रक्षा हो। अगर इन बातों को अलग रख दिया जावेगा तो नतीजा यह होगा कि या तो सरकारी अधिकारी इन जैसे मामलों में बहुत ज्यादा गड़बड़ी करेंगे जैसे मैंने पहले भी कहा था कई बार कि जब बीकानेर मर्ज हुआ राजस्थान में तो उस समय वहां के लक्ष्मीनारायणजी के मंदिर के गहनों की श्रृंगार की सामग्री की एक लिस्ट बनाई गई थी। अब वह लिस्ट जिन लोगों ने बनाई बनाते वक्त उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी सामग्री और जेवरातों का जिक्र नहीं किया, वह दर्ज नहीं किये। जो दर्ज की उसके अतिरिक्त जो सामग्री है जिसे पुजारी पहले लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर में लगाते थे वे लाखों रुपये के जेवरात लिस्ट में नहीं हैं। तो इस प्रकार का गबन उस जमाने में भी हुआ। इसकी जांच सरकार ने की, कहां तक की, क्या की, कुछ पता नहीं। पर मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि किस प्रकार से किन किन लोगों ने भगवान के जेवरों तक को गायब किया। इसमें बड़े बड़े लोग थे। संस्थापक, संचालक, कमिश्नर वगैर थे। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता कि कौन कौन वे थे। पर इतना कह सकता हूं कि इसके दबाने में बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ था, बड़े बड़े लोगोंका हाथ था। जांच की जावेगी तो मालूम पड़ेगा। कि जो जवाहरात भगवान के श्रृंगार के खास खास मौकों पर रक्खे जाते थे, उनको आज पुराने पुजारी नहीं देखते। मुझे जब मालूम पड़ा कि गंगासिंहजी के जमाने में जुबिली के मौके पर जो श्रृंगार सामग्री रक्खी थी पुजारियों से पूछा तो मालूम पड़ा बहुत अच्छी श्रृंगार की सामग्री मिली थी। काफी अच्छे जेवरात थे। मैंने फिर पुजारी से पूछा कि इसके बाद में ऐसा श्रृंगार सामग्री का, जब जब मौका आया कभी वे जेवरात फिर भगवान के श्रृंगार में रक्खे गये, इस पर उन्होंने कहा कि वे तो मिलते ही नहीं। वे कहां गये ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

पूछते हैं तब भी पता नहीं चलता । तो जिस पुजारी ने अपने हाथ से इन गहनों को शृंगार में रक्खा वे आज खज़ाने में या लिस्ट में नहीं दिखाई देते तो फिर गये कहां ? इस प्रकार के मामले इस सरकार के शासन में अक्सर होते रहते हैं । ऐसे मामलों में···

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूचना दे रहे हैं आप कौनसे मन्दिर का ? Is it a Government temple ? कैसा मन्दिर है यह ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह बीकानेर का लक्ष्मीनाथजी का मन्दिर है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज करूंगा कि ये सीरियस चार्जेज़ लगाये हैं कि वहां के जेवर कुछ अधिकारियों ने मिल कर उड़ा लिये और अगर माननीय सदस्य तैयार हों कि इसमें वे मदद करेंगे सरकार की, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसकी एन्क्वायरी सैट अप करूंगा और माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसको साबित करने के लिये सरकार की पूरी मदद करें जिस प्रकार वे प्रमाणित कर सकते हों । मैं एन्क्वायरी आज ही सैट-अप कर दूंगा । जितना मैटीरियल उनके पास हो वे दें । बीकानेर के कमिश्नर को मुकर्रर कर दूंगा कि इस बात की एन्क्वायरी करें । मैं चाहूंगा कि इस बात के लिये जितना मैटीरियल हो, एविडेन्स या प्रूफ हों देकर साबित करें क्योंकि यह मेरी जानकारी में नहीं है कि इस तरह से गबन कर दिया गया है कोई । आपने सवाल पूछे और सवाल के जवाब मिल गये होंगे पर सवाल पूछने से यह नतीजा नहीं निकल सकता कि सही मामला क्या है ? आप बहुत डेफीनेटली कह रहे हैं कि लाखों रुपये के जेवरात सरकारी अधिकारियों ने सरकारी मन्दिर में से गबन कर लिये । यह एक सीरियस चार्ज है । तो जैसा मैंने अर्ज किया मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वे जरूर इस एन्क्वायरी में अपना पूरा सहयोग दें, बल्कि साबित करें । मैं एन्क्वायरी सैट अप करूंगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं फिर आश्वासन देता हूं कि इस प्रकार की एन्क्वायरी आप करेंगे तो पूरा सहयोग दूंगा । पुराने रेकॉर्ड हिसाब किताब जो पुजारियों के पास रहते थे वे भी बताऊंगा, मैं कहता हूं हर तरह से सहयोग के लिए तैयार हूं । सात लाख के जो जेवरात कम हैं उसमें मालूम पड़ेगा । उस समय के भाव के हिसाब से, पुराने हिसाब से कहता हूं । आज के भाव नही कह रहा हूँ । जांच आप करावेंगे तो खाली मैं ही नहीं, हर आदमी आपको पूरी जानकारी देगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कमिश्नर बीकानेर को मुकर्रर किया जावेगा और आप इसमें जो एविडेन्स देना चाहें दीजियेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : जरूर दूंगा ।

तो मेरा जो दृष्टिकोण था यह था कि इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसमें सरकार को जागरूक होना चाहिये परन्तु जब सरकार को सारी बातें मालूम पड़ने और कराने पर भी सरकार जान बूझकर हस्तक्षेप नहीं करती है जैसा कि यह एक करोड़ का मामला था, पब्लिक ट्रस्ट के लाखों रुपयों का मामला, था, डेथ ड्यूटी के लाखों रुपयों का मामला

(श्री मुरलीधर व्यास)

था उस पर भी टालमटोल करें तो यह अच्छा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा माननीय सदस्य से कि जिन आदमियों के लिये वे कह रहे हैं उनमें से दो चार का नाम बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि खाली जनरल एलीगेशन लगाने से ऐसा होगा कि सरकार पता लगा नहीं सकती। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है आया वे किसी कोर्ट में पुट अप हो गये हैं या नहीं यह मालूम हो तब तो पोजीशन मालूम पड़े।

श्री मुरलीधर व्यास : तो इसमें नाम तो हजारीमल चतर, जेठमल नाहटा, कमला बाई खजांची, चौरुलाल, अडोप्टेड सन, और भी नाम हैं जो इस समय याद नहीं हैं। आप इसकी भी जांच करेंगे तो ये भी और मैं बताऊंगा। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का एक करोड़ का मामला है और कितने रुपये कहां कहां पर हैं, बाकायदा प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकेंगे। और ८० लाख का तो अभी तक प्रमाणित किया जा सकता है और आप जांच करावें और इस बात का आश्वासन दिया तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि प्रमाणित करूंगा कि किस प्रकार पब्लिक ट्रस्ट का तीस लाख रुपया जो आता है उसे किस प्रकार से गबन करने की कोशिश की गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप खुद ही कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में केस पुट अप भी कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह कोर्ट में केस अभी पुट अप नहीं किया। अभी तो चालान भी नहीं किये हैं। कार्यवाही वहां तक रुकी हुई है क्योंकि ऊपर से राजस्थान सरकार की तरफ से कोई फोर्स नहीं किया जाता। जब केन्द्रीय सरकार कहती है तो फौरन और ठोस जांच की जानी चाहिये पर पांच महीने से जो कुछ उस सब-इन्सपेक्टर ने किया उसे भी दबाये बैठी है राजस्थान सरकार क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, जो जिला कांग्रेस के पदाधिकारी होते हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े सदस्य होते हैं और जो मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सरकार पर जोर डाला जा रहा है और मामला वहां का वहीं रह जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस मामले में कमिश्नर महोदय की नियुक्ति करके जांच करायेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी यह सूचना है कि उसका चालान कोर्ट में कर दिया गया है और आप कह रहे हैं कि नहीं किया है। अब मैं उस सूचना को कन्फर्म कर रहा हूँ कि आया उसका चालान कर दिया गया है या नहीं। अगर उसका चालान कोर्ट में हो गया है तो इस मामले में मैं कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगा और अगर इस मामले को कोर्ट में भेजने के लिए पुलिस के पास कोई एवीडेन्सेज़ ज्यादा हैं तो सरकार यह कर सकती है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी कोर्ट में पेश कर दे। अब यह तो दो पार्टीज़ जो कि प्राईवेट हैं उनका मामला है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक मरने वाले ने विल (will) की और उसमें पब्लिक ट्रस्ट के लिए लिखा और जो उसके

Page No.46

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रिश्तेदार हैं उन्होंने उसको हटा लिया। अब यह झगड़ा तो उसके रिश्तेदारों का है। अब पुलिस ने कोर्ट में दे दिया और उसका चलान हुआ या नहीं जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसका चालान नहीं किया और वह केस ५ महीने से पड़ा है तो मैं जांच करके बता सकूंगा कि केस किस स्टेज़ पर है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): उस औरत का कोई संबंधी था ही नहीं इसीलिए ही तो सारी की सारी सम्पत्ति गवर्नमेंट की थी क्योंकि वह लावारिस थी।

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हैं यह तो एवीडेन्स का प्रश्न है लेकिन जहां तक एन्क्वायरी का प्रश्न है मंत्री महोदय ने कह दिया है कि शीघ्र ही जांच कराके चालान करेंगे। So much the better.

श्री गिरधारीलाल: यह तो कह रहे हैं कि यह दो प्राईवेट पार्टीज़ का झगड़ा है।

श्री अध्यक्ष: झगड़ा है या नहीं यह तो कोर्ट से ही फैसला होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास: पुलिस इन्वेस्टीगेशन की जानकारी मेरे पास है। केस को मजिस्ट्रेटी में दिया गया है, और शायद उसका चालान भी कर दिया गया है। फिर भी मैं कन्फर्म कर लूंगा कि कर दिया गया या नहीं। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ऊपर से सख्ती नहीं है इसलिए चालान नहीं किया जा रहा है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम सख्ती करें। हां, यह हो सकता है कि अगर इन्वेस्टीगेशन में ढिलाई हो रही तो उसमें जल्दी करायें, अगर मुनासिब हो तो।

श्री मुरलीधर व्यास: इसके लिए आपने एक सब-इन्सपेक्टर को अपॉइन्ट किया है और यह करोड़ों का मामला है। जैसे नाथद्वारा कांड को तो आप बहुत बड़ा समझते हैं और उसके लिए हाईकोर्ट के जज़ को नियुक्त करते हैं लेकिन यहां ऐसे मामले में एक सब-इन्सपेक्टर को अपॉइन्ट करते हैं। जब कि वहां एस० पी० और डी० आई० जी० वगैरह भी हैं। इन सब के होते हुए वहां पर एक सब-इन्सपेक्टर कार्यवाही नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती। तो आप इसके लिए किसी बड़े ऑफिसर को नियुक्त करें क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं। अगर आपने इसके लिए किसी बड़े ऑफिसर को नियुक्त कर दिया होता तो आप देखते कि कितनी जल्दी कार्यवाही होती है। वैसे इसमें सब कुछ हो गया है, माल निकला है, बम्बई में बिका सब कुछ हो गया है। लेकिन उस पर कार्यवाही इसलिए नहीं होती कि उसमें बड़े बड़े आदमी हैं। जैसे ३० लाख रुपए ट्रस्ट के लिए रखे और वह ट्रस्ट मौजूद है और उसके दस्तखत हैं और उसका रुपया इस प्रकार से गबन हो जाये और सरकार के पास उसके लिए हज़ारों पत्र देने के बाद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे तो क्या? हम कानून बनायें और उनका उपयोग न हो तो फिर क्या फायदा? हम कानून इसलिए बनाते हैं कि सरकार सतर्क होकर तुरन्त कार्यवाही करे। सन् ५७ के छठे महीने में मृत्यु हुई और उसके बाद में सन् ५८ भी निकल गया और अब ५६ चल रहा है। इतने समय में कोई भी कार्यवाही नहीं की और इतने लम्बे

(श्री मुरलीधर व्यास)

समय में माल भी इधर उधर हो जायेगा। इसके लिए आपने पुलिस सब-इन्स्पेक्टर को अपॉइन्ट कर दिया है वह कार्यवाही और जांच करेगा ? माल मौजूद है, उसको बताने वाले मौजूद हैं, और जिस व्यक्ति ने दरख्वास्त दी वह कहता है कि अगर मैं गलत हुआ तो सारा खर्चा मैं दूंगा। वह यहां तक लिख कर सरकार को देता है फिर भी सरकार कुछ नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है ? आप यह सब चीज देखिये और इसकी जांच कराइये। इसके मेरे पास पूरे कागजात हैं और पास भी हैं। आप देख लीजिये कि पब्लिक ट्रस्ट का पैसा फिजूल इस प्रकार से बरबाद न जाये और गबन न हो। इसलिए यह कोशिश की जा रही है। अगर इसके उपरान्त भी मामला दबाया जाता है तो पब्लिक ट्रस्ट बना कर हम सरकार के हाथ में सौंपेंगे और सरकार उस पर बोर्ड बनायेगी तो सरकार खुद ही मिल जायेगी और वह बोर्ड चाहे जैसा भी हो अपनी मनमानी करेगा। तो यह आधार ऐसे ही कारणों से बनता है। मैं यह उदाहरण आपको इसलिए देना चाहता हूं कि आप कम से कम ऐसे मामलों में बहुत सतर्क हों। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो विधेयक है और इस विधेयक में आपने जो प्रावधान रखा है कि जो बोर्ड होगा वह सरकार द्वारा मनोनीत रहेगा और उसका अधिकारी कमिश्नर रहेगा और कमिश्नर सर्व शक्तिशाली रहेगा और हाथ में सारे अधिकार रखेंगे तो ऐसी संस्थाओं को आप केन्द्रित करेंगे और जनता का सहयोग नहीं लेंगे तो वह केन्द्रीकरण होगा। ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं जिनका कि निर्माण जनता के कल्याण के लिए होता है और जिनके पीछे प्रेरणा रहती है कि जिस चीज को बना रहे हैं उनका विकास हो और सरकार उसको अपने कब्जे में रखेगी तो उस व्यक्ति की इच्छा जो कि उसको बनायेगी उसकी इच्छा होगी कि अब मैं क्या इसका निर्माण करूं और क्या विकास करूं ? तो जिस प्रकार से निर्माण का कार्य पहले के समय में होता आया है वह नहीं हो पायेगा। इसलिए महात्मा गांधी की जो ट्रस्ट की भावना थी उसमें क्या था ? उसको भी थोड़ा बहुत इसमें देखना चाहिये आज हम विकेन्द्रीकरण की नीति पर देश का ढांचा निर्माण करना चाहते हैं उसको इसमें महत्व देना चाहिये और जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण का ढांचा होता जा रहा है उसको आप विकेन्द्रीकरण के रूप में न सोचेंगे तो नतीजा क्या होगा ? नतीजा वही होगा कि आप बात तो करेंगे विकेन्द्रीकरण की और काम करेंगे केन्द्रीकरण का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक अपने आप में अपूर्ण है। इसमें लोगों को प्रोत्साहन देकर और लोगों का सहयोग लेकर के ऐसी संस्थाओं के विकास करने की गुंजाइश है। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है। आज ऐसे विधेयक की आवश्यकता नहीं है इसका तो तो मैं हामी नहीं हूं लेकिन इस विधेयक में कुछ नये परिवर्तन करके नये चेन्जेज करके काम करना चाहिये। इसकी आवश्यकता मैं जरूर महसूस करता हूँ। परन्तु मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि ऐसे विधेयक के अन्दर सरकार को जरूर आम लोगों का सहयोग लेना चाहिये और जो लोग इस प्रकार की चीजें बनाते हैं सार्वजनिक कल्याण की या एक व्यक्ति कोई धर्मशाला बनाता

(श्री मुरलीधर व्यास)

है तो उसके बनाने और उसके विकास के करने वाला वही ट्रस्टी रहता है तो उसके दिल में यही भावना रहती है कि मैं इसका विकास करूं परन्तु उसके ऊपर उसका जो बोर्ड बनेगा और उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो तो फिर उसके विकास में कोई उसका इन्टरेस्ट नहीं रह पाता है। जिस प्रकार से दूसरी संस्थाएं होती हैं ट्रेड यूनियन्स होती हैं सोसाइटीज होती हैं और दूसरी संस्थाओं के ऊपर भी सरकार नियंत्रण रखती है, उनका हिसाब किताब पूछ सकती है, गलती करने वालों को सजा दे सकती है। तो इस प्रकार के पॉवर्स तो उनके हाथों में हो लेकिन यह नहीं कि सारी शक्ति को सरकार अपने हाथ में रखें, तो जो मूल भूत विचार हैं उसकी कद्र नहीं होगी और यह चीज केन्द्रीकरण का ढांचा बन जायेगा और जो विकास हमारे प्राचीनकाल से बनता आ रहा है उसको बड़ी भारी ठेस पहुँचेगी और कोई भी व्यक्ति फिर इस प्रकार की सार्वजनिक संस्था नहीं बनायेगा और जो भी धन वह लगाते हैं वह नहीं लगायेंगे। इसलिए मेरी यह राय है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये और वह इस पर विचार करें और सोचे कि किस प्रकार इस विधेयक में कुछ नए सुधार किये जा सकते हैं। इसी भावना के आधार पर मैं इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी केस बताया वह मालू भावा का केस है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो कि सदन में पहले रखा गया था।

श्री गिरधारीलाल : हां, वही है मालू का।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहता हूं कि इस केस का कोर्ट में चालान कर दिया गया है और मुलाजिमान की जमानत भी हो गई है और आगे कार्यवाही तहकीकात हो रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास जो सूचना मौजूद है वह पहले आप कन्फर्म कर लें। अभी तक वह यहां तक नहीं पहुँचा है। यह वहीं तक पहुँचा है। उन्होंने चालान पेश नहीं किया है। सिर्फ कुछ कार्यवाही की है और वहीं पर रुके हुए हैं। चालान तपश करते तो इस हालत में मैं निवेदन करता हूं कि माल कुर्क करते। माल को वहां पर नहीं लाते तब तक क्या फायदा है ? पुलिस के बड़े अधिकारी होते तो वह माल बताया जाता है कि माल है और उसी का माल है। उसको जब तक कब्जे में नहीं लाते हैं तब तक चालान पेश कर दें तो क्या हो ?

श्री गिरधारीलाल : चालान किस तारीख को पेश किया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

१०-१ म०पू०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल के सम्बन्ध में सदन में कल से चर्चा हो रही है। मैं कल और आज जिन माननीय सदस्य के भाषण सुन सका उनसे कुछ ऐसी राय

(श्री भैरोंसिंह)

बनती है कि इसलिए की आवश्यकता है । जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल की आवश्यकता के विरोध में कुछ कहा उनमें इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है । दोनों ने अलग अलग से अपने अपने कारण दिये हैं । जिन माननीय सदस्यों ने जो जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे कि इसको सलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय या जनमत के लिए प्रसारित किया जाय उनके विचार मुझे सुनने को नहीं मिल सके । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल में कुछ ऐसी खामियां है कि जिन खामियों में सुधार कर दिया जाय तो शायद इस बिल का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है उस प्रकार का विरोध नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, यह कहना बहुत सरल है कि आजकल जितने भी मन्दिर हैं, मठ है, धार्मिक स्थान हैं उन स्थानों के ऊपर जिस प्रकार का व्यय होता है उसका दुरुपयोग होता है। वह स्थान धार्मिक प्रेरणा देने वाले नहीं बल्कि अत्याचार और अनाचार के अड्डे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस भाषण में भी यह बाते कही जायं वह भी कही जा सकती है। लेकिन यदि सरकार का यही दृष्टिकोण है कि मन्दिर या मठ अत्याचार या अनाचार के अड्डे हैं, और उनमें कोई व्यवस्था नही है, इस कारण से उनके जितने भी ट्रस्ट बने हुए हैं उनकी व्यवस्था कानून के द्वारा करना जरूरी है, तो पहले यह विचार करना पड़ेगा कि इस व्यवस्था के द्वारा हम इस अत्याचार और अनाचार को समाप्त कर सकते हैं या नहीं ?

जिस तरह से इस बिल के अन्दर जो कि रिपील की क्लॉज़ दी हुई है और उसके द्वारा जिस शेड्यूल की चर्चा की गई है उसमें ऐसा लगता है कि राजस्थान मे इन ट्रस्टों को गवर्न करने के लिए पहले की रियासतों में भी कुछ कानून थे । अब ऐसा यह कहा जाय कि कुछ कानून थे और उन कानूनों के द्वारा व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था के बावजूद भी जिन ट्रस्टों को हम कानून के अन्दर लाना चाहते हैं उनमें वांछित सुधार नहीं हो सका तो फिर यह कहना पड़ेगा कि कानून के होने के बावजूद भी हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकी । मैं समझता हूं कि सरकार का उत्तर इसकी ओर से जिस प्रकार का मिलना चाहिए वह यही होगा कि वह कानून अपर्याप्त थे । उन कानूनों के द्वारा जो व्यवस्था सरकार करना चाहती है वह नहीं कर सकती है, और उसी के कारण से सरकार ने एक कन्सोलिडेटेड बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, बाहर गांव की एक लौकिक बात है और लोग कहते हैं वह यह है कि जिस चीज़ को नहीं करते हैं उसको करके देखें और जिसको किया है उसका अनुभव करके देखें । मतलब यह है कि जो कुछ अभी तक हमने कर लिया है, हम उसका अनुभव लें और उस अनुभव के आधार के ऊपर यदि हमें इस बात की कोई आवश्यकता है कि कानून बनाना होगा तो हम कानून बनायें। अब जो कुछ हमारा अनुभव होना चाहिये वह किन बातों के ऊपर आधारित हो सकता है । एक तो यह हो सकता है कि आज तक जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर से हमारा अनुभव हो सकता है कि राजस्थान सरकार के अधिकार में या यह कहना चाहिए कि देवस्थान विभाग के अधिकार में जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं, मन्दिर हैं या इस प्रकार की प्रोपर्टी की देवस्थान विभाग के द्वारा किसी

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की व्यवस्था होती है या हो रही है, वह व्यवस्था सुन्दर है। आज तक के ट्रस्ट देवस्थान विभाग से गवर्न होते थे उनमें किसी तरह की बदइन्तज़ामी नहीं है। सरकार के देवस्थान के कमिश्नर ठीक प्रकार से संचालन करते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। वहां पर जितनी भी प्रोपर्टी है उस प्रोपर्टी का सही ढंग से हिसाब किताब रखा जाता है। जितना उनका रुपया पैसा है उसका आमदनी और खर्च का हिसाब ठीक प्रकार से रखा जाता है। उसका ऑडिट समय पर होता है। सरकार के उच्चाअधिकारियों के द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाय, जितने भी उनके सबोर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको सही मार्गदर्शन दिया जाता है। यदि इस प्रकार का अनुभव आया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी इस बात में कि इन ट्रस्टों के बारे में भी इस प्रकार की अनियमितताएं सरकार के सामने आई हैं उनके बारे में इस प्रकार की व्यवस्था करें। लेकिन सरकार यह कहे कि इन्स्पीरेशन का सेन्टर देवस्थान विभाग है। जिस देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में यदि सदन को मैं यह जानकारी दूं कि राजस्थान विधान सभा की जनलेखा समिति ने, जब से कि जनलेखा समिति का निर्माण हुआ है, उस समय से लेकर जनलेखा समिति की अन्तिम रिपोर्ट जो शायद इसी सत्र के अन्दर पेश हुई है, उसमें देवस्थान विभाग का उल्लेख आया है। जहां कहीं भी उस विभाग उल्लेख आया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि देवस्थान विभाग का काम राजस्थान में सब विभागों के कामों की अपेक्षा बहुत ज्यादा असंतोषजनक है। उसमें इस बात का भी उल्लेख आया है कि देवस्थान विभाग को इस बात का भी पता नहीं है कि देवस्थान विभाग के द्वारा कितने लोगों को कितनी रकम कर्ज दी गई है, कितनी रकम वापिस लेनी है, कितनी रकम की मांग चल रही है और कितनी रकम किन किन लोगों में हैं। ५४-५५ की जनलेखा समिति ने इस सदन में अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट के अन्दर देवस्थान विभाग के द्वारा जो सूचना दी थी और उस सूचना के आधार पर इस बात का उल्लेख किया था कि देवस्थान विभाग की ओर से कुल तीन लाख की रकम उधार दी हुई है और तीन व्यक्तियों को उधार दी हुई है। तो इस बात का उल्लेख आया था, तो इस बात का जिक्र आया था कि वह रकम कितनी होगी। वह रकम ३,१५,०००) रु० है। सदन में कई बार चर्चा हुई कि ३, १५,०००) की रकम बाकी है तीन व्यक्तियों में जिनमें एक संस्था भी है। उस संस्था को यह रकम उधार दी हुई है वह किस प्रकार से उधार दी गई थी, किन शर्तों पर उधार दी गई थी? उसकी वसूली समय पर क्या हो रही है? इस प्रकार की जानकारी जनलेखा समिति ने विभाग से लेना चाहा लेकिन विभाग इस बात की जानकारी नहीं दे सका खैर, मैं इस बात का उल्लेख नहीं करता। लेकिन एक जिक्र अवश्य करूंगा कि जब उसी जनलेखा समिति ने, ५८–५९ की जनलेखा समिति ने देवस्थान विभाग के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की....

उसमें इस बात का संकेत किया कि देवस्थान विभाग को यह पता नहीं कि कितने आदमियों के अन्दर इस देवस्थान की रकम बाकी है। उस समय यह नई लिस्ट बनाई गई। जनलेखा समिति ने उस डिपार्टमेंट की

Page No.51

(श्री भैरोंसिंह)

ठीक प्रकार से स्क्रूटिनी की तो पता लगा कि देवस्थान की रकम केवल तीन व्यक्तियों में बाकी नहीं बल्कि १०६ व्यक्तियों में बाकी है। आप अन्दाज लगायें, राजस्थान के देवस्थान कमिश्नर....

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मन्त्री) : देवस्थान विभाग की तीन व्यक्तियों में रकम बाकी है, यह सूचना किसने दी थी ?

श्री भैरोंसिंह : यह जनलेखा समिति ने दी थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूचना किसने दी थी कि केवल तीन व्यक्तियों पर रकम बाकी है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं पढ़ कर सुनादूं मैं नहीं चाहता था....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पढ़ दीजिये, बहुत खुशी के साथ।

श्री भैरोंसिंह : तीन व्यक्तियों को ऋण दिया, मोहता साहब, एक आर्य समाज का मन्दिर....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं कह रहा हूं, तीन आदमी हो सकते हैं, यह कहना कि केवल तीन आदमियों में रकम बाकी है देवस्थान विभाग की, यह सूचना कहां से मिली है, जनाब।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जनलेखा समिति की रिपोर्ट बता देता हूं। मुझे अफसोस इतना ही है कि देवस्थान विभाग के मन्त्री महोदय जनलेखा समिति की रिपोर्ट पढ़ते नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं और मैंने उसका जवाब जनलेखा समिति को दिया है। ऐसी बात नहीं है कि रिपोर्ट न पढ़ी हो, और जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं, उन्होंने पढ़ी है। मैंने जवाब भी भेजा है।

श्री भैरोंसिंह : खैर वह अभी पता लगता है कि आपने पढ़ा है या नहीं। पढ़ते तो शायद न कहते कि केवल तीन के नाम नहीं दिये थे। "गत दो प्रतिवेदनों में समिति ने इस विभाग द्वारा दिये गये तीन ऋणों की चर्चा की है जिनमें से एक ऋण पूरा वसूल हो चुका है। चर्चा के दौरान में समिति को बताया गया है कि आर्य समाज, अजमेर पर २,६५,००० रु० का ऋण था, जिसकी डिग्री हो चुकी है और सेठ श्रीगोपाल मोहता (उदयपुर) के ५०, ००० रु० के ऋण में से केवल ३,००० रु० वसूल हुए हैं।

समिति को चर्चा के दौरान में यह भी कहा गया कि उक्त राशि के अतिरिक्त कुछ रकमें अर्थात् ४,५३,००० रु० जागीरदारों को भी ऋण के रूप में दी हुई है और यह रकम उनके मुआवजे की रकम में से काट कर वसूल कर ली जायगी। इस समय विभाग द्वारा दिये गये ऋणों की कुल राशि ११, ५६, ६८१ रु० है।

इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि गत दो जनलेखा समितियों को यही बताया गया था कि विभाग ने केवल तीन ऋण दिये थे, जिनमें से पिछली समिति की दी गई सूचना के अनुसार १५ लाख रुपये का एक ऋण

(श्री भैरोंसिंह)

जो भूतपूर्व राजस्थान सरकार के वाणिज्य (नागरिक रसद) विभाग को दिया गया था, वसूल हो चुका था और इसके पश्चात् शेष केवल ३,१५,००० रु० की राशि के ऋण की वसूली बाकी निकलती थी।

समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ३,१५,००० रु० की यह राशि बढ़ कर ११,५६,६८१ रु० कैसे हो गई। इस शंका के समाधान के लिए समिति ने सचिव से विस्तृत जानकारी चाही जो समिति को सचिव ने दिनांक २५. २. ५८ के अपने एक पत्र के साथ भेजी है जिसके अनुसार स्थिति यह है कि ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या न केवल ३ है जैसा कि अब तक समिति को बताया गया था, बल्कि १०६ हैं—" इस आधार पर मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री महोदय जन लेखा समिति की रिपोर्ट पढ़ते नहीं।....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं केवल बता देना चाहता हूं माननीय सदस्य को, कि वह सूचना दी गई वह केवल राजस्थान बनने के बाद की है कि केवल ३ आदमियों को कर्जा दिया गया, बाकी राजाओं के ज़माने के हैं, जो १०६ मामले हैं वे सारे के सारे रियासत के ज़माने के हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति का सदस्य हूं इसलिए डिटेल्स बताने की आवश्यकता नहीं समझता लेकिन इतना कह सकता हूं कि यदि मन्त्रीजी की हिम्मत है और वे इस बात की जानकारी करना चाहते हैं, तो जो जनलेखा समिति के अध्यक्ष हैं, वे यह जानते हैं, मन्त्रीजी जन-लेखा समिति की मीटिंग्स की रिपोर्ट को देख कर यह जानकारी करें कि पिछली बार जब जन लेखा समिति को सूचना दी गई तो बार बार प्रश्न पूछा गया था कि कुल कितनी रकम बाकी है कितने व्यक्तियों में बाकी है? तो कुल शब्दों के साथ बताया गया कि तीन व्यक्तियों में तीन लाख रुपये बाकी हैं, इस-लिए जन लेखा समिति ने इस चीज को आश्चर्य से लिया है। पिछली जन लेखा समितियों को केवल तीन व्यक्ति बताये, यह भी बताया गया कि केवल तीन लाख रुपये बाकी हैं। अब जब स्क्रूटिनी की गई तो डिपार्टमेंट की ओर से सूचना मिलती है कि तीन लाख नहीं बल्कि ११ लाख रुपया बाकी है, तीन व्यक्तियों में रुपया बाकी नहीं, बल्कि १०६ व्यक्तियों में बाकी है। कोई जानकारी ऐसी नहीं भेजी गई कि राजस्थान बनने के बाद या राजस्थान बनने के पहले के बाकी हैं। माननीय मन्त्री महोदय अपनी बचत करने के लिए कह सकते हैं कि यह सत्य है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब प्रश्न यह आता है, अध्यक्ष महोदय, कि इस सारी स्थिति के अन्दर देवस्थान विभाग की जहां इस प्रकार की हालत है, मैं समझता हूँ कि मुझे यह मानकर चलना चाहिये कि माननीय मन्त्री महोदय के लिए यह मानकर चलना चाहिये कि माननीय मन्त्रीजी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा होगा और यह मानकर इसलिए चलना चाहिए कि देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में जो जन लेखा समिति ने बातें लिखी हैं, यदि वे सदन को पूरी तरह पढ़ कर सुनाऊं तो समय बहुत लग सकता है,यह भी हो सकता है कि जिन माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ा है, उनके लिए एक प्रकार से बोरिंग चीज हो जाय। मैं नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

चाहता कि जनलेखा समिति की रिपोर्ट सदन में पढ़ कर सदन का समय ले लूं। एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में जनलेखा समिति की रिपोर्ट बहुत खराब है, यहां तक उसमें लिखा है कि जन लेखा समिति की रिपोर्ट में कि अकॉउन्ट्स के बारे में, स्टाक फिजिकल वेरीफिकेशन के बारे में कोई रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जाता, कब फिजीकल वेरीफिकेशन हुआ है, इसकी जानकारी नहीं, किस तरह का सामान कहां पर रक्खा है, इस बात की जानकारी नहीं है, मंदिर किस प्रकार के और कितने हैं, इस बात की जानकारी नहीं है, कौन से मंदिर में कितना सामान है, इस बात की जानकारी नहीं है, हो सकता है मंत्री जी को उसकी जानकारी हो और अगर जानकारी उनको है और देवस्थान विभाग को जानकारी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि सरकार की यह बदकिस्मती है और उस बदकिस्मती का मेरे पास इस समय कोई इलाज नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम देवस्थान विभाग को अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद यह देखें कि देवस्थान विभाग ने किस प्रकार इन्तजाम किया है। आज केशरिया जी के मंदिर का प्रश्न आता है, माननीय राजस्व मंत्री जी जानते हैं और राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि केशरिया जी के मंदिर में किसी प्रकार की घटना घटी, वहां के व्यक्तियों ने किस प्रकार से विरोध किया, उस विरोध के बावजूद भी सरकार का क्या रुख रहा। यहां पर केशरिया जी के मंदिर का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं बल्कि पिछले दिनों उदयपुर के एक व्यक्ति को कपड़े की मिल लागू करने के लिए सरकार ने लाखों रुपये का लोन दिया, सरकार यह कह सकती है कि यह धन का दुरुपयोग हुआ है, यह दान का उपयोग किया गया है। धुलेव भंडार, जगदीश भंडार, वल्लभ भंडार के अन्दर काफी रुपया था, काफी रुपया पड़ा हुआ था। इस रुपये में से मिल बनाने के लिए दे दिया गया, तो उसमें क्या आपत्ति है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रस्ट का सवाल है और ट्रस्ट में दान देने का सवाल है, दान देने के साथ साथ एक भावना है, वह भावना हिन्दू धर्म में भी है, जैन धर्म में है, सिक्ख धर्म में भी है, सब धर्मों में दान देने की भावना है कि दान इसलिए दिया जाय कि ट्रस्ट में रुपया इकट्ठा हो, उसके बाद उसमें मिल बनाने के लिए पैसा दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की इस नीति से उसका उपयोग हो सकता है लेकिन आज सरकार नहीं कह सकती है कि जगदीश भंडार, धुलेव भंडार और तीसरा भंडार है, वल्लभ भंडार, उन भंडारों के अन्दर कोई ऐसी रकम आई हो, जिस रकम के लिए सरकार कह सके कि यह रकम मिल बनाने के लिए दी जाय। आप दान कर्त्ता से जाकर पूछिये, वे दान इसलिए नहीं देते हैं कि उदयपुर में कपड़े की मिल हो, इसलिए कि वहां हमारे मुख्य मन्त्रीजी का नाम हमेशा के लिए बना रहे। वे इसलिए दान देते हैं कि मंदिरों के अन्दर मन्दिरों के काम के लिए जिस मतलब से पैसा दिया जाय, उस मतलब से पैसा खर्च हो। आज पैसा इसलिए दिया जाय कि गरीबों को पानी पिलाना है, इसलिए पैसा दिया जा रहा है, गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देनी है, टी. बी. के बीमारों का इलाज करवाना है। वह पैसा इकट्ठा हो जाय, टी. बी. के बीमार रोते फिरें,

(श्री भैरोंसिंह)

पानी जिनको देना है, वे प्यासे रहें, और एक मिल के अन्दर पैसा लगावें और कहें कि इसमें पैसे का सदुपयोग हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि कहने के लिए सदुपयोग हो सकता है, लेकिन मतलब के लिए उसका सदुपयोग नहीं है। इस विधान सभा में एक बार नहीं, अनेक बार प्रश्न पूछे गये हैं इस सरकार के द्वारा दिये गये कर्ज के सम्बन्ध में। एक प्रश्न पूछा गया था कि कर्जे की सुरक्षा है या नहीं, सरकार की ओर से कहा गया, कर्जा सुरक्षित है। यह पूछा गया कि मिल उदयपुर में चालू की गई, उसके कारण बतावें, उसके भी कारण बताये गये, मिल कब चालू होगी, इसकी सरकार तारीख बताये, वह तारीख बताई, मिल चालू क्यों नहीं हो रही थी, इसके कारण बताये, सब कारण हमारे सामने आ गये हैं लेकिन मिल का काम चालू नहीं हुआ है, किन किन शर्तों पर पैसा दिया गया है उन शर्तों को ठीक प्रकार से देखें तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि उन शर्तों के ऊपर, मैं समझता हूं, बाकी के लोगों को पैसा दिया जाता है तो राजस्थान में एक नहीं, अनेक प्रकार की मिलें चालू हो सकती हैं। किशनगढ़ मिल बन्द पड़ी हुई है, वह चालू हो सकती है, विजयनगर की मिल बन्द पड़ी हुई, वह चालू हो सकती है, कोटा की मिल चालू हो सकता है। लेकिन वह मिल बन्द हो जाय, पैसे के कारण बन्द हो जाय, वहां सामान खराब हो रहा है, वहां के मजदूर बेकार होकर रोते फिरें, उनको आप आर्थिक सहायता नहीं दे सकते हैं बल्कि उदयपुर में मिल चलाने के लिए पैसा दे सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं कि वह सरकार का धन नहीं है, पैसा भंडार का है और भंडार का पैसा दे दिया जाय....

अब प्रश्न यह आता है कि जब इस प्रकार के ट्रस्ट, मन्दिर, मठ, धार्मिक स्थान जिनमें इस प्रकार का पैसा है वह यदि सरकार इस प्रकार के कामों में लगाती है तो उससे क्या इबादत मिलती है ? यह इबादत मिलती है कि जैन धर्म में जो भी पैसा दिया जाता है उसमें से अधिकांश पैसा निर्धारित कामों में खर्च करने की व्यवस्था होती है, जैसे किसी ने १००० रु० दिया तो उस एक हजार रुपये में से कम से कम ५०० रु० एक निश्चित काम के लिये निर्धारित किया जाता है। वह रकम उसी खास काम के लिये रखते हैं। राजस्थान सरकार की आंख इस बात पर लगी है कि सनातन, वैष्णव और जैनियों के मन्दिर हैं, सरकार की आंखजैनियों पर लगी हुई है, सरकार चाहता है कि जैन मन्दिरों में किस प्रकार अपने व्यक्ति पहुँचे, जो पुजारी, मठाधीश हैं उनके स्थान पर किस प्रकार अपने लोग पहुंचें। आज सरकार के यह बात जंचती नहीं है कि मन्दिरों मठों में ऐसे लोग हों, जो धार्मिक उपदेश दे सकें। सरकार चाहती है कि राजनीति के आधार पर राजनैतिक व्यक्ति मन्दिरों में बैठ कर राजनैतिक प्रचार करते रहें। जैसे कि मैंने कल कहा था, ऐसी चर्चा भी सदन में हुई थी कि मन्दिर अनैतिकता और अनाचार के अड्डे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन मन्दिरों की तुलना यदि आज की सरकार से की जाय, अत्याचार, अनाचार और अन्याय इन सारी बातों को एक तरफ रख कर एक तरफ मन्दिर मठों और दूसरी तरफ सरकार को रखा जाय तो सरकार का पलड़ा भारी होगा, होना भी चाहिये क्योंकि सरकार वजनी है,

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार वज़नी होने से उसके सामने मन्दिरों के अनाचार और अनैतिकता कम वज़न वाले उतरेंगे। सरकार को खत्म करने का प्रश्न आये तो मंत्रीजी कहेंगे अविश्वास का प्रस्ताव लाकर सरकार को हटा दिया जाय। प्रजातान्त्रिक ढंग से यह बात सही है पर अविश्वास के प्रस्ताव का इन्तजार ही करते रहें और अविश्वास का प्रस्ताव आ नहीं सकता, इतना बहुमत बन नहीं सकता और वह इस तरह अत्याचार करती रही तो मैं समझता हूँ कि अत्याचार अन्याय ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। यदि मन्दिर के एक पुजारी के ऊपर लांछन लगाया जाता है, जैसे माननीय सदस्यों ने लांछन लगाये कि मन्दिरों के पुजारी शराब पीते हैं, यदि मैं कहूं कि गांधीजी के पुजारी शराब पीते हैं तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। गांधीजी ने कहा था कि शराब पीना पाप है। देश को आजादी प्राप्त होने के ५ मिनट बाद ही शराबबन्दी होगी, उनके पुजारी शराब पीते हैं तो मन्दिरों के पुजारी के लिये कहते हैं कि शराब पीते हैं, कानून बना कर उन पर तो काबू पा लेंगे, उनको मन्दिरों से निकाल कर उनकी आजीविका छीन लेंगे। पर गांधीजी आपकी आजीविका नहीं छीन सकते, इसके माने यह नहीं कि आप शराब पीते रहें। दूसरों के ऐब बुरे लगते हैं पर जो ऐब बुरे लगते हैं उनको अपने अन्दर शामिल करके आप अपने ऐब बढ़ाना चाहते हैं। आप ऐसा कीजिये, ऐब से ऐब मिलेंगे, पाप से पाप मिलेगा तभी पाप का घड़ा भरेगा और फूटेगा। पर आज देश का सामाजिक, नैतिक धरातल देखें, आज कोई आदमी सुखी नहीं है, नेता, सरकारी कर्मचारी, जनता के लोग किसी को ले लें, कोई सुखी नहीं है। जनता के जो नेता बने हैं वे भी सुखी नहीं है। यदि विधान सभा में चुन कर आ गये और सत्तारूढ़ दल में आ गये तो उनको यह चिन्ता लगी रहती है कि कब ट्रेजेरी बैंचेज पर जाऊं और यदि ट्रेजेरी बैंचेज पर हों तो देखते हैं कि कैसे कुर्सी से चिपका रहूं। विधान सभा के सदस्यों को यह चिन्ता रहती है कि ठीक तरह से अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी में काम नहीं किया तो अगले चुनावों में चुन कर नहीं आ सकूंगा। इसके कारण ही लोगों का नैतिक धरातल नीचे चला जा रहा है। नेताओं के उपदेश होते हैं तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का बीड़ा उठाया, सारी शासन प्रणाली को इन दो बातों पर आधारित किया, इसलिये जनता को महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चलना चाहिये। हमारे यहां पर भी 'सत्यमेव जयते' का मोटा लगा हुआ है पर प्रत्यक्ष रूप में इसका किस तरह से पालन होता है, वह पालन करने वाले जानते हैं। महात्मा गांधी का चित्र जो हर सरकारी कार्यालय में लगा हुआ है पर आशीर्वाद की मुद्रा में जो उनके हाथ का इशारा है उसको आशीर्वाद नहीं समझते पर यह आशीर्वाद समझते हैं कि जो अनैतिक काम करता है उसके पीछे महात्मा गांधी का हाथ है। इस प्रकार का वातावरण क्यों बना, इसका कारण यह है कि जो पुराने संस्कार थे उनको तो ग्रहण करना छोड़ दिया और अनैतिकता के संस्कार हममें घर करते रहे। जो भगवान् राम और कृष्ण से हमें प्रेरणा मिलती थी, वही प्रेरणा अगर महात्मा गांधी के नाम से मिलने लग जाय तो हमें अवश्य नये देवताओं

(श्री भैरोंसिंह)

को अपनाना चाहिये, पर वे उनका स्थान नहीं ले सके। यदि मंत्रीजी प्रेरणा लें तो जिस दुनियां का ५ वर्ष में गारत होने वाला हो तो अगले वर्ष ही वह दुनियां गारत हो सकती है। यदि राजनीति से प्रेरणा ली जाय तो लोगों का राजनैतिक जीवन भी ठीक नहीं, लोगों के बारे में कई प्रकार की शंकाएं की जाती हैं, यदि आज नेताओं से प्रेरणा लेकर समाज चल सकता है ऐसी आशा की जाय तो यह सम्भव नहीं। हमारे देश के प्रधान मंत्री देश के सामने प्रतीक हैं, फाइनेन्शियल मामले में कभी उन्होंने किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की। उनसे प्रेरणा लेना चाहिये। जब कई लोगों को चुनाव टिकिट नहीं मिलता है तो कहते हैं कि उनको टिकिट इसलिये नहीं मिला कि उन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जो आज प्रेरणा के प्रतीक हैं उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते नेता लोग तो हमें मौजूदा व्यवस्था को खत्म करना होगा। उनको खत्म करने के लिये हमने यह व्यवस्था की है कि जितने मन्दिर, मठ हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि सरकार का यह दृष्टिकोण है कि पैसे का दुरुपयोग नहीं हो जिस काम के लिये पैसा दिया जाय उसी काम में उसका उपयोग हो, यदि यह सरकार की मंशा हो तो इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं, विरोध इसलिये नहीं करना चाहिये कि सरकार का विशुद्ध दृष्टिकोण है, पर इस बिल को देखते हैं तो हमें सरकार का दूषित दृष्टिकोण दिखता है। सरकार सभी ट्रस्ट लेना चाहती है, बहुत से ट्रस्ट ऐसे हैं जिनका हिसाब किताब सही है, किसी भी ट्रस्ट में इन्ट्रेस्ट रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ आज तक कोई शिकायत नहीं है, इस प्रकार के जो ट्रस्ट्स हैं उन पर सरकार क्यों कब्जा करना चाहती है ? जिनमें अनियमितताएं हैं उन पर यदि सरकार कब्जा करती है तो ठीक है पर जिनका कि इन्तजाम ठीक है, उनको अपने कब्जे में सरकार लेना चाहती है तो यह समझना पड़ेगा कि सरकार सभी ट्रस्ट्स को अपने अधिकार में लेने के लिये कानून बना रही है तो जरूर दाल में काला है।

इसमें व्यवस्था की है कि राजस्थान सरकार राजस्थान का बोर्ड बनायेगी, उस बोर्ड के नामज़द सदस्य होंगे, नामज़द सदस्य सरकार के सामने सुझाव रखेंगे और सरकार उन्हें मंजूर करेगी तो देवस्थान के कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को इस प्रकार की सलाह देगी। बोर्ड और रीजनल कमेटी ये ऐसी बातें रखी हैं कि सरकार का प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण मालूम होता है, सरकार का कम हस्तक्षेप हो, इस बात की सरकार चिन्ता रखती है, पर बोर्ड है नोमिनल, वह भी है सरकार द्वारा नोमीनेटेड बोर्ड, उसमें कोई अपनी इन्डिपेन्डेन्ट ओपिनियन दे सके यह संभव नहीं। नगरपालिकाओं का अनुभव, बोर्डों का अनुभव, राजस्थान सरकार जितनी कमेटीज़ बनाती है उनका अनुभव हमें बताते हैं कि सरकार की हां में हां मिलाने वाले व्यक्तियों को उनमें शामिल किया जाता है, चाहे उस चीज का उनको ध्यान हो या नहीं हो, उस काम का ज्ञान, अनुभव उनको हो या न हो। आज तक सरकार ने जितनी कमेटियां बनाई हैं उनके सदस्यों में से किसी एक भी व्यक्ति के लिये कह दें कि सरकार से उनका सम्बन्ध नहीं है, तो मैं मानूंगा कि सरकार इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तियों का बोर्ड बनाने की चिन्ता रखती है। पर सरकार को इस

(श्री भैरोंसिंह)

बात की चिन्ता नहीं है, सरकार लोगों को मुगालते में रखती है । बोर्ड बनेगा उन व्यक्तियों का जो सरकार की हां में हां मिलाते हैं, या जो सरकार से रुष्ट हैं, रुष्ट इस बात से नहीं कि सरकार अनियमितताएं करती है उनको रोकना चाहते हैं, पर वे लोग रुष्ट इस कारण से हैं कि उनको अनियमितताएं करने का सरकार मौका नहीं देती, ऐसे लोगों को सरकार नोमीनेट करेगी और एक मठाधीश को हटा कर दूसरा मठाधीश मुकर्रर कर देगी। यदि मठाधीशों का उपकार करने का, उनका सुधार करने का, उनके आचार विचार में परिवर्तन लाने का सरकार का इरादा है तो सरकार पहले विचारे कि पुजारियों में किस किस तरह की खामियां हैं और फिर उन खामियों को, दोषों को दूर करने के लिये पहले इस प्रकार का नियम बनाये कि कोई भी पुजारी मन्दिर मेंशराब नहीं पियेगा जो पियेगा उसको निकाल दिया जायगा तो कोई पुजारी मंदिर में शराब नहीं पियेगा। इस प्रकार का नियम बनाये कि कोई महन्त शादी नहीं कर सकेगा। पुरानी रियासतों में महन्त शादी नहीं करते थे, प्रोग्रेसिव सरकार आई और गलते के महन्त को शादी करने की इजाज़त दे दी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो चीजें बनती आ रही हैं, वह आपकी वजह से ही बन रही हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की कि उनके आचार-विचार सुधरें बल्कि आपने ऐसी आज्ञाएं दी हैं कि जिनसे ये लोग बिगड़े और उन आज्ञाओं का असर दूसरे मठाधीशों पर भी पड़ा। अगर सरकार के अधिकार में ट्रस्ट होंगे तोक्या लोग मन्दिरों में शराब पीना छोड़ देंगे ? अन्याय अत्याचार करना बन्द कर देंगे ? आप हां कह सकते हैं पर वे लोग कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप हमें इन चीजों से मना नहीं कर सकते, जब तक राजस्थान में इन चीजों के रोक का कानून नहीं है तब तक आप हमें इस प्रकार की अनियमितताएं करने से नहीं रोक सकते। तो सरकार के पास ये ट्रस्ट्स जाने से आज जो अनियमितताएं इनमें होती हैं वे नहीं होंगी, यह नहीं कहा जा सकता। सरकार में ऐसी बातें हो सकती हैं, सरकार के पैसे पर अपने बीबी बच्चों को काश्मीर की यात्रा कराई जा सकती है पर मन्दिर का पुजारी शराब नहीं पी सकता....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब कहा कि इस कारण से यह कानून पेश किया जा रहा है। जैसा कि एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स में दिया हुआ है मन्दिरों में जो अव्यवस्था है उसकोदूर करने के लिये यह कानून पेश किया जा रहा है ।

श्री शिवचरण दास (मान्डल) : वह अव्यवस्था कौन सी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैं बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ करूंगा कि जो बातें कही जायं उनमें बिल की रिलेवेन्सी जरूर होनी चाहिये । माननीय सदस्य ने ३५ मिनिट में कितनी रिलेवेन्सी रखी है ? यह मैं आपको दरख्वास्त कर सकता हूँ कि इस तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छी बातें रखेंगे, to the point debate होगी और सदन का समय बचेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, डिबेट टू दी पोइन्ट नहीं हो रही है या डिबेट में कुछ चुभती बातें निकल रहीं हैं, यह तो

Page No.58

(श्री भैरोंसिंह)

सदन देखेगा पर मैंने इस बात की कोशिश की है कि चुभती बातें कम कहूं, फिर मैंने इस बात की कोशिश की है कि बिल के परे की बातें न कहूं फिर मेरी समझ में नहीं आया कि यह बातें बिल के सिद्धान्तों के परे की बातें हैं और रिलेवेन्ट नहीं हैं ? खैर। मैंने कहा था कि किन कारणों को लेकर मन्दिरों को या इन ट्रस्टों को सरकार अपने कब्जे में ले रही है।

१०.४८ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उद्देश्य दिये हुए हैं पर जब उन्हीं के दल के सचेतक महोदय कल भाषण दे रहे थे तो मन्दिरों में होने वाली खराबियों की ओर इशारा कर रहे थे, सचेतक सरकार का मुख होता है और ऐसा लगता है कि सरकार बोल रही है पर मुझे आज इस बात का पता चला है कि वे नाम के सचेतक होते हैं और अपनी मर्जी से बोलते हैं, सरकार नहीं बोलती। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि मन्दिरों में इस प्रकार की बातें होती हैं उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें सदन में रखनी पड़ीं। अब प्रश्न यह है कि कानून इस बात का है कि प्रेस्क्राइब्ड फोर्म्स में इन ट्रस्ट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, इनका बजट बनेगा और सरकार उस पर अपनी स्वीकृति देगी, सरकार इन ट्रस्ट्स के पैसों का हिसाब किताब का ऑडिट करवायेगी, चार्टर्ड अकॉउन्टेन्ट इनका ऑडिट करेगा, उनमें जो गड़बड़ियां होंगी उनके संबंध में सरकार फैसला करेगी। सरचार्ज का प्रिन्सिपल सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज कोई भी आदमी कितनी ही गड़बड़ करे सरकार उससे सरचार्ज के रूप में वसूल नहीं कर सकती। सबसे प्रोग्रसिव स्टेप यदि सरकार ने कोई लिया है तो वह है सरचार्ज वसूल करने का लिया है। मैं समझता हूं यह व्यवस्था बाकी के विभागों में भी लागू करें मन्त्रियों के ऊपर लागू करें राजस्थान के उच्च अधिकारियों पर लागू करें तो आये साल हमें टैक्स लगाने पड़ते हैं इस साल भी जो ५८ लाख का टैक्स लगाया है वह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

आप जनलेखा समिति की रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिये आपके फूड और सप्लाईज़ डिपार्टमेंट में लाखों रुपयों का घाटा हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order Sir. Are we discussing the Hindu Public Trust Bill or the Food or some other department here ?

श्री उपाध्यक्ष : We are discussing Hindu Public Trust Bill and I hope the Hon'ble member will confine his speech within the perview of the Bill itself.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह दूँ अगर माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो यहां सदन में बैठ कर देखें कि क्या प्रसंग चल रहा है। एकदम बाहर से सदन में आकर बोलना कतई उचित नहीं है। शायद यह उनकी ड्यूटी होगी, लेकिन यह ड्यूटी अच्छी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I was following the debate very rightly.

श्री भैरोंसिंह : सरचार्ज का प्रिन्सिपल आया उसके बारे में जिक्र कर रहा था। सरकार ने मन्दिरों के ट्रस्टीज़ द्वारा सरचार्ज के रूप में रुपया वसूल करने का प्रावधान रखा है, मैं इसका विरोध नहीं करता। यह व्यवस्था क्यों की है इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार इस बारे में निश्चित रूप से यह कहेगी कि मन्दिर के ट्रस्टी या ट्रस्ट के पदाधिकारी किसी प्रकार की गड़बड़ करते हैं और उससे ट्रस्ट को घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जायगी। आज जितने भी कानून है उसमें यदि किसी प्रकार से भी रुपया वसूल करने का सवाल आता है तो वह पी० डी० आर० के तहत वसूल करते हैं। इस कानून के अन्दर सरचार्ज का प्रिन्सिपल स्वीकार किया है। इससे ऐसा लगता है कि पी० डी० आर० की कार्यवाही अब इफेक्टिव नहीं रही। देवस्थान विभाग की बकाया वसूल नहीं होती वह इसलिये कि लोगों ने इस बात का विरोध किया कि देवस्थान विभाग पर पी० डी० आर० की कार्यवाही लागू नहीं होती। अगर सरकार जिस देवस्थान विभाग पर पी० डी० आर० की कार्यवाही लागू नहीं होती, उस देवस्थान विभाग का कर्जा किसी में बाकी है वह उन अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाना चाहिये जिन अधिकारियों ने यह कर्जा दिया है बिना शर्त के कर्जा दिया है। सरकार उसके लिये कहेगी कि वहां सरचार्ज का नियम नहीं है। बाकी के जितने भी रुपये सरकार की ओर से दिये जाते हैं लोन्स एडवान्स किया जाता है तकावी समय पर वसूल नहीं होती बरसों तक बाकी पड़े रहते हैं सरकारी पैसे का दुरूपयोग होता है वहां भी सरकार की नीति निर्धारित करेगी वह रकम सरचार्ज के ज़रिये वसूल की जाय। लेकिन यह सरकार करेगी नहीं। मैंने देखा है फूड एन्ड सप्लाईज़ विभाग का मैं उदाहरण इसीलिये दे रहा था। छः सात लाख रुपये का घाटा इस विभाग में अधिकारियों की गल्ती के कारण हुआ था जिसको गरीब जनता ने बर्दाश्त किया है और उसके कारण लाखों रुपये का टैक्स दिया है। जिन व्यक्तियों की गल्ती के कारण घाटा हुआ है वह उनसे सरचार्ज के ज़रिये वसूल की जाय। लेकिन सरकारी अधिकारियों से यह वसूल नहीं हो सकती। सरकार इस ढंग से वसूल नहीं करेगी। राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं तो फिर मन्दिरों के लिये ही सरचार्ज की व्यवस्था क्यों की गई है? कुछ ऐसा लगता है कुछ मन्दिरों के वर्किंग ट्रस्टीज़ है उनको किस प्रकार से परेशान किया जाय परेशान वे सरचार्ज के नाम से होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है जिस वर्किंग ट्रस्टी को देवस्थान विभाग के असिस्टेन्ट कमिश्नर निकालना चाहेंगे वे इस के द्वारा निकाल सकते हैं। एक नोटिस दिया कि बजट अमुक समय तक आ जाना चाहिये सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट इतने समय में आ जानी चाहिये प्रोपर्टी की एन्ट्रीज़ में इस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिये, परचेजेज़ में किसी प्रकार की गलती हो गई उसके कारण पचास रुपये का नुकसान हो गया तो वैसी हालत में ट्रस्टीज़ से वह वसूल की जायगी। वह अपने घर से जमा करायेगा। हमारे देश में और राजस्थान प्रान्त में जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं उसमें ट्रस्टीज़ जो हैं वे वालिन्टियरी सर्विस देते हैं तनख्वाह नहीं लेते, यहां तक कि आने जाने तक का किराया भी नहीं लेते। मान लीजिये कोई ट्रस्टी कलकत्ता रहता है उसको यदि ट्रस्ट के काम जयपुर आना पड़ता है वह उसका खर्चा नहीं लेता उन व्यक्तियों पर अगर इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार का दायित्व रखा जायगा जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं सरकार उनको कहेगी कि तुम्हारी गल्ती के कारण ट्रस्ट को इतना लोस हुआ है, पांच सौ का घाटा हुआ है उसको जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार जो ओनरेरी ट्रस्ट को सर्विस देते हैं उन पर इस प्रकार का दायित्व डालने से यह होगा कि वे ट्रस्ट का काम नहीं करेंगे। फिर काम करने वाले कौन होंगे सरकार ने व्यवस्था की है। वर्किंग ट्रस्टी का यदि स्थान रिक्त होता है उस रिक्त स्थान की सूचना देवस्थान के असिस्टेन्ट कमिश्नर को नहीं मिलती है तो असिस्टेन्ट कमिश्नर मर्जी चाहे उसको वर्किंग ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी ट्रस्टी को किस प्रकार से निकाला जाय उसकी इसमें व्यवस्था होगई। ट्रस्टीज़ को जो स्वतन्त्रता थी उसका अपहरण इस प्रकार से हो गया। पांच रुपये या सात रुपये के लिये कह दिया कि यह आपको भरना होगा तो इस तरह से ट्रस्टी अपनी इन्सल्ट अनुभव करेगा और इस कारण वह उसको छोड़कर चला जायगा। अगर वह छोड़ कर चला जाता है तो उसका क्या हाल होता है? मैं ऐसा समझता हूँ सरकार इसके लिये कहेगी कि इस प्रकार का कानून बिहार में है, बम्बई में है, मद्रास में भी है। इसीलिये हमने भी उसी प्रकार का कानून बनाया मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून बनाने का सवाल है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम उसके लिये मद्रास और बम्बई की नकल करें यह ठीक नहीं है। कोई अच्छे कामों के लिये नकल करें तो कोई आपत्ति नहीं। बम्बई में और मद्रास में प्रोहिबीशन लागू है आप यहां क्यों लागू नहीं करते उसके लिये हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते हैं, इससे तो हमें तीन करोड़ रुपये का घाटा होता है। नकल के अन्दर जो चीजे अच्छी लगती हैं, जनता को जो अच्छी लगे उसको तो आप करने के लिये तैयार नहीं। इस प्रकार से जो डिफ्रन्सियेशन किया जाता है वह किसी प्रकार से उचित नहीं है।

सबसे मोटी बात इस कानून में रखी है वह है एकजेम्प्शन्स की। इसमें सरकार ने कहा है जिस श्रेणी के मन्दिर को सरकार एग्जेम्प्ट करना चाहे इसके द्वारा कर सकती है। एग्जेम्प्शन का प्रोविज़न सरकार हर कानून में लाने की कोशिश करती है। यह सरकार क्यों करती है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार जिस किसी की परवरिश करना चाहे उस मन्दिर पर इसको लागू नहीं करेगी। आप कहेंगे कि सरकार को इस प्रकार की परवरिश से क्या लाभ होगा। परवरिश से लाभ यह होगा उपाध्यक्ष महोदय, आजकल सरकार का जो राजनैतिक दल है उसमें कौन आदमी कितना लाभप्रद सिद्ध होता है यह उसका मापदंड है सरकार की तरफ होने का। कोई भी व्यक्ति कोई भी मन्दिर का आदमी किसी भी प्रकार से विरोध करता है राजनैतिक दल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सरकार सबसे पहले उस मन्दिर के ट्रस्ट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। सरकार का जो प्रचार करेगी उसको इस एग्जेम्प्शन के जरिये उसकी परवरिश कर सकती है। इस परवरिश का नाजायज़ फायदा उठाया जा सकता है। इस एग्जेम्प्शन के दुरुपयोग का एक उदाह-

(श्री भैरोंसिंह)

रण नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। हर कानून के अन्दर देखने को मिलेंगे सरकार ने जो एग्जेम्प्शन की व्यवस्था की है उसके कारण।

अब प्रश्न आता है धर्मादा करने का। सरकार ने धर्मादे को भी इस कानून के अन्तर्गत लेने की कोशिश की है। धर्मादा क्या ? गांवों के अन्दर जाते हैं तो दुकानदार हैं वे अगर कोई सौ रुपये का सामान बेचते हैं तो उस पर एक पैसा लेते हैं कोई दो पैसा लेता है। कोई बिक्री के अनुपात के ऊपर वह दुकानदार खरीददारों से कुछ न कुछ लिया करते हैं। लेकिन धार्मिक कामों में वह लगता, कोई प्याऊ में लगाता है, कोई कबूतरखाने में, कोई गौशाला में और कोई यतीमखाने में लगाता है तो इस तरह से कितनी ही धार्मिक संस्थाएं चलती हैं। पर हिसाब किताब इनका ठीक नहीं है यह सरकार कहती है। शायद सरकार को सन्देह होता है कि वे हजम कर जाते हैं दुकानदार ही। अगर हजम नहीं करते हैं तो फिर असिस्टेन्ट मकिश्नर को शिकायत होने पर बहीखाते दिखाने में क्या एतराज़ हो सकता है। सही है इसके बारे में निर्णय लें। जहां तक प्रिंसिपल का सवाल है, बात बड़ी सुन्दर लगती है कि हमने हिसाब किताब की व्यवस्था की है। पर एक तरफ जब हम कहते हैं पंचायत और नगरपालिका को कुछ अधिकार देने हैं, उनके रिसोर्सेज़ बढ़ाने हैं नगरपालिका को सत्ता हस्तान्तरित करना है तो इन बातों में सरकार अधिकार करे स्वयं तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दो प्रभाव पड़ेंगे एक तो इन्डिपेन्डेन्ट समिति होगी, जो पंचायत और नगरपालिका से अलग होगी। वह किस प्रकार से फंक्शन करेगी ? जैसे सरकार चाहेगी वैसे करेगी। सरकार चाहेगी उस प्रकार के नियम बनावेगी। अगर नियम भी बनाते हैं और इन्डिपेन्डेन्ट बोडी बनाते हैं तो एक बात देखनी पड़ेगी जो पैसा इक्ट्ठा करना चाहते है वह हो सकेगा या नहीं। मैं सदन के सामने इस सरकार के द्वारा एक निर्मित नीति कहनी चाहिये, वह प्रस्तुत करूंगा। पिछली बार गौशाला बिल इस सदन में पेश हुआ और पास किया गया था। मैं समझता हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय इस बिल को पॉयलट करने वाले थे। वह सिलेक्ट कमेटी के सामने आया। इसमें यह व्यवस्था थी कि जो धर्मादे की रकम ली जाती है उसका अकॉउन्ट रखा जावे, रजिस्टर रखा जावे और हर सप्ताह एक स्टेटमेन्ट दिया जावे, मन्थली कन्सोलिडेटेट स्टेटमेन्ट दिया जावे। और किस प्रकार कैसे खर्च किया जावे इसके लिये इजाज़त ली जावे और फिर ख़र्च किया जावे। और इसमें से भी २५ पर्सेन्ट गौशाला को दिया जावे। सिलेक्ट कमेटी में कानून आया। रिपोर्ट पेश की। उसमें इस बात का उल्लेख किया कि यदि हमने इस प्रकार का नियन्त्रण किया और हिसाब के लिये लोग अलग आदमी रखने को मजबूर हुए तो गौशाला को कोई पैसा नहीं देगा। पैसा लेंगे तो हिसाब नहीं रहेगा और हिसाब नहीं रखेंगे तो इसके कारण मुकद्दमेबाजी होगी और बाद में एक दिन ऐसा आवेगा कि सब व्यापारी मिल कर तै कर लेंगे कि ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं किया जावेगा। तो गांवों में जो इस तरह के छोटे मोटे सार्वजनिक काम होते रहते हैं वे बन्द हो जावेंगे अपने आप। प्याऊ गौशाला आदि को सबको सहायता बन्द हो जावेगी। मैं नहीं चाहता उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग व्यापारी करते रहें। इसकी रोकथाम के लिये

Page No.62

(श्री भैरोंसिंह)

किसी प्रकार की चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस काम के लिये पैसा लिया जाता है अगर वह नहीं देते हैं उस काम में तो अपने आप में यह मिसएप्रोप्रियेशन है। इसको ठीक प्रकार से कानूनी रूप देने की हमने व्यवस्था उस कानून में कर रखी है। अब किस प्रकार की जावे तो इसके लिये राजस्व मन्त्री से यही कहूंगा कि इस कानून में इसे समावेश न करके पंचायत बिल में या नगरपालिका के बिल में व्यवस्था की जावे। ऐसी कि जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका नियन्त्रण कैसे होगा। तो यह एक उचित चीज़ हो सकती है। इसमें आप प्रोविज़न करेंगे तो इसका असर खराब पड़ने वाला है। लोग, व्यापारी धर्मादा वसूल करना बन्द कर देंगे अपने आप। आप कहेंगे व्यापारी बन्द कर दें तो इसमें कौनसी अनुचित चीज़ है? मैं कहता हूं एक नहीं अनेक हैं। छोटी मोटी संस्थाएं बन्द होंगी, गांव के कई सार्वजनिक काम बन्द होंगे।

इस सारी स्थिति को देखकर मैं समझता हूं कि जो बिल पेश किया जा रहा है, जिस रूप में पेश किया गया है वह बिल्कुल अनुचित रूप है। शायद सरकार रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगी। सैंशस की दृष्टि से सरकार चाहे तो करे। पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर सरकार जिस प्रकार से कन्ट्रोल करना चाहती है वह अगर किया गया तो वह ट्रस्ट के अन्दर मैं समझता हूँ कोई सुन्दर वस्तु नहीं होगी। अतिरंजित केसेज़ होंगे और इस आधार पर ट्रस्ट की हालत खराब हो जावेगी। उनको नये मुलाजिम अपॉइन्ट करने होंगे नये कानून की खानापूर्ति को पूरा करने के लिये। इन सबसे बचने के लिये वे ट्रस्ट को ही समाप्त कर देंगे। हां, इस सिद्धान्त को सरकार स्वीकार करे कि जिसमें हिसाब की गड़बड़ी हो, अनियमितताएं हों, उनको साबित करने के बाद सरकार रजिस्ट्रेशन करावे और फिर अपने अधिकार में ले ले तो यह बात समझ में आ सकती है। पर सर्व साधारण नियम बनाकर सबको अधिकार में ले ले तो यह उचित नहीं होगा। और इस दृष्टिकोण से इस बिल का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल विचारार्थ हमारे सामने है उस पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने दिलचस्प विचार रखे हैं। मुझे अपने एक माननीय मित्र के विचार सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ।। ऐसा मालूम होता था कि बिल का जो मकसद है उससे वे दूर चले गये और अपनी ही सम्भावनाओं को लेकर अपने ही ख्यालों को लेकर वे इस बिल से थोड़े भयभीत हो गये हैं ऐसा मालूम पड़ता है।

एक तरफ तो हम मानते हैं कि इन मन्दिरों में और ट्रस्टरों में जहां तक आर्थिक व्यवस्था का सवाल है उसमें एक प्रकार की खराबी व्याप्त है। एक तरफ तो हम यह मानते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिये मन्दिर और उसकी सम्प्रदाय आज चल रही है वे पूरी तरह से कारगर नहीं होते और उन उद्देश्यों को पूरी तरह से सफल करने के लिये कोई न कोई इन्तजाम करना जरूरी है, जिससे समाज की कुल मिलाकर जो धार्मिक भावनाएं हैं और उनका जो लक्ष्य है वे पूरे होते चले जावें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे मन्दिरों में, मठों में और ऐसी जगहों पर जो नैतिक

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रामाणिकता, विश्वास और प्रकाश होना चाहिये वह नहीं है, एक तरफ हम यह मानते हैं कि हमारी जो धार्मिक सम्प्रदायों का पुराना संगठन जर्जर हो गया है उसका पुनर्निर्माण करना जरूरी है। एक तरफ हम इस तरह की सारी खराबियों का अनुभव करते हैं और दूसरी तरफ जब इस प्रकार का कोई प्रयत्न सामने आता है तो भयभीत हो जाते हैं। आशंकाएं करते हैं कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। इस प्रकार की दलीलें करने लग जाते हैं कि इससे तो धार्मिक स्थानों की आजादी पर एक प्रकार का बन्धन लगेगा। मुझे समझ में नहीं आता उपाध्यक्ष महोदय कि हम विचारों की दृष्टि से जब स्वयं में स्पष्ट नहीं हैं तब समाज की एक पुरानी जीर्ण शीर्ण प्रक्रिया को दुरुस्त करने की प्रक्रिया को कैसे समझ सकेंगे। हमें मानकर चलना है कि जो हिन्दुओं के धार्मिक स्थान हैं वे प्राचीन हैं और भारतीय जनता की धार्मिक भावना का स्वाभाविक परिणाम है। वे एक प्रकार का प्रतिबिम्ब है उनकी भावना का और इसके बारे में यदि किसी की अत्यन्तिक जिम्मेदारी है तो वह सरकार की है कि उनका प्रबन्ध ठीक हो। जो लक्ष्य है वे पूरी तरह से प्राप्त किये जा सकें। उन मन्दिरों क, धार्मिक स्थानों का वातावरण समाज को कुल मिलाकर प्रेरणा देने वाला हो।

आज क्या कोई इन्कार कर सकता है कि हमारी इस धार्मिक परम्परा के प्रति जो पढ़े लिखे प्रगतिशील विचारों के लोग हैं, उनमें एक बगावत है। और वह सही बगावत है। धर्म का जो जोर रहा वह केवल एक है। एक तरफ उसने ईश्वर प्राप्ति के लिये कुछ प्रक्रियाओं और साधनों का तरीका बताया पर दूसरी तरफ कुल मिलाकर मानना पड़ेगा कि समस्त जनता की अन्तरात्माको भुलावे में डालने का काम हमारी सम्प्रदायें करती रही। लेकिन जो स्वस्थ और प्रगतिशील समाज है और जो समाज वैज्ञानिक आधार पर समस्त सार्वजनिक जनता की भावना को संगठन के द्वारा आगे बढ़ाना चाहता है उसमें निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता और धार्मिक भावनाओं का भी पुनर्गठन करना पड़ेगा।

११. म०प०

मैं नहीं कहता कि आप धार्मिक और साम्प्रदायिक मामलों को मूल से हिन्दुस्तान से उठा दें, बन्द कर दें। व्यक्तिगत रूप से तो मैं मानता हूं कि जितने धार्मिक स्थान हैं, कारगर नहीं रहे।

वह अपना जीवन दे चुके हैं। अब उनमें सामाजिक जीवन समाप्त हो चुका है और यही वजह है कि आज जब हम इस सदन में इस प्रकार के बिल पर विचार करते हैं तब हमें यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान में प्रचलित १८०० सम्प्रदाय के जो स्थान हैं वह केवल परम्परामात्र रह गये हैं। वह ऐसे स्थान रह गये हैं जिनसे हमारी प्रगति को रोकने के निरन्तर कीटाणु प्राप्त हो रहे हैं। आप यह समझें कि ऐसे स्थानों से आज हमें कोई प्रेरणा मिलती है तो हम अपने आपको धोका देते हैं। जब कि सारी बुराइयों की उत्पत्ति ही इन पुराने सड़ेगले स्थानों से होती है तो फिर यह जिम्मेदारी किसकी है कि उन स्थानों में जो अव्यवस्था है उसको सुधारा जाये। मेरे विचार में सरकार की जिम्मेदारी है। तो सदन के प्रति जो जिम्मेदार सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि

(श्री जनार्दनराय नागर)

वह ठीक तरह से इन धार्मिक स्थानों का इन्तजाम करे। जब इनके इन्तजाम करने की बात सरकार करती है तो कहा जाता है कि केवल हम अपने राजनैतिक दृष्टिकोण की वजह से करते हैं और हम यह बराबर मान्यता देने की कोशिश करें कि इस प्रबन्ध के मूल में मानसिक बेईमानी है वह यह है कि हम हिन्दू धार्मिक स्थानों की आजादी को छीनना चाहते हैं और जो धार्मिक जीवन है उस पर बंधन लगाना चाहते हैं और सरकार उन पर सारा कब्जा करके आज इन स्थानों की जैसी स्थिति है उससे भी बद्तर स्थिति करना चाहती है तो इस दलील को तो ऐसी दलील कहना पड़ेगा कि वह दलील ही नहीं है ! सारा सवाल यह है कि आप इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं कि जो आज हिन्दू धार्मिक स्थानों की स्थिति है उस स्थिति में सुधार करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि जिससे हमारे धार्मिक स्थान हमारे समाज के आधारभूत अंग बन सकेंगे और प्रेरणा देने वाले अंग बन सकेंगे । मैं यह मानता हूँ कि आज सारे संसार में जो समय आया है वह यह है कि धार्मिक स्थानों की व्यवस्था जो आज है उसमें सुधार किया जाना चाहिए और आज के धार्मिक स्थानों का सुधार किया जाना अत्यन्त कठिन काम हो गया है। लेकिन क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता हमेशा से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही है इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं कि इन धार्मिक स्थानों का पुनर्गठन करें और ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे जो धार्मिक स्थानों का लक्ष्य है उससे वह इधर उधर न जायें। इसमें मैं समझता हूं कि कोई यह कह कर चलें कि जो आज हमारी धार्मिक संस्थाओं की खराब हालत है उसको ठीक करने की राज्य की जिम्मेदारी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वह अपने आपको हिन्दू नहीं मानते हैं। परन्तु हिन्दुओं को यह मान कर चलना पड़ेगा कि जो स्थान हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। आज उनको चलाने वाले जो महन्त और मठाधीश हैं वे व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे लोग हो सकते हैं और उनमें कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और अब भी कुछ ऐसे धार्मिक केन्द्र हैं जहां से आज भी प्रेरणा लेने की बात उठती है समाज को लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारे धार्मिक स्थान हैं वे केवल एक सम्प्रदाय की जायदाद हो गये हैं। वह उसी तरह से हो गये हैं जिस तरह से कि जागीरदारों की जागीर और राजाओं के राज्य थे। जो समाज समय के अनुकूल अपने जीवन के कटु सत्य को मानकर नहीं चलना चाहता वह समाज अन्धा और बहरा समाज है। आज हमारे जीवन का आधार वह धर्म और सम्प्रदाय है और यही कारण है कि हमारी राजनैतिक भूमि भी सम्प्रदाय के आधार पर चलती है । चाहे हम आज प्रगतिशील राजनीति की बात करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आज भी हम धार्मिक और सम्प्रदायिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो आज हम इतनी बड़ी चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम हिन्दू के नाते अपनी नीति को आगे संचालित करने के लिए तैयार नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें शर्म और लज्जा से मानना पड़ेगा कि आज हमारे यह धार्मिक स्थान बेईमानी और वैश्याओं के अड्डे हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू जाति में एक हौंसला है और वह हौंसला यह है कि सत्य को हर स्थिति में मंजूर करके

Page No.65

(श्री जनार्दनराय नागर)

तदनुसार परिवर्तन करने की उन्होंने कोशिश की है। समय समय पर हिन्दू जाति ने बड़े बड़े धार्मिक नेता उत्पन्न किये, तथा बड़े बड़े आचार्य उत्पन्न किये और वह इस बात की सबूत है कि समय समय पर देशकाल के अनुसार हमारे हिन्दू धर्म और उसके स्थानों में और उसकी व्यवस्था में जीर्णता आती गई और देशकाल के अनुसार पिछड़ते गये और इसी कारण अब नये सुधार करना आवश्यक जान पड़ा। इसलिए जनमत के आधार पर एक प्रकार का परिवर्तन हुआ। हमारे यहां जब बौद्ध मत और जैनमत का ह्रास हुआ तो शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने वैष्णव धर्म निकाला और उसका सम्पूर्ण देश में एलॉन किया। लेकिन जब देशकाल आया और समय में परिवर्तन आया और जब समाज के जीवन की जटिलताओं की वज़ह से हमारा सामाजिक ढांचा बदला तो आज कहा जा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थानों की सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिये। पहले हमारे मन्दिरों का लक्ष्य था कि समाज में शान्ति प्राप्त करने के लिये इन धार्मिक भवनों से प्रचार हो। हां, कुछ पुरानी रूढ़ियां हमारे मन्दिरों में चलती हैं लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी सभ्य समाज इस समय जो हमारे मन्दिरों की व्यवस्था है उसको बरदाश्त नहीं कर सकता। नाथद्वारा मन्दिर के बारे में कोई इन्तजाम करने वाला बिल यहां आये और कानून बने तो इस प्रकार का शोरगुल मचाया जाये कि यह तो महन्तों के ऊपर आक्षेप है और जब धार्मिक स्थानों की व्यवस्था ठीक करने की बात आती है तो कहा जाता है कि यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रताके ऊपर आक्षेप है। मेरी समझ में नहीं आता कि धार्मिक स्वतंत्रता का आधार क्या है? क्या जो मन्दिरों में सड़ीगली व्यवस्था चल रही है उसको आप भगवान का स्थान मानते हैं? आप यह मानकर चलना चाहते हैं कि आज के समाज को वह प्रेरणा दे सकते हैं, मैं समझता हूँ कि वह नहीं दे सकते। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरी यह मान्यता है कि यह जो प्रयत्न सरकार ने किया है वह ठीक प्रयत्न है बल्कि मेरी तो यह शिकायत है कि यह कदम सरकार ने देरी से उठाया। कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता यदि उसकी जड़ें खोखली और दीवारों में दम नहीं है। आज उन खोखली दीवारों में होना तो यह चाहिए कि उनको गिरा दें और नये जीवन का मन्दिर बना दें। वह तो हम करते नहीं लेकिन जो पुराने मन्दिर हैं उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर कहा जाता है कि यह तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दलील से मेरा पूर्ण मेल नहीं खाता जो हर बात में केवल नुक्ताचीनी की दृष्टि से बात करते हैं। जिस प्रकार से एक चलनी होती है और उसमें सारे छेद ही छेद होते हैं उसी प्रकार का आज मुझे समाज लगता है, जिसमें मुझे छेद ही छेद मालूम होते हैं। आप एक चलनी में पानी टिकाना चाहें वह नहीं टिक सकता। तो कोई भी बुद्धि जो छलनी है उसमें पानी नहीं ठहर सकता। उसमें दोष ही दोष नजर आता है। गीता में लिखा है:-

अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति।
नायंलोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥

अर्थात् जिस आदमी में संशय घुस जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं अपने

(श्री जनार्दनराय नागर)

मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि संशय की बुद्धि को त्याग करके शांत मुद्दे से इस प्रश्न पर विचार करें तो हमें पता लगेगा कि सरकार ने जो यह हल्का सा कदम उठाया है उसके बारे में सरकार को हमें इस बात का विश्वास दिलाना चहिए कि एक्ट के बनने के बाद सरकार ने जो प्रगतिशील कदम उठाया है उसमें सरकार का लक्ष्य इतना ही है कि हमारे धार्मिक स्थानों की बकायदा विधिवत एक सार्वजनिक स्वतंत्रता कायम रहेगी। वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि वह सारे समाज की सम्पत्ति नहीं है इस दृष्टिकोण से हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि आज एक धार्मिक सोसायटी आप बनाते हैं, एक ट्रस्ट आप बनाते हैं, एक संस्थान आप बनाते हैं तो वह किस की सम्पत्ति है ? जो आज एक महन्त है, आज एक मठाधीश है या उस सम्प्रदाय की वह सम्पत्ति है, लेकिन सारे समाज की सम्पत्ति नहीं है। इस बिल के ज़रिये जो सबसे बड़ी बात आज की जा रही है वह यह है कि उसको समाज की सम्पत्ति आज इस बिल के ज़रिये बना रहे हैं। हमारे यहां पहले बहुत सी संस्थाएं शैक्षिक और सांस्कृतिक के काम करने वाली थीं उनका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था तो वह कुछ लोगों की सम्पत्ति थी जो कि उन संस्थाओं को चलाने के लिए मदद करते थे। इस बात की आवश्यकता राज्य को मालूम हुई तो आज से ५, ६ वर्ष पहले इस बात के नियम बनाये और एक बिल इस सदन में पेश हुआ जिसकी वजह से सोसाइटी को रजिस्टर कराने की जरूरत थी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, एक सार्वजनिक काम के लिए चाहे वह धार्मिक काम हो, चाहे शैक्षिक काम हो, चाहे सांस्कृतिक काम हो उसके आधार पर वह सारे समाज की सम्पति हो गई। मैं यह मानता हूं कि अलग अलग सम्प्रदाय की सम्पत्तियां हैं, अलग अलग महन्त कुल सम्पत्ति है हमारे यहां हैं उसको कुल मिलाकर सारे राज्य की, सारे समाज की सम्पत्ति बनाने की जो बात है वह आज उस जनता की भावना के प्रति, जनता की धार्मिक इच्छा के प्रति, जनता की धार्मिक आकांक्षा के प्रति न्याय कर रहे हैं। आज जनता का राज्य है तो जनता इस राज्य की रहने वाली है। जनता चाहती है कि हम लोगों के धार्मिक जीवन के मामले में जो अनेक मतमतान्तर चल रहे हैं, अनेकों सम्प्रदाय की व्यवस्था चल रही है, जो अनेक प्रकार की भिन्नताएं चल रही हैं उनका तमाम का समन्वय करके एक ऐसी व्यवस्था का आधार कायम किया जाय जिसके आधीन एक स्तर पर सारे राजस्थान के मन्दिर और मठ चले जायं। मैं समझता हूँ कि इसका प्रावधान इस बिल के जरिये किया गया है।

यह कहा गया है कि देवस्थान कमिश्नर को इसके जरिये काफी अधिकार दिये जा रहे हैं। उनके नीचे जो असिस्टेन्ट कमिश्नर होंगे उनको काफी अधिकार दिये जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार एक बात और लाई है कि सारे राजस्थान के मामले को देखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड और क्षेत्रिय आधार पर सलाहकार कमेटियां होंगी। तो इस बिल की इस प्रक्रिया की दृष्टि से, निर्णय और मत उत्पन्न करने की दृष्टि से इस बिल की धाराओं का अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट मालूम होगा कि चाहे क्षेत्रीय स्तर पर, चाहे केन्द्रीय स्तर पर हो जो जो कमेटी के सदस्य होंगे उनकी राय का काफी प्रभाव

Page No.67

(श्री जनार्दनराय नागर)

होगा। चाहे क्षेत्रीय आधार पर चाहे केन्द्रीय आधार पर हो जिन सम्प्रदायों के ट्रस्ट को इस विधि के द्वारा समन्वित किया जा रहा है उनके प्रतिनिधित्व की हर कमेटी में व्यवस्था की जा रही है। इस बिल के द्वारा समाज में यही एक प्रकार से व्यवस्थित, एक प्रकार से कानूनी स्टेटस उन मन्दिरों को और उनकी व्यवस्था को दिया गया है। जो कल का पब्लिक मत है जो कि इन धार्मिक स्थानों को प्रभावित करता है, जो एक बिखरा हुआ पब्लिक मत है, जो 'गलियों और में चलता रहता है, उपाध्यक्ष महोदय, वह मत जो बिल्कुल कमज़ोर था. लोग कहते थे कि अमुक महन्त के ज़रिये, अमुक मठाधीश के ज़रिये जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। वहां पर जो जो काम होने चाहिए वे काम नहीं होते हैं। यह पब्लिक मत है, जनमत है। यह चीज़ वे भक्त लोग कहते हैं जो मंदिरों में दर्शनों के लिए जाते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि मंदिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है। वह मत कमज़ोर हो गया है। जब जनमत कमजोर हो जाता है तो उसका निर्माणकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए निर्माणकारी मत उत्पन्न करने की जरूरत है ताकि मंदिरों की ठीक व्यवस्था कर सकें। उस मत को उत्पन्न करने की दृष्टि से मैं समझता हूं यह बिल बहुत जरूरी है। इसके अन्दर जो क्षेत्रीय समितियां और केन्द्रीय समिति के सदस्य होंगे उनका मत उत्पन्न करने की दृष्टि से निर्माणकारी असर रहेगा और निर्माणकारी असर हो, मैं समझता हूं की राज्य की जिम्मेदारी होगी, चाहे वह कमिश्नर हो उसके अनुसार मंदिरों का इन्तज़ाम करेंगे।

इस बिल में एक दो अच्छी बात जो है वह यह है कि मंदिरों की जो सम्पत्ति है, उनका जो रोज़मर्रा का खर्चा है उसका बाकायदा विधिवत् हिसाब किताब रखा जायगा। उसका बाकायदा ऑडिट किया जायगा, और उनके जो अधिकार हैं व्यय करने के सम्पत्ति में वे सीमित कर दिये गये हैं और बाकायदा उनको बोर्ड की इजाज़त लेनी पड़ेगी। उस मामले में ७ साल के बाद लीज़ नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था को लाना बहुत जरूरी है। जो मंदिरों की सम्पत्ति है, जो जागीरें हैं, जो मन्दिरों के गांव हैं, उनकी हालत क्या है? हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर है उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं मुझे मालूम है कि उनकी जागीर के गांवों के काम काज की क्या हालत है? मैं समझता हूं कि वह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों की ठीक तरह से व्यवस्था हो सके और उसका कानूनी तौर पर जितना प्रतिबन्ध जिस प्रकार की व्यवस्था कानून कायदे में देना चाहिये वह दे रहे हैं। हिन्दुस्तान में अभी थोड़े अर्से पहले एक ट्रस्ट के बारे में अखबारों में काफी चर्चा चली। वह ट्रस्ट कायम हुआ फिर भी ऐसी बातें सामने आईं जिसकी वजह से समझदार आदमियों को परेशानी हुई। आज हमको मानना पड़ेगा कि शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाएं कम निर्मित होती हैं लेकिन मंदिर और इस प्रकार के संस्थान हैं वे अधिक से अधिक मात्रा में आज भी समाज के अन्दर निर्मित होते हैं। पुराने धार्मिक लोग धर्मशालाओं के लिए ट्रस्ट बनाते हैं। दान पुण्य के लिए ट्रस्ट बनाते

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं। हज़ारों लाखों रुपया प्रति वर्ष समाज और धार्मिक उपयोगिता के लिए खर्च करने के लिए लोग अपने आप को आगे रखते हैं तो सरकार की उस आधार पर जिम्मेदारी है कि उसके बारे में एक प्रकार की व्यवस्था निर्धारित करे।

देवस्थान विभाग की संतोषजनक स्थिति नहीं है। उस स्थिति का बखान करके हम कहें कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं कि यह दलील ठीक समाधान करने वाली दलील नहीं है। यह ठीक बात है और हम कहते हैं कि इस बिल के अंतर्गत जो अधिकारी सरकार कायम करेगी वह अधिकारी ऐसे होने चाहिए कि बिल की मन्शा को पूरा करें और ठीक तरह से इस बिल के मकसद को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था है उसका ठीक तरह से संचालन करें। यह ठीक है। लेकिन चूंकि देवस्थान विभाग के अधिकारी इसमें प्रशासनिक अधिकार बना दिये गये हैं इस वजह से इस बिल की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से हिन्दू ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, इस वजह से केन्द्र का सलाहकार बोर्ड नहीं बनना चाहिये इस वजह से क्षेत्रीय समितियां नहीं बननी चाहिए, इस वजह से इस ट्रस्ट बिल के अनुकूल जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होंगे, जो उनके हिसाब ऑडिट होंगे, जिस तरह का प्रबन्ध जिस तरह के हक हकूक दिये गये हैं, वह नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि एक जगह की वह मान्यता है कि धर्म के मामाले में इतनी बड़ी बात, उद्देश्य, जो लक्ष्य पूरा होना चाहिये, जो व्यवस्था की की जाने वाली है उसके लिए आवश्यक नहीं है तो यह बात इस बात का सुबूत है कि आप चाहते ही नहीं है कि धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति जो किसी मठ, महन्तकुल, सम्प्रदाय की सम्पत्ति है वह सारे समाज की सम्पत्ति नहीं है। उसको सारे समाज की सम्पत्ति नहीं समझा जाय तो आप साफ कहें कि जो अब तक चला आ रहा है वह चालू रखा जाय, "रघुकुल रीति सदा चली आई" तो वह रीति चलती रहे! हमारे हिन्दुस्तान में १८०० सम्प्रदाय हैं। मेरे एक मित्र साधू होकर सारे सम्प्रदायों में घूमे हैं १० वर्ष तक वे हर सम्प्रदाय में जाकर चेले बनकर रहे हैं और १० वर्ष के बाद गृहस्थी हो गये। मुझसे मिले, उन्होंने सम्प्रदाय की हालत मेरे सामने रखी, उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हिन्दुस्तान में वह दिन जल्दी आये, जब सम्प्रदायों का भग्नावशेष है, उसको समाप्त कर दें और जो तथाकथित धर्म स्थान रह गये हैं, उनको सार्वजनिक उपयोग का केन्द्र बना दें। आज धर्म के मायने जड़, परम्परा समझ लिया है, एक लकीर को पीटना समझ लिया है। आज हिन्दुस्तान काफी बदला है, हिन्दुस्तान का इन्सान बदला है, आज सबसे बड़ा धर्म है कि अपनी अन्तर आत्मा को ऊंचा उठा सको, उत्थान कर सके, प्रकाशवान कर सको और जो आजादी जीवन की मिली है उसको टिकाये रखने का प्रबन्ध करें। हम जो हिन्दू हैं, हिन्दुओं के अन्दर एक समन्वय की बात पैदा करें। आज हज़ारों वर्षों से सम्प्रदायों की लड़ाई होती रहीं, खून खराबियां होती रहीं। हिन्दुस्तान का ७१० वर्ष का इतिहास देखें, यहां पर सम्प्रदाय आपस में लड़े हैं और ईश्वर के नाम पर जितना इस देश में और दुनियां में खून बहा, इतना राज्य के नाम पर नहीं बहा।

(श्री जनार्दनराय नगर)

जो हमारा इतिहास है, वह क्या है, एक हज़ार वर्ष से ईश्वर और खुदा के नाम पर जातियां लड़ी, सदियां बीत गई, धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी निरन्तर लड़ाईयां हुई। यह ३०० वर्ष का इतिहास है, जब से शुद्ध राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ाई हुई। हिन्दुस्तान में जो भी आया, वह धर्म का नाम लेकर आया, खुदा का नाम लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि आज जो ईश्वर के नाम पर खून बहाने की बात आती है, उसकी जड़ उखाड़ दें, ईश्वर के नाम पर बहुत खून बहाया है। मेरा व्यक्तिगत विचार हैं, मैं मानता हूं कि आज हमारे सम्प्रदाय की, और धर्म की हालत है, वह अफीम के नशे की हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, धर्म के अन्धानुकरण से, मनुष्य को दबाने के लिए, धर्म का अफीम का नशा कराते जा रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि नये मानव की विचारधारा में, वैज्ञानिक विचार में सामाजिक जीवन को बदलना पड़ेगा। यह सत्य है, एक अत्यन्त कटु सत्य है...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऐसा हो रहा है, जैसे राम लीला हो रही हो सदन में।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूँ कि सामाजिक जीवन को नया बनाने का प्रश्न है। मैं आपकी बात समझा नहीं, शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई...

श्री मदनसिंह : रामलीला समझ रहा हूं।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरी बात है, वह आप समझ नहीं रहे हैं। मैं भी कम समझ पाता हूं, अगर यकायक कोई कह दे कि जो धर्म स्थान हैं, उनको खत्म कर दिया जाय और उनमें स्कूल, औषधालय बना दिया जाय क्योंकि बाप दादों का रक्त हमारी रगों में मौजूद है, वह रक्त आपकी धमनियों में भी मौजूद है, आप इन्कार कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूं। हिन्दू जाति इस मानसिक रोग से ग्रसित रही है। जिस दिन से हमने देखा कि हमारी संस्कृति चली गई, हम कमजोर हुए हैं और हम धर्म के अफीम के नशे में वैसे के वैसे ही रह गये। आज हिन्दू धर्म के नाम से मंदिर में जाकर पुकारता है, जहां हम भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं कि वही सही मायने में हिन्दू संस्कृति है, वही सही मायने में हिन्दू धर्म है, नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दू धर्म और संस्कृति का सही रूप बताना चाहूं तो वेद के हज़ारों मन्त्रों से बता सकता हूं। हिन्दू धर्म और संस्कृति आज मिटी है और मिटे हुए रूप में हमारे सामने है। आज रक्त का खिलवाड़ होता है ईश्वर के नाम पर, वह हिन्दू धर्म का सही रूप नहीं, ईश्वर का रूप नहीं है। ईश्वर का सही रूप वह है, जिसका मान सरोवर के तट पर बैठ कर साक्षात्कार किया था। मैं समझता हूं आज मन्दिर के द्वार तक पहुंच जाते हैं, वहां वह साक्षात्कार नहीं हो सकता। वह गंगा आज सूख गई है, उपाध्यक्ष महोदय, जो शिव की जटा में से निकली थी। हम चाहते हैं हिन्दू संस्कृति का पुनरुद्धार हो। आज हमारा देश बदल गया, हमारी वेशभूषा बदल गई और वाणी हमारी बदल गई, हम केवल अन्धानुकरण करने वाले रह गये। आज गौ माता के बारे में कहते हैं, बहुत बढ़ स की जाती है, खून बहाने की बातें

(श्री जनार्दनराय नागर)

सोचते हैं लेकिन आज गऊ की हालत क्या है ? हिन्दू संस्कृति और धर्म के प्राण में, एक एक नश में पुरानी परम्परा की अफीम का नशा बढ़ गया है और उसकी वजह से आज ताकत नहीं रही, इसलिए इतने बड़े विकराल तथ्य को समझने की शक्ति कहां है। हम इस कदम को एक मामूली कदम समझते हैं और इसकी सराहना नहीं करते हैं। हम उसी अहंकार में चलते रहेंगे कि हम वही हिन्दू हैं जो हिन्दू थे। हम मानते रहें कि धर्म स्थान वही हैं, जैसे होने चाहिए, तो बात दूसरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के नाम पर हमारे इन सम्प्रदायों के ज़रिये बाकायदा जो बुरा व्यापार बराबर होता है, इस व्यापार को हमें दूर रखना चाहिए। आज ईश्वर है, वह मन्दिर में है, आज धर्म है, वह मन्दिर में है, संस्कृति है, वह मन्दिर में है। लेकिन वहां है क्या, हम जवाब नहीं देंगे, मौन हो जायेंगे। जब स्वयं में कमजोरी आती है, तब मौन व्यक्ति रहता है। उस कमजोरी को ठीक करने वाली बात कोई व्यक्ति करता है तो बिलबिला जाते हैं। जब तलवार से गर्दन कटने लगी, मूर्तियां कटने लगीं, तब हम बन्द रहे, उस समय धर्म की वास्तविक भावना ने जोर नहीं पकड़ा। अंग्रेज हमारे देश में आये, उन्होंने हमारे जीवन पर, मन्दिरों पर और भावनाओं पर आघात करना शुरू किया, तो हमने बड़ी सरलता से अपनी वेशभूषा बदल ली और हमारे देवताओं के कपड़े भी वैसे बन गये, जैसा राजनैतिक समय था। मध्य काल में वह वेश भूषा वैसी हो गई, जैसी राजा महाराजाओं की थी। हमारे रीति रिवाज उस समय वैसे हो गये, जैसे राजा महाराजाओं के थे। मुझे आशंका है, उपाध्यक्ष महोदय, जमाने की प्रगति को हम अन्धानुकरण करते चले तो कहीं हमारे भगवान हाफ पेन्ट न पहनने लगें। सही बात तो यह है कि जो जीवन की प्रारम्भिक वृत्तियां हैं, उनको हम भूल गये हैं। मैं देखता हूं कि हमारे मन में एक भावना है, हम समझते हैं कि मन्दिर में जो देवता बैठे हैं वे हमारी रक्षा नहीं करते हैं। सही बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, देवता हिन्दुस्तान में पत्थर के हो गये हैं, इन्सान अपने मार्ग से भटक गया है। आज उसे अपने मकान के दरवाजे बन्द करने का विवेक है लेकिन दिमाग के दरवाजे खुला रखने में शंका है। आज सारे संसार में विज्ञान का चमत्कारिक प्रभाव दिखाई दे रहा है, मनुष्य की शक्ति निरन्तर बढ़ रही है लेकिन हम अपनी भावनाओं के कीचड़ में फंसे हुए हैं। मैं पहले कई मन्दिरों में जाता था, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मन्दिरों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि हरिजन मन्दिर में जा नहीं सकते थे....

श्री उपाध्यक्ष : We are discussing Rajasthan Hindu Public Trusts Bill.

श्री जनार्दनराय नागर : जी हां, मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, आज धर्म के नाम पर, मन्दिरों के नाम पर कहा जाता है कि इस बिल के जरिये हानि होगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि हम हिन्दू अपने आपको कहते हैं लेकिन हमारा क्या उत्तरदायित्व है। मैं पुनः स्पष्ट करूं . . .

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The Hon'ble Member is directing his whole attention to the temples, but the Bill relates only to charitable institu-

(श्री पी० के० चौधरी)

tions and not to temples alone.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूं कि हमारी शक्ति क्षीण हो गई है।...

श्री पी० के० चौधरी : मैं समझता हूं the Hon'ble Member is going beyond the scope of the Bill.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं अर्ज कर रहा था कि आज हमें केवल व्यवस्था के बारे में नहीं सोचना है लेकिन हिन्दू धर्म के द्वारा अन्तर आत्मा की जागृति कर भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है

(हंसी)

आप अपने को नकली हिन्दू मानने की बजाय असली हिन्दू मानने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से धर्म में, देवता में प्राण प्रतिष्ठा कर पायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये जो साधारण सुधार करने के लिए कदम बढ़ाया है, उसके प्रति हर सदस्य का कर्तव्य है कि इसमें सहयोग दे। यह ठीक है कि कुछ प्रतिक्रिया-वादी हैं जो धर्म के नाम पर, राजनैतिक भावना से इसका विरोध करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। उनको पहले गौ माता मिली, अब उनको हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति मिली, जो पुरानी भावना वाले हैं, जिनका पुराना झंडा है, अनेक तरह के रंग के झंडे लेकर चलते हैं, वह प्रगतिशील तबका नहीं है। वह नहीं चल सकते एक कदम आगे। अगर कोऑपरेटिव की बात करें, समाजवाद की बात करें, वे विरोध करेंगे। वे पुराने झंडे को लेकर चलते हैं और नये कदम वाली नई पगडंडी पर जाते हैं पर इस पगडंडी पर कितने कदम चल पायेंगे। इस नई पगडंडी पर चलने से पहले एक फैसला करना पड़ेगा कि जो हिन्दू धर्म की रक्षा करनी है, नवीन संस्कार पैदा करने हैं, तो प्राचीन धर्म है, प्राचीन संस्कृति है, उसमें नया अध्याय लाना पड़ेगा...

श्री मदनसिंह : It is very interesting.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के भाषण से राजस्व मन्त्री जी भी हंसते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि जो मन्दिर में सम्पत्ति है उसका ठीक तरह से उपयोग होता है या नहीं, वहां काम होता है या नहीं। आज आपके सामने केस है, उसमें महन्त जी ने सारी सम्पत्ति को अपना बना लिया। उसके लिए कहते हैं कि उसकी पुनः जांच होनी चाहिए लेकिन सरकार यह बात तय कर रही है कि सम्पत्ति को ट्रस्ट को रजिस्टर कराइये, खर्चे का ऑडिट करवाइये। आपको क्या पसन्द आता है क्या नहीं आता है यह हमारी समझ में नहीं आता। एक तरफ कहते हैं कि मन्दिरों की सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति है। सार्वजनिक सम्पत्ति के माने यह नहीं कि सात आठ आदमियों की एक बोडी बना दें और उसके कोई नियम नहीं हों। सार्वजनिक सम्पत्ति है तो कानून बनाइये और उस सम्पत्ति पर अधिकृति सरकार की हो। हम हमारे मन्दिरों और मठों को जो हमारे चरित्र

(श्री जनार्दनराय नागर)

निर्माण के प्रेरणा श्रोत हैं उनको ठीक करें। अब हम गूंगे बहरे देवताओं से ठगे नहीं जाना चाहते,बोलने वाले देवता मानना चाहते हैं।

आप कहते हैं कि हिन्दू संस्कृति का पुनरुत्थान हो, हमारे जैसे नास्तिक पुनुर्भव में विश्वास नहीं करते हम पुनर्संस्करण में और क्रान्ति में विश्वास करते हैं। हम आपकी मदद ही कर रहे हैं, यही तो आपका नारा है। आपकी भावना की थोड़ी रक्षा करने के लिए, सम्मान करने के लिए व्यवस्था देते हैं तो चीरा लगता है। मै नहीं समझता कि चीरा इतना जल्दी क्यों लगता है ? हमारे यहां बहुत से विदेशों के धर्म आये और उनको हमने पचाया, हमने अपने धर्मों को बाहर दूसरे देशों में भेजा उस क्रान्ति की वजह से हम चाहते हैं कि हमारे धार्मिक स्थानों का पुनर्निर्माण हो और समाज का सांस्कृतिक और चारित्रिक दृष्टि से सुधार हो, एक शब्द भी बता दें जिसके अनुकूल आप न हों। १५० वर्षों से स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ साथ हिन्दू धर्म का पुनर्भव करने वाले कई महात्मा, ऋषि दयानन्द, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द, महात्मा गांधी, उन्होंने कुल मिला कर यही बात कही कि हिन्दू मन्दिरों में सही देवता नहीं हैं। आप इस बात में विश्वास करते हैं कि एक आदमी ईश्वर के सामने भेदभाव से खड़ा है, वह ईश्वर क्या जिसके सामने जाकर मनुष्य ईश्वरत्व प्राप्त नहीं कर सके, मनुष्य ही रह जाय। इन कल्पनाओं से आप दूर चले गये। आप विदेशियों की तलवार के सामने आक्रमणों के सामने झुकते गए, आप विचारवादी होकर विदेशी प्रभाव को पचा नहीं सके।

हमने बौद्ध धर्म को बाहर भेजा, आधी दुनियां को बौद्ध बनाया। आप यह नहीं समझे कि शुद्ध आर्य रक्त आप में प्रवाहित हो रहा है, यह तो आपके चेहरे मोहरों से ही प्रतीत होता है।

श्री उपाध्यक्ष : Now we are at the extreme end of the resolution.

श्री जनार्दनराय नागर : यह तो हमारे चेहरे मोहरे बताते हैं। सारे देशों की जो जो जातियां यहां आईं, आंधी के तरीके से आई पर हमारे देव मन्दिरों के पालनों में वे लोरियां बन कर जज्ब हो गई।

इस मामूली बिल से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं, हमारा यह आत्म संवेदन है, धार्मिक भावना को उत्थान देने के लिए है। दयानन्द इसीलिए मरे कि हिन्दू धर्म में इतनी प्रगति आये, महात्मा गांधी इसीलिए मरे. . .

श्री दलपतसिंह (आबू): On a point of order, Sir. On what subject he is speaking, we don't understand.

श्री उपाध्यक्ष : That is not a point of order.

श्री पी० के० चौधरी : We would like to know whether the discourse is being given on the rejevenation of Hindu religion or on the Bill.

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष, श्री कृष्ण पैदा हुए,वह मैं इसलिए

(श्री जनार्दनराय नागर)

कह रहा हूं कि कृष्ण मन्दिर बहुत हैं, एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए नये भारत का निर्माण करने की कोशिश की, मुरली के स्वरों को यहां गुंजाया साथ ही हिन्दू धर्म में नया संस्करण करने को कहा, उन्होंने कहा कि हिन्दू को इस प्रकार से जीना चाहिये, उनके जीवन की एक एक कथा, एक एक कथा की एक एक घटनास्तर हिन्दू धर्म नवीन संस्करण के लिए कहता है।....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar, I would like you to be within the purview of the Bill.

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष, बिल में तो दो बातें हैं, एक तो मन्दिर है और दूसरी अच्छी व्यवस्था है....

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble Member is in a trance.

श्री जनार्दनराय नागर : हमें मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान नई दिशा की तरफ जा रहा है। हमारा हर धार्मिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न उच्च गति का प्रगतिशील, राजनैतिक प्रश्न बन गया है। हमको यह जो मलबा मिला है धर्म के नाम पर पचड़ा मिला है, उसको दूर करना होगा। धर्म से इस मनोवृत्ति को बनाना चाहते हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : The Maths of debris ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं आपके जरिये माननीय उपाध्यक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के लिये हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि धर्म के विनिमय के लिये....

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of order, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : What is the point of order ?

श्री पी० के० चौधरी : You sit down, then I will tell you the point of order.

श्री उपाध्यक्ष : You should not address directly.

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. The Hon'ble Member from Mavli will please resume his seat.

श्री पी० के० चौधरी : The point of order is this Sir, that his debate is not within the scope of the Bill and he has gone far beyond it. Again and again the Chair has drawn his attention to come back to the Bill but he is still not coming back. So he should be cautioned to come back to the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, he is receiving the caution and the point of order was more to disturb the debate.

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र अपने आपको बहुत बुद्धिमान् साबित करना चाहते हैं पर

Page No.74

(श्री जनार्दनराय नागर)

मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही जो हिन्दूधर्म देवमन्दिरों से सम्बन्ध नहीं रखती हो। जिनकी नाक की डांडी तक देखने की आदत हो उनके लिये तो मेरे पास कोई इलाज़ नहीं। हिन्दू धर्म शताब्दियों से चिरन्तन कहानी है, वह हमारे अधिदेवों से सम्बन्धित है। आपका धर्म का ज्ञान इतना है कि लोटा हाथ में ले कर....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary is not the subject of the debate.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं मानता हूँ कि मेरे माननीय मित्र अच्छे हिन्दू हैं, उनके चेहरे मोहरे से, शक्ल से, हमारे हिन्दू धर्म का जीवित भग्नावशेष यदि कोई है तो माननीय मित्र है तो मैं उनको कहता हूं कि इसकी

(अनवरत हंसी)

व्यवस्था के लिये कानून सरकार ने रखा है, उसको पास करें। और उन्होंने धीरे धीरे हिन्दू धर्म में सुधार करने की कोशिश की। स्वामी दयानन्द पुकार पुकार कर कह रहे थे कि हिन्दू धर्म में सुधार करो, हिन्दू धर्म को पुनर्भव करो। स्वामी विवेकानन्द भी यही कहते थे और महात्मा गांधी जिनको आप बहुत मानते हैं वे भी यही कहते थे कि हिन्दू धर्म का पुनर्भव करो। महात्मा गांधी ने आपको यहां तक कहा है कि नाम मात्र की पुरानी परम्पराओं को लेकर हिन्दू धर्म की लकीर को पीटने की जरूरत नहीं है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसी दृष्टि से सरकार ने यह बिल रखा है और मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बिल को यह कह कर टालने की कोशिश की है कि इस बिल के पास हो जाने से हिन्दू धर्म का सारा मामला ही गोल हो जावेगा। मगर वास्तव में इस बिल से हिन्दू धर्म पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जरूर सरकार इस बिल को पास करे और हर मन्दिर के लिये व्यवस्थित ट्रस्ट होने चाहिये और सरकार को इसके लिये अधिकार होना चाहिये कि वह उसकी देख भाल करती रहे और सरकारी अधिकारी समय समय पर उसका निरीक्षण करते रहें। हिन्दू धर्म में बहुत से गंभीर चिंताजनक रोग लगे हुए हैं और इसकी विषम स्थिति है। कहीं धन्धे में है तो कहीं हृदय में है और ये रोग सदियों तक पूरे ठीक नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Are these all diseases ?

श्री जनार्दनराय नागर : जो सड़ा गला धर्म का रूप है यह महा रोग है। इसमें विषम धर्म के संस्कार हैं, पुराने फोड़े हैं जो चर्म में जमते रहते हैं और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी और भी दयनीय दशा होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से और सरकार से कहूंगा कि जो कदम आप उठाते हैं वह मामूली कदम है। आपको इसमें और धाराएं लानी चाहियें जो लक्ष्य भेदी हो वही उसको पूरा करने की कोशिश करें। जहां आप पुष्टिमार्गियों को कहते हैं, उनके पुजारी हैं अगर उसने ठाकुर की ठीक तरह से पूजा नहीं की तो उसको कौन कहता है। उसके संस्कार ठीक है या नहीं, उसने भोग ठीक तरह से चढ़ाया या नहीं, मंदिर की ठीक तरह से व्यवस्था हो रही है या नहीं, उसका आचरण ठीक है या नहीं। इन सभी बातों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिये उन पर एक प्रकार से जनमत

(श्री जनार्दनराय नागर)

से उत्पन्न ट्रस्ट द्वारा उन पर एक प्रकार का अंकुश होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सारी जनता इस कार्य के लिये संगठित है। केवल भावना से काम नहीं चलता है। आज हमारे सारे हिन्दू धर्म में सुधार होना चाहिये। आज हमारी पूजा पद्धति है वह पुरानी है और आज हमारा नवीन जनमत है उसमें विषमता पैदा करता है। दूसरी तरफ हमारे पुजारी और मठाधीश हैं जो गांव गांव में छाये हुए हैं आज भी उसी परम्परा पर चलने वाले हैं। इसलिये मेरी तो मांग यह है कि यह बिल तो क्या, मैं तो यह कहूंगा कि आप इस तरह का एक और बिल लावें जिससे हमारे हिन्दू सम्प्रदाय का मैं समझता हूं कि पुनः संस्कार करें। आबू में जिस समय क्षत्रियों का बीज नष्ट हो गया था उस समय फिर अरबुद्ध में यज्ञ किया गया....

श्री मदनसिंह : कहने वालों का बीज नष्ट हो गया होगा।

श्री जनार्दनराय नागर : आप मानेंगे कि परशराम ने २१ बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया था और उसके बाद लोहित ने क्षत्रियों का पुनर्भव किया। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का पुनः संस्कार हुआ और फिर मन्दिरों की स्थापना हुई। इससे हम पथ प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद मामूली बात को पहाड़ मान कर चलते हैं। जब आप खुद मन्दिर में बैठ जावेंगे तो आप को मालूम होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दू ट्रस्ट बिल के बारे में हम विचार कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस बिल के जरिये पुरानी व्यवस्था को मिटाने जा रहे हों या धार्मिक व्यवस्था पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने जा रहे हैं यह बात नहीं है। हम देखते हैं कि हम क्या बदलने जा रहे हैं। हम क्या मंदिरों को पूजा में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं या दाता की इच्छा के विरुद्ध दान दिये हुए को किसी दूसरे काम में लगाना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि वास्तव में यह बिल की मंशा नहीं है। यह कहा जाता है कि हम पुरानी व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं। मगर हम पुरानी व्यवस्था को बदलने नहीं जा रहे हैं बल्कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो धर्म के अनुसार नियम बन्ध और क्रम बन्ध कार्य होना चाहिये वह करना चाहते हैं, यह कहा जावे कि हम पुरानी व्यवस्था बदलने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि यह उचित नहीं होगा। जिस प्रकार देश और समाज का भला करने के लिए हमने राजाशाही को मिटाया, एकतन्त्र शासन शाही को मिटाया उसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम पुरानी व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं यह कदापि नहीं है। हम धार्मिक कामों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन जो धन का वहां पर दुरुपयोग होता है और जो धन दाता ने जिस कार्य के लिए दिया है उसी कार्य में खर्च हो उसके लिए कोशिश करते हैं और दुरुपयोग को मिटाते हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : जब से आपका राज्य हुआ है मिटाते ही मिटाते हैं। पाले नहीं हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अब कुछ मिसालें मेरे माननीय सदस्य श्रीमाधोपुर से आने

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

वालों ने दी कि देवस्थान के मंदिरों की व्यवस्था खराब है। मिल के चलाने में रुपया लगाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दान दाता की यह मंशा नहीं थी कि वह रुपया भंडार में पड़ा रहे और उसका उपयोग न हो। दानदाता की यह मंशा थी कि उस धन का बराबर सदुपयोग हो।

(हर्षोल्लास)

इसलिए यह कहना कि वह रुपया मिल के लिए दे दिया गया है यह गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि जो रुपया मिल में दिया गया है उसका ब्याज आएगा उससे धन की वृद्धि ही होगी और उससे ज्यादा से ज्यादा भला होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो मन्दिर कब्जे में हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। यह मंदिरों को कब्जे में लाने की बात नहीं है। उनकी व्यवस्था सुधारने की बात है। गलता के महन्त को शादी की बात कही गई कि उसको शादी करने की इजाजत दे दी गई है। मैं समझता हूं कि वे खुद समझदार और प्रगतिशील विचारों के होते हुए भी यह बात कहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहता वह ब्रह्मचर्य से रह सकता है। क्या आप यह चाहते हैं कि वह दूसरों की तरफ ताकता रहे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपके साथ ज्यादती नहीं है।

श्री मदनसिंह : आपने ऐसे कानून बनाये हैं कि बच्चे पैदा न करें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : इसलिए हमने यह नियम बनाया है इसलिए यह कह देना कि गलताजी के महन्त को यह इजाजत नहीं दी गई क्या? वहां दुराचार को बढ़ने देते, दूसरों की स्त्रियों की तरफ ताकने दे। शादी करने के लिए इजाजत दी गई वह इसलिए नियम बद्ध तरीके से काम हो शादी करना चाहे कर ले इसमें क्या बुराई की बात है? इससे यह समझ लेना कि धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है।

यह भी कहा जाता है कि चिन्तायुक्त दशा में यह कर रहे हैं सब को चिन्ता होनी चाहिये। जो देश आलसी हैं जहां के नागरिकों को किसी बात की चिन्ता नहीं वे नागरिकों आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए देशवासियों को चिन्ता रहनी चाहिये। कांग्रेसियों को अपनी सरकार बनाये रखने की चिन्ता हो रही है लेकिन विरोधियों को भी तो इस बात की चिन्ता हो रही है कि इस तरह से किस तरह से सत्ता रूढ़ हुआ जाय! इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि सबको सब तरह की अपनी उन्नति की चिन्ता होनी चाहिये। जो देशवासी चिन्ता नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे चिन्ता प्रगतिशीलता है और उन्नति का कारण भी है। देशवासियों को चिन्ता होनी चाहिये प्रगतिशील कानून बनाने की। यही हमें चिन्ता है इसीलिए यह कानून बनाया जा रहा है। देश में जो धन है उसका दुरुपयोग न हो इसलिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। इसी की चिन्ता को क्रियान्वित करने के लिए मिटाने के लिए यह कानून सरकार लायी है।

यह भी कहा गया कि कांग्रेस वाले शराब

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

पीते हैं मदिरा पान करते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि कांग्रेस वाले चाहे कुछ भी करते हों कांग्रेस के जो सिद्धान्त हैं। वे ठीक हैं वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्त क्या हैं, शैव सम्प्रदाय के सिद्धान्त क्या हैं, हर मत के सिद्धान्त अच्छे हैं : लेकिन उस मत के मानने वाले उसके अनुयायी खोटे काम करते हैं, तो यह सम्प्रदाय चलाने वाले का दोष नहीं है उसके लिए सारी सम्प्रदाय उत्तरदायी नहीं हो सकती। उनका काम बताने का है रास्ता बताने का है। चलने का काम आपका है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं क्या जन संघ में शराब पीने वाले नहीं हैं क्या झूठ बोलने वाले नहीं हैं। सभी उसमें पवित्र आत्मा हो यह गलत धारणा है।

श्री मदनसिंह : इसका ठेका तो कांग्रेस ने ही ले रखा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल: कांग्रेस ने तो ठेका ले रखा है जनता ने इसको माना है तभी तो कांग्रेस की सरकार बनी हुई है नहीं तो जनसंघ की सरकार बन जाती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठेकेदारों की जमात है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अवश्य ठेकेदारों की है। इसको जनता चाहती है। जनता ने इसको अधिकार प्रदान किये हैं। यह लोकतन्त्र का जमाना है इसमें खाली कह देने मात्र से काम नहीं चलता। जनतन्त्र के आधार पर कार्य प्रणाली चलती है।

आज यह कहा जाता है कि जनसंघ केवल प्रगतिशील संस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि भाषण के कुछ अप्रासांगिक अंग रहे हों उसके काट छांट में समय व्यर्थ न किया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि काट छांट नहीं किन्तु जो कुछ भी कहा गया है। उसका उत्तर देने का तो मुझे अधिकार है अपनी संस्था के वास्ते कुछ कहा जाय

श्री उपाध्यक्ष : What I mean to submit is that irrelevant issuses pertaining to any debate should not be discussed here as a matter of right.

श्री मदनसिंह : आप यह समझ रहे हैं कि नागरजी से कम अच्छा बोलेंगे तो कदर ही क्या है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं आज जो यह बिल हमारे सामने है यह प्रगतिशील बिल है पीछे ले जाने वाला बिल नहीं है। इसमें सिर्फ धर्मार्थ का जो पैसा आता है उसकी सुव्यवस्था करने का प्रावधान है। उस पैसे का ठीक रूप से प्रयोग हो यही इस बिल का ध्येय है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य इस बात को कहना चाहते हैं कि यह प्रगतिशील कानून नहीं है वे नहीं चाहते कि धर्मार्थ का जो रुपया इन-ट्रस्ट्स के पास है। उसका उपयोग ठीक प्रकार से न हो वे इस बात की वकालत करना चाहते हैं। इन ट्रस्ट्स के पास जो लाखों रुपया है क्या वे यह नहीं चाहते कि उनका सही तरीके से उपयोग हो यह मेरी समझ में नहीं आया क्या इसी बात से अपने आपको वे प्रगतिशील मानते हैं। यह जो कानून है

Page No.78

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

इसका यह उद्देश्य नहीं है कि हम धर्म संस्थानों में हस्तक्षेप करें यहां पर सिर्फ सवाल है धन के सदुपयोग करने का उसका सदुपयोग किस प्रकार से हो यही व्यवस्था इस कानून द्वारा करना चाहते हैं।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसमें धर्मार्थ के बारे में प्रोविजन रखा है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस गांव में एक ही दुकान है और वहां से धर्मादा आता है तो क्या उसके लिये कौनसी समिति बनायेंगे। इस प्रकार की और भी बातें है जिसको कार्यान्वित नहीं कर सकते। इस प्रकार निवेदन करना चाहता हूं कि दो हजार से जो नीचे के ट्रस्ट्स हैं, दो हजार से जितने भी आमदनी वाले मन्दिर हैं, उनमें हस्तक्षेप करना छोटे छोटे मन्दिरों के ट्रस्ट पर हस्तक्षेप करना ज्यादा कोम्पली-केशन्स पैदा होंगे। जिनके पास ज्यादा धन है और जिनके दुरुपयोग करने की सम्भावना है उसमें हस्तक्षेप करें तो वह ज्यादा उचित रहेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन सब बातों को देखते हुए यह बिल प्रवर समिति को जाना चाहिये और उसमें विचार होने के बाद यह बिल सदन में आये और उसके बाद इसको पास किया जाय तो बहुत उचित रहेगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से सदन के सामने जो हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक है उस पर बड़े बड़े महापुरुषों के भाषण हुये है। उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। अफसोस की बात यह है कि उसमें इस बिल की एक भी बात नहीं सुनी। भाषण जरूर हुए...

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये आपकी प्रतीक्षा थी।

श्री मदनसिंह : थोड़ी बहुत बातें कही गई जिसके लिये मजबूर हूं मुझे उनका जवाब भी देना पड़ेगा। इतनी व्यवस्था नहीं करूंगा जितनी रामलीलाओं में करते हैं। इस हिन्दु ट्रस्टबिल का सारा संबंध है न तो इस चीज़ से है कि गवर्नमेंट की तरफ से यह किया गया हो कि जितनी भी धर्म में खराबियां आ गई हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया हो। यहां धर्म के बारे में जितनी भी व्याख्या हुई है उसमें पुरियों के लिये कहा गया कि वे तो शराब उड़ाते हैं हिन्दू धर्म के नाम पर चोर बाजारी करते हैं। एक भी बात ऐसी नहीं बतायी जिसके कारण सरकार ने धर्म में जो बुराइयें व्याप्त हो गईहैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया गया हो। धर्म में जो त्रुटियां आ गई हैं उनको दूर करने के लिये आप कानून लाते तो हम उनका स्वागत करते। जनसंघ तो यह कहता है कि आज हिन्दुओं की सरकार है। इसलिये हिन्दू सरकार को यह अधिकार है कि अपने धर्म में जो खराबियां पैदा हो गई है उनको मिटाने के लिये कानून बनायें। इस प्रकार के कानूनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये इस प्रकार की खराबियां दूर करने के लिये बोर्ड बनता है तो हम उसका साथ देंगे। आपके यहबोर्ड, बना देने से जो बदमाशियां आज तक चली आ रही हैं वे उसी प्रकार चलती रहेगी इससे किसी भी मन्दिर में इस प्रकार की खराबी है तो वह दूर नही होगी। शराब की बोतलें उसी प्रकार उड़ती रहेगी बदमाशियां उसी प्रकार होती रहेगी केवल यह जरूर होगा कि उनको महन्तजी को कह दिया जायगा कि

(श्री मदनसिंह)

वोट का समय आये तो आप कांग्रेस को वोट देते रहना। इसके सिवाय धर्म में जो कुछ खराबियां घुस गई हैं, मन्दिरों में जो खराबियां या अनाचार या अत्याचार हो रहे हैं उसका हल कहीं भी सोचने की तकलीफ नहीं की गई। इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में केवल यह दिया गया है, मन्दिरों के जो ट्रस्टस हैं उसका प्रबन्ध सरकार द्वारा होगा इससे तो और भी शक पैदा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मन्दिरों में किसी प्रकार की अवस्था थी उस सम्बन्ध में कोई कानून बन जाता जो खराबियां धर्म में व्याप्त हो गई हैं। मन्दिरों में व्याप्त हो गई हैं उन खराबियों को नष्ट करने के लिये कोई उपाय होता तो हम स्वागत करते। केवल ट्रस्ट को अपने अधिकार में लेने से ये खराबियां दूर होने वाली नहीं है। माननीय सदस्यों ने इस बारे में समय लेकर सदन का समय व्यर्थ गंवाया है। हमें तो सुधार करना है धर्म में। आज यदि धर्म में खराबियां जो व्याप्त हो गई हैं उन खराबियों को मिटाने के लिये जो गलत तरीके से पूजा होती है। उसको सही तरीका बताने के लिये कोई कानून बनता तो हम जनसंघ के सदस्य सब स्वागत करते। यह तो जो कानून बना रहे हैं उससे तो मन्दिरों में जिस प्रकार की खराबियां बदमाशियां चली आ रही हैं उसमें किसी प्रकार की कमी होने वाली नहीं है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वाममार्ग की व्याख्या की वे भी उसी प्रकार चलेंगी। दुनियां के किसी भी देश में इस प्रकार के पॉइन्ट ऑफ व्यू से कहीं भी इस प्रकार का बिल नहीं लाया गया होगा। जिस गवर्नमेंट ने अपने आपको सेकुलर गवर्नमेंट घोषित कर दिया हैं उनको तीन बात का स्पेसिफिकली ध्यान होना चाहिये।

१२ मध्यान्त

तीनों जाति का स्पेसिफिली नाम कानून लेकर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बनाना है तो मुसलमानों के लिये भी ऐसा होना चाहिये। मिशनरीज़ के बड़े बड़े चर्चेज़ चल रहे है उनकी भी व्यवस्था खराब हो रही है उनको भी इसमें लेना चाहिये। पर वहां आप को दर्द होगा। आपने तो हिन्दू की गर्दन बड़ी समझ रक्खी है। आसान तरीके से काट सकते हैं। जनमत का वोट लेकर काट दो। इसके लिये आप जो चाहो कर सकते हो, पर मुसलमान और ईसाई के लिये करते वक्त आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, घबरात हैं। नहीं चाहते हुए भी कहना पड़ता है कि उनके लिये तो जवाहरलाल जी तक के सिर में दर्द होता है। उनके सामने आप कानून की बात नहीं करते। केवल हिन्दू ही आपको मिले है। हिन्दुओं में बोलने वाले नहीं। जैनियों में हैं थोड़े बहुत। पर उनकी भी ज्यादा चलती नहीं। यही बात हो रही है सिक्खों की।

इस सबके बात भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती तो मैं सरकार की प्रशंसा करता। पर यह तो राजनैतिक स्टन्ट है। ये लोग जानते हैं कि जनता के तीन चार जरिये हैं जिनसे जनता उठकर इनका मुकाबला कर सकती थी। राजा लोग थे जिनके जरिये से मुकाबला कर सकती थी जनता। उनको खत्म कर दिया गया। जागीरदार थे जिनके सहारे से जनता उठकर मुकाबला करती पर उनका भी खात्मा कर दिया गया। इनके लिये समझ सकते थे कि

(श्री मदनसिंह)

जमाने की हवा थी, खात्मा होना था, हो गया। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिये और उसकी वृद्धि के लिये जनता ने मठों का निर्माण किया मन्दिर बनायें. यह एक प्राचीन प्रणाली थी, जिनके सहारे से जनता समय आने पर धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वालों का मुकाबला किया करती थी, तो आज भी इनके सहारे से जनता सरकार के इस प्रकार के कारनामों का मुकाबला करती है। इसको देख कर हमारे ये नेता लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। इन मठों मन्दिरों में जो श्रद्धा जनता की है, इसको कैसे मिटावें। यह श्रद्धा कैसे मिटावें ! यह अब हो रहा है मीरा मन्दिर के ठेकेदार भीलवाड़ा और चित्तोड़ में बैठे हैं ! ऐसे सभी सदस्य एक एक मन्दिर मठ पर जाकर बैठ जावें तो फिर जाकर उनकी सारी प्लान की पूर्ति हो जावेगी। उनके लक्ष्य की पूर्ति हो जावेगी । फिर धर्म को खतरा और उस पर अत्याचार दूर हो जावेंगे। इसीलिये माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा था जिन्हें अपनी धोती लंगोटी संभालने का होश नहीं जिस सरकार को, वह मन्दिरों की व्यवस्था करेगी, यह संभव नहीं। कोई अक्ल की भी बात हो तो मान सकते हैं। जो एडवोकेट एक दस मिनिट बैठकर व्यवस्था की बातें करता है और उस व्यवस्था की बातें करता है जिसे बनाने में हजारों लाखों वर्ष हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को लगे और जिन्होंने परम्पराएं बनाई कि किस प्रकार मन्दिरों का और ट्रस्ट का खर्चा होना चाहिये, किस प्रकार सारी व्यवस्था होनी चाहिये उस सारी व्यवस्था को ये कुछ एडवोकेट एक कप चाय पीने वाले लोग दो मिनिट बैठ कर तै कर लेंगे ? ये क्या मुकाबला करेंगे उनका। उन पुराने ऋषि मुनियों का मुकाबला नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करूंगा जहां तक सम्बन्धित कमेटी के बारे में आपके एस्पर्शन्स हैं वे अनुपयुक्त हैं। After all it is a body of the House...

श्री मदनसिंह : जी हां समझ गया।

श्री उपाध्यक्ष :You will please hear me. I express my disapproval of the aspersion that you have made. इसलिये मैं इस एस्पर्शन के लिए अपना डिसएप्रूवल जाहिर करता हूं।

श्री मदनसिंह : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, पहले रोज कुछ जैन सदस्यों से बात हुई और उनसे मालूम हुआ कि वाकई में इसमें थोड़ा धर्म में हस्तक्षेप हुआ है। मैंने पूछा किस तरह से होता है तो उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट बनता है तो मंदिर की जितनी रकम होगी वह रकम जिस यात्री ने जिस काम के लिए दी है उस काम में खर्च नहीं होगी। इसलिये हम तो इस पाप पुण्य में नहीं पड़ते। जिस धर्म में जैसी व्यवस्था है उस धर्म का पैसा उसी तरह से उन्हीं कामों में खर्च होनी चाहिये। जैनियों के धर्म में पांच तरह का दान दिया जाता है। एक होता है मूर्ति के लिये। जो आदमी या यात्री या श्रद्धालु मूर्ति के लिये कह कर दान देता है वह मूर्ति के लिए ही खर्च होगा, दूसरे कामों के लिये नहीं। दूसरा दिया जाता है बिल्डिंग को ठीक कराने के लिए इसलिये उसकी मरम्मत में ही वह खर्च होना चाहिये, इधर उधर दूसरे काम में नहीं। तीसरा देते हैं

Page No.81

(श्री मदनसिंह)

एयूजकेशन के लिए इसमें धार्मिक शिक्षण बच्चों को मिले उसमें ही वह पैसा खर्च होना चाहिये। चौथा होता है अध्यात्म सम्बन्धी। यह पैसा वैरागी, साधु सन्तों के सम्बन्ध में ही खर्च होना चाहिये। जैसा आपके विनोबा भावे पर खर्च होता है।

(हंसी)

तो ऐसी चीजों पर आप नियमन करना चाहते हैं, कन्ट्रोल करना चाहते हैं। इसका परिणाम क्या होगा ? आपसोचेंगे कि आखिर सब मिलाकर दो लाख रुपया होगया इकट्टा मंदिर, में जो कि पांच भागों में विभाजित है, पर आपका बोर्ड यह नहीं सोचेगा। वह तो उस सारे दो लाख पैसे को सामने रखकर कार्यक्रम उसके खर्च करने का बनावेंगी। वे लोग देखेंगे कि मरम्मत का काम करना है, इस सीगे में पैसा कम है तो सब का मिलाकर कह देंगे कि कर दो इसमें खर्च दो लाख रुपया। तो अब दूसरे सीगे में क्या खर्च होगा, अलग अलग सीगों में जिन श्रद्धालु लोगों नेपैसा दिया उनकी भावनाओं को धक्का लगेगा जब उनका पैसा अन्य सीगों में खर्च किया जावेगा। यह धर्म के विपरीत चीज होगी। दान देने वालों का पुण्य पाप का मामला बनेगा। इससे वे लोग आगे से पैसा देना बन्द कर देंगे। उन में असंतोष फैलेगा यह निश्चित रूप से उनकी उपासना और धर्म में हस्तक्षेप होगा और जिस धर्म में बड़े बड़े त्यागी महात्मा हैं उन पर आप एक कमिश्नर को लगाते हैं। जैन धर्म में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो सांस लेना भी जीव मात्रा के हित में अनुचित समझते हैं। सांस लेने से जीवों का हनन होता है यह मानते हैं। ऐसे महात्माओं पर किसका नियन्त्रण आप करने जा रहे हैं। एक कमिश्नर का, एक सरकारी नौकर का। फिर वह अब्दुल कलाम ही क्यों न हो। वह नियंत्रण करेगा। इसलिये यह अफसोस की बात है कि जो सरकार एक तरफ कहती है हम सेक्यूलर हैं और दूसरी तरफ इस तरह से हस्तक्षेप करें। इस सरकार की भी एक व्याख्या है ? क्या है ? सेक्यूलर का ऐसा अर्थ लेते हैं कि हम धर्म विहीन हैं। हम किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, हमारा कोई धर्म नहीं। पर क्या यह चौड़े चौड़े हस्तक्षेप नहीं है ? चाहे जैन धर्म में कोई बोलने वाला नहीं हो, पर हिन्दू होते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनकी ओर से बोलूं अगर कांग्रेसी का टिकट लेकर धर्म और और संस्कृति की रक्षा वे नहीं कर सकते तो हम हैं। वे कर भी नहीं सकते क्योंकि वे कांग्रेस के मेम्बर हैं तो मैं कहता हूँ जनसंघ के सदस्य इसे अपना फर्ज समझते हैं कि वे इनके लिये भी करें। इनकी धार्मिक भावनाओं की भी रक्षा करें क्योंकि वह हमारे हिन्दुओं के ही एक अंग है। एक सिक्ख भी यहां नहीं है सदस्य, फिर भी उनके धर्म के बारे में हस्तक्षेप होता हो उनकी रक्षा करने का भी फर्ज हम समझते हैं क्योंकि वे भी हिन्दुओं के ही अंग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सिक्ख हैं यहां।

श्री मदनसिंह : तो अब मालूम हो जावेगा क्योंकि यह तो ऐसा परीक्षण का समय आ गया है राजस्थान में जिसमें मालूम होगा कि कौन हिन्दू है, कौन सिक्ख है और कौन जैन है। वह तो वोटिंग होगा और यह कानून पास होगा उस दिन निर्णय हो जावेगा कि किसमें हिन्दूइज्म है, किस में जैनिज्म और

(श्री मदनसिंह)

सिक्लिज्म है। इज्म इस वक्त कई बार सामने आये हैं और गये हैं पर अफसोस के के साथ कहना पड़ता है कि जो चुनाव में यह कह कर माननीय सदस्य पधारे कि हम सच्चे हैं, जनसंघ वाले, रामराज्य वाले सब झूठे हैं, हम किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, और न करेंगे उसकी सेवा पूजा या व्यवस्था आदि में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे पर करते काम इससे उल्टा हैं। वे अपने उस वादे को पूरा नहीं करते। उन्होंने जागीरों के मन्दिर पहले खत्म किये और बाद में नाथद्वारा मन्दिर खत्म किया। कहने लगे यहां का महन्त सीधा है, व्यवस्था अच्छी नहीं करता इसलिए उसके हाथ में व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। महन्त ठीक नहीं, जागीरदार ठीक नहीं इसलिए इनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। महन्त ठीक नहीं, जागीरदार ठीक नहीं क्योंकि वे कांग्रेसी नहीं। अगर आपकी नीति ठीक है, आप ठीक हैं तो एक क्लॉज़ इस कानून में और जोड़ दें कि इस कानून के अन्तर्गत जो समितियां आदि बनेंगी उनमें किसी में कांग्रेसी जैसा जन्तु कोई नहीं रहेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि अगर वे इसके लिये तैयार हैं। तो आज यह कानून पास हो जाय मुझे इसमें कोई रंज नहीं होगा, बड़ी खुशी होगी। अगर यह आप मानते हैं कांग्रेस के सिद्धान्त को मानने वाला कोई कांग्रेसी इनका मेम्बर नहीं रहेगा तो यह बिल्कुल ठीक भी होगा क्योंकि आप लोग तो सेक्यूलर हैं। आप किसी धर्म में हैं नहीं। आपका कोई धर्म कर्म है नहीं। इसलिये धर्म सम्बन्धी बात जहां आती है वहां उन्हें मेम्बर नहीं होना चाहिये। अपने अपने धर्म के लोग जाकर अपना अपना बोर्ड बनावें।

श्री रामचन्द्र (डग सु) : आप विधर्मी बनने का उपदेश देते हैं।

श्री मदनसिंह : आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा इससे। इसलिये मैं समझता हूं कि एक क्लॉज़ इस तरह का बढ़ा दिया जाता है कि ये जो भी धर्म में विश्वास नहीं रखने वाले हैं, कांग्रेसी और जो प्रगतिशील हैं कम्युनिस्ट हैं कांग्रेसी हैं, सोशलिस्ट हैं, जो धर्म संस्कृति के सम्बन्ध में ज्यादा विचार नहीं रखते हैं, उनको इससे दूर रक्खा जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is a wrong statement which the Hon'ble Member is making. Congress men are as religious as anybody else. Congress has never denounced religion. He is mis-interpreting the whole thing.

श्री मदनसिंह : You have said so many things about Jana Sangha and I will say some things about Congress.

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the Bill itself.

श्री मदनसिंह : मैं यह आज भी कहता हूं कि धर्म में विश्वास नहीं रखते कांग्रेस की संस्था के सदस्य। किसी भी धर्म में वे विश्वास करके नहीं रहते।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : प्रत्येक धर्म में विश्वास करते हैं कांग्रेसी।

श्री मदनसिंह : सब धर्मों में करते हैं इसीलिये किसी धर्म में कान्सेंश नहीं करते, किसी धर्म में स्टिक नहीं करते।

(श्री मदनसिंह)

जैन धर्म में जैन शब्द हिन्दू शब्द, सिक्ख शब्द न होकर केवल ऐसा कानून होता कि चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स जो है उनको ठीक रेगुलेराइज करने के लिये कमेटियां निर्माण करेंगे तो भी ठीक था। इसमें रिलीज़स शब्द देकर तीनों जातियों के लिये यह प्रजातान्त्रिक नहीं है, मैं समझता हूं हरएक जाति के लिये अलग कानून बनाना, सारी बातें बनाना यह प्रजा तान्त्रिक नहीं है। और वैसे भी उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट बनने जा रहा है यह डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है। वहां पर नाथद्वारा के अन्दर एक मंदिर के अन्दर व्यवस्था करने के लिए एक पद्धति अपनाई जा रही है और बाकी नाथद्वारा जैसे मन्दिर आज भी हमारे राजस्थान में हैं उनके लिए आज ऐसी व्यवस्था हो रही है। यह एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जुल्म देवीदेवताओं के साथ भी आपने कानून में डिफरेंस रखकर किया है जहां नहीं रहना चाहिए था। इसलिए मैं समझूंगा कि आज मंत्री महोदय पांच-सात रोज़ से यह बुखार चढ़ रहा है कि यह बिल पास नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। १५ तारीख के पहले यह पास होना चाहिए ऐसी हालत में वह जल्दबाज़ी नहीं करें क्योंकि यह ऐसी चीज को लेकर है कि हमारी और आपकी लाखों वर्षों की आयु नहीं है। जिस ढंग से आप बिल पास कर रहे हैं उसका ठीक ठीक ढंग से पालन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी बड़ी मर्यादा राजस्थान असेम्बली से टूट रही है! अगर यह मर्यादा भंग हो गई तो कल राजस्थान की असेम्बली में दूसरे दल के लोग आ सकते हैं और वह इस कानून में हेरफर करके कह सकते हैं कि मन्दिरों की व्यवस्था दूसरी तरह से होनी चाहिए। इस लिए ऐसी चीजों का कानून के जरिये नष्ट करना उचित नहीं है। अन्यथा जितने भी कानून पहले बने हैं वह सब प्रगतिशील हैं और उनसे हमारा भला हो जायेगा। मैं कहता हूं कि गवर्नमेन्ट के यह दिमाग में आई है कि देवीदेवताओं को भी प्रगतिशील बनाये तो मैं आपको बताता हूं कहां आपको ट्रस्ट बनाने चाहिए। जैसे भैंरोंजी के और खेजड़े के बालाजी हैं जहां आज कोई उचित व्यवस्था नहीं है और उन बेचार देवीदेवताओं की पूजा नहीं होती है वहां अच्छे ट्रस्ट बनाये जायें ताकि जनता समझे कि हमारी सरकार है वह धर्म और संस्कृति की पोशक है और जो पुराने मन्दिर हैं वहां पुजारी नहीं है, वहां कोई ठीक व्यवस्था नहीं है वहां क्यों नहीं सरकार अच्छी व्यवस्था करती है। परन्तु सरकार तो ऐसे मन्दिरों में जायेगी जहां कि करोड़ों रुपयों सम्पत्ति है और वहां उसके महन्त जी को यह कह दिया जाये कि आपको वही रक्षा दी जायेगी जैसी कि रक्षा राजाओं को दी और मुआवज़ा दिया और उन महंतों से यह और कह दिया जाये कि वोटिंग के टाइम में जितने भी अधिकारी हैं वह हमारे साथ होने चाहिए। मैंने यह सोचा कि गवर्नमेन्ट को क्या जरूरत पड़ी तो यह मालूम पड़ा कि देश में कांग्रेस पार्टी को चन्दा मिला है वह इतना कम मिला है कि उसकी पूर्ति के लिए यह बिल लाना पड़ा। क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया। इसलिए वह यह खोज कर रहे हैं कि कहां से पैसा मिल सकता है। यह खोज रहे हैं कि ऐसा कौनसा ज़रिया है जहां हमारे लोगों को लगा सकते हैं। मैंने चित्तौड़ में देखा कि कांग्रेस के प्रमुख नेता....

Page No.84

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लछमनगढ़) : सब चन्दा देते हैं....

श्री मदनसिंह : आपको तो पहले ही हनुमान जी हाथ जोड़ दिये हैं । इसलिए बैठ जाइये इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को न तो चन्दा दिया जाता है और न नेताओं की पूछ होती है । जितने भी पैसे जनता ने दिये उनका दुरुपयोग हुआ । इसलिए मैं यह सोचता हूं कि कौनसी जगह है जहां कांग्रेस को फायदा रह सकता है । मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए मन्दिर है और वह पुजारी भी हो जायें तो अच्छा है । जब किसी चीज़ का अन्त आता है तो वह धर्म में हस्तक्षेप करते हैं और उनकी बुद्धी में ऐसी चीज़ आ जाती है कि देवी–देवताओं से टक्कर लेते है । और । कई कई सदस्यों ने तो बड़े बड़े जोश से धर्म की व्याख्या की वह तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि इस समय प्रसंग ट्रस्ट का है । मैं कहता हूं कि यह राजस्थान गवर्नमेंट ट्रस्ट बिल बन जाय तो अच्छा है ताकि जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच हो । आज कितने कितने पुलिस के तजुर्बे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह ट्रस्ट बिल में पुलिस का नाम कहां से आ गया....

श्री मदनसिंह : आपके पास तजुर्बे की क्या बात है । आप कितनी भी कोशिश करिये चरित्र नहीं आ सकता । हो सकता है आज वही महात्मा हैं और उन्हीं से हम सब को प्रेरणा मिलती हैं । और यह सब मन्दिरों की बदौलत ही है । पहले रास्ते में कितना ही सोना पड़ा रहता था पर उसको कोई नहीं लेता था यह कहां कि शिक्षा थी ? इन्हीं मन्दिरों की थी । इन्हीं पेढ़ियों की जिनको आप कहते हैं कि बहुत खराब मन्दिर हैं । नेहरूजी और गांधी जी के संस्कार भी इन्हीं पेढ़ियों से बने हुए हैं । आप बोर्ड के ज़रिये और ट्रस्ट के ज़रिये विवेकानन्द जैसे विचार ले आयेंगे ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है । मैं तो कहता हूँ कि अभी ऐसी जल्दी क्या है ? आपके पास अभी पंचवर्षीय योजना है तो फिर मन्दिरों की बात क्यों सोचते हैं । देश में ज्यों ज्यों प्रगतिशील लोग पैदा होंगे जैसे पुजारियों के लड़के होंगे वह अपने आप मन्दिरों की व्यवस्था को सुधारेंगे । परन्तु आप तो ऐसी बात सोच रहे हैं जैसे रावण ने सोचा था कि मैं मेरे जीवनकाल में सारी चीजें बना जाऊं इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन का कुछ पता नहीं है । इसलिए आपने अपने जीवन में इतना ही काफी कर दिया है कि अंग्रेजों को निकाल दिया और जागीर और रियासतों को खत्म कर दिया । अब आकाश में सोने की चिड़िया लगा रहे हैं यह उचित नहीं है कारण यह है कि इस ट्रस्ट बिल से कोई फायदा नहीं हो सकेगा । आज आपका एन्टीकरप्शन जो कि सबसे बड़ा ट्रस्ट है खराबियों को दूर करने का उसकी हालत यह है कि एन्टीकरप्शन में एक थानेदार की रिपोर्ट...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने दायरे में ही रहें

श्री मदनसिंह : ऐसे उदाहरण तो दिये ही जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर मैं माननीय सदस्य से फिर निवेदन करूंगा कि जहां तक हो जो इस विधेयक से सम्बन्धित उदाहरण हों, वह उदाहरण देने के लिए मैं मना नहीं करता रहा हूं लेकिन इसका मत-

(श्री उपाध्यक्ष)

लब यह नहीं होगा कि आप दूसरे प्रश्नों को लेकर उन उदाहरणों पर चले जायें।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनका प्रबन्ध कौन करेगा ? राजस्थान की जनता ही तो करेगी, राजस्थान के कर्मचारी ही तो करेंगे। राजस्थान के मन्त्री महोदय ही तो करेंगे। मैं उनकी हालत बताता हूं। मैंने एन्टीकरप्शन में एक केस दिया हुआ है और एक सब-इन्स्पेक्टर के लिए मैंने कुछ कहा आज वह थानेदार मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे लिए आप ऐसा कह गए तो यह है हमारे डिपार्टमेंट की हालत इसके अन्दर मुझे विश्वास है कि घोटाले होंगे। यह हो सकता है कि हमारे मन्त्री महोदय का मन साफ हो और मन्दिरों के प्रति उनकी श्रद्धा हो लेकिन बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय वह कमिश्नर साहब बनेंगे। क्या वही कमिश्नर बने रहेंगे, उनके वैसे ही हमेशा ख्याल रहेंगे, हज़ारों जाति के लोग आयेंगे और वह चार सौ बीसी कर सकते हैं तो करेंगे क्योंकि राजस्थान के अन्दर ऐसे केसेज़ पकड़े गये हैं। आज एन्टीकरप्शन विभाग की यह हालत है तो मैं समझता हूँ कि यह बात भी हमें देखनी होगी। अगर आज राजस्थान के मन्दिरों पर भेंट नहीं चढ़ा तो यह कानून में कहां है कि अगर भेंट नहीं आयेगा तो ट्रस्टी से जबरदस्ती भेंट लिया जायेगा उसकी व्यवस्था कहां से होगी। अगर सरकार कहती है कि हम खर्च करेंगे तो पब्लिक विरोध करेगी कि यह भी तो हमारी पब्लिक मनी है। वह एक तरह से मन्दिरों को नष्ट करने का तरीका है। जब सरकार के हाथ में सम्पत्ति के साथ साथ मन्दिर भी आ जायेंगे तो लोग मन्दिरों में श्रद्धा नहीं रखेंगे। और भेंट के रूप में पैसे नहीं चढ़ायेंगे और फिर मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं होगी और मन्दिर बिल्कुल नष्ट हो जायेंगे और सरकार यही चाहती है कि उसके आदमी लगे रहें। इसलिए मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि अगर मैं अपनी संस्कृती को समझता हूँ तो जो भी ऐसे बिल आयेंगे मैं उनका विरोध करूंगा और इसी आधार को लेकर मुझे जनमत ने वोट दिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल १६५८ पर कल से चर्चा हो रही है और इस बिल को बहुत ही भयंकर बिल समझ कर के इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं मोटे रूप से यह कह सकता हूं कि उनके विचार केवल तीन धाराओं को लिए हुए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल पर बोलते हुए यह विचार प्रकट किये कि यह जो बिल है वह जनमत के लिए प्रसारित कर देना चाहिए। किसी ने अपने यह विचार प्रकट किए कि इसको सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाये और बहुत सों ने इतना निधड़क कहा कि इस प्रगतिशील बिल को बंद करने के लिए यही सलाह दी कि इस बिल को इस समय पास नहीं किया जाये। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को यह कह देना उचित समझता हूं कि आप इस बिल को कोई भयंकर रूप न दें। यह राजस्थान के प्रगतिशील बिलों में से एक बिल है। या राजस्थान में फैली हुई एक भयंकर अनियमितता और उदासीनता को दूर करने के लिए सदन के सामने रखा गया है। जिन महानुभाव ने इस बात को पेश किया है कि

(श्री रामचन्द्र)

यह जनमत बनाने के लिए प्रसारित किया जाय मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप इस सदन में किस हैसियत से बैठे हैं ? आप उसी जनता के तो प्रतिनिधि हैं जिसका जनमत बनाने के लिए राय दे रहे हैं। क्या आप जनता का विश्वास खो चुके हैं ? क्या जनता आप में विश्वास नहीं रखती है ? इसलिए आप कह रहे हैं कि हम में जनता का कोई विश्वास नहीं इसलिए हमारी राय देना बेसूद है इसलिए इस बिल को डाइरेक्ट जनता के पास भेज दिया जाय यह उन लोगों की जिन्होंने इस प्रकार की राय दी है उनकी कमजोरी है। दूसरे प्रकार की राय जो इस सदन में माननीय सदस्यों ने दी है कि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस सदन में यह प्रथम बार नवीन बिल आया है ? उन को जान लेना चाहिए कि इस बिल के ऊपर कुछ वर्ष हुए काफी वादविवाद हो चुका है और वाद विवाद होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश लेप्स हो गया है। दुबारा वही बिल अब अजमेर के मिल जाने के बाद इस सदन के सामने रखा है। इसलिए इस बिल पर जिस पर कि सदन में पहले ही काफी वाद विवाद हो चुका है और उस पर सदन के माननीय सदस्यों ने काफी विचार प्रकट किये हैं फिर सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना बिला वजह इस प्रगतिशील बिल को जल्दी से जल्दी पास होने देने में एक तरह से रुकावट करना है। दूसरा एक विचार है कि पास नहीं होना चाहिए। वह यह समझ रहे हैं कि राजस्थान के हिन्दू समाज के ऊपर एक भयंकर आपत्ति आने वाली है इसलिए यह बिल जो है हर तरह से पेश नहीं होना चाहिए। मैं उक्त माननीय सदस्यों से यह कह देना चाहता हूँ कि इस बिल की एक एक धारा को आप देख लीजिये कि इस बिल में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महन्त और मठाधीशों के जो जायज़ अधिकार हैं उसके ऊपर इस बिल के द्वारा कोई कुठाराघात किया जा रहा है। उन मंदिरों में और संस्थाओं में अब तक जो नियम के अनुसार जो दान पुण्य और अच्छे काम होते रहे हैं उनके ऊपर पाबन्दी के वास्ते कोई प्रोविज़न रखा हो कहीं यह हरगिज़ नहीं है। जिस बिल में इस प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है जिससे कि उस संस्था की इस महत्ता को धक्का पहुँचे, तो फिर ऐसे प्रगतिशील बिल को रोकने से क्या अभिप्राय है। वह अलबत्ता यह चाहते हैं कि जो अब तक उन संस्थाओं में जो महंतों के द्वारा या उनके कर्मचारियों के द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और ट्रस्ट का रुपया जो उनके पर्सनल काम में आता जा रहा है वह उसी प्रकार से आता रहे ? यह तो जनता के रुपये के साथ में खिलवाड़ है। उनकी यह दलील है कि यदि आप ट्रस्ट कायम कर देंगे तो संस्थाओं, मंदिरों को कोई भेट नहीं देगा। तो क्या वह यह समझते हैं कि मंदिर जनता से पैसा कमाने की संस्था है ? यदि जनता की श्रद्धा है और मंदिरों तक के बारे में उनकी भावना अच्छी है तो लाज़िमी तौर पर मंदिरों में उसी तरह से भेंट देंगे और उनकी सहायता के वास्ते खर्चे के बारे में उनकी वही भावना रखकर भेट चढ़ाते रहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से जनता का पैसा मठों द्वारा अनियमितता से छीना जाय और वहां के मठाधीश आनन्द पूर्वक उसका मिस-यूज़ करते रहे। हम तो यह चाहते हैं कि यह

(श्री रामचन्द्र)

संस्थाएं जो चल रही हैं और इनके चलाने के वास्ते जो धन की व्यवस्था है वह सुचारु-रूप से होनी चाहिए, और इसी विचार को लेकर यह बिल यहां पर लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हमारे समाज का संगठन कुछ ऐसा होगया है कि उस संगठन में आजकल तीन चार शब्द बड़े प्रचलित हो गये है। एक है धर्म, दूसरा गौ माता, तीसरा है हिन्दू और चौथा है हरिज़न। यह शब्द अगर उक्त बिल में लगाये जाते हैं तो तमाम चकित हो जाते हैं कि यह हिन्दू बिल है, गौ माता का बिल है, धर्म का बिल है, हरिज़नों को अधिकार दिये जा रहे हैं। हमारा धर्म नष्ट हो जायगा। तो यहां इस बिल का नाम हिन्दू ट्रस्ट बिल लिखा गया है तो चाहे हिन्दू शब्द से प्रभा-वित होकर इसके विरोध में बोलने के लिए प्रयत्न किया है। मैं तो यह कहूंगा कि इसमें चाहे हिन्दू का हो चाहे जैनों का हो तो गोया राजस्थान की संस्थाओं की व्यवस्था को सुधारने के वास्ते जनता ने जो पैसा दिया है उसका सदुपयोग करने के वास्ते ही यह बिल लाया गया है। इसलिए ऐसे प्रगतिशील बिल जल्दी से जल्दी पास कर दें यही इस सदन का कर्तव्य है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपा-ध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वह कहते हैं और मैं भी समझ रहा हूँ कि या तो मज़हब की चिता पर हिन्दुओं का मेल हो सकता है या सारे मज़हब एक जगह इकट्ठे कर दिये जांय और उनको जला दिया जाय खत्म कर दिया जाय उसके बाद में मेल हो सकता है। मगर दूसरी धारा यह कहती है कि ईश्वर और धर्म अजायबघर की वस्तु है तो अजायबघर में पहुंचा देनी चाहिए और अजायबघर के वास्ते नहीं हैं तो हम को क्या करना होगा? हम किस बात की चर्चा करते हैं? और क्या माननीय सदस्यों को इसकी चर्चा करने का अधिकार है? और इस बात का कानून बनाने के पहले उन लोगों ने विचार किया है कि इस कानून के लाने की क्या मन्शा है? धर्म से सम्बन्ध रखने वाले कानून को लाने की मन्शा क्या है? क्या व्यक्ति किसी अन्तरात्मा पर शासन करना चाहती है? मेरी समझ से वह अपनी मर्यादा को खत्म कर चुके हैं। आप किसी की अन्तरात्मा पर शासन करना चाहते हैं उसका अधिकार क्या है आपको? विधान का अधिकार क्या है? आप यह चाहते है कि हिन्दू संस्कृति चाहे वह जैन संस्कृति भी हो सकती है, बौद्ध संस्कृति भी हो सकती है और सारी संस्कृतियां चलते चलते अपने आपको एक भारतीय संस्कृति का अंग मानती है। लेकिन आपको यह क्या अधि-कार है कि आप किसी संस्कृति के विषय में आप कानून बनाने को चले और आवाज़ दी लोगों को कि साहब हमें धर्म के मामले में राइट्स हैं। उसमें सुधार करना चाहते है। उनमें भ्रष्टाचार है। जो पैसे की वृद्धि होती है खजाने की वृद्धि होती है उसका दुरुपयोग होता है उसको मिटाना चाहते हैं। मैं सम-झता हूं कि जब वह व्यवस्था आपसे समाज मांग नहीं रहा है और आप उस व्यवस्था को देना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? कानून होता किस लिए है। कानून किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं तो बनाते है। अगर किसी ज़माने में एक देश में यह था कि स्टालिन

(श्री मूलचन्द डागा)

का नाम बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ाया जाय और वे इन्हीं दो शब्दों को याद करते थे। आपका मतलब क्या है, आप बनना चाहते चाहते है कमाल पाशा की तरह। तो आप रूढ़िवाद को मिटा सकते है, न रूढ़िवाद को मिटाने की बात लाये हैं आप, न रूढ़िवाद को मिटाना चाहते हैं। मैं इस बिल को पढ़ चुका हूँ और बिल पढ़ता हूँ तो लगता है, आप चाहते क्या हैं? एक नाथद्वारा का बिल रखा सदन के सामने, आपका विचार था, जो दौलत का दुरुपयोग होता है, उसको रोका जाय। मैं समझता हूं, मैं धर्मा हूँ, और हिन्दू धर्म की दुहाई देता हूँ और धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी वकालत करता हूं ट्रस्ट एक्ट मौजूद है, सिविल कोर्ट में कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट को चेलेंज कर सकता है, किस तरीके में? मैं समझता हूँ दिलवाड़ा टेम्पल में दुरुपयोग हो रहा है। मुझे अधिकार है, सिविल प्रोसीज़र में ट्रस्ट को चेलेंज करू और चेलेंज करके हिसाब को मांगू। आपका अधिकार क्या है, धर्म के काम के लिए बिना मतलब के कानून बनाये और कानून की बारिकियों से उसे ढकना चाहे और ट्रस्ट के नाम पर उसमें हस्तक्षेप करना चाहें। यहां धर्म की चर्चा, जैसे बड़ी बड़ी चर्चा होने लगी धर्म के मामले में, धर्म सड़ा गला है, धर्म सड़ा गला होता नहीं है, आप कहें, धर्म में रूढ़ियां होती है, धर्म में रूढ़ियां होती हैं। आत्मा, आत्मा एक अलग चीज है। मैं व्यवहार और आत्मा में फर्क मानता हूं और धर्म के लिए मानता हूँ कि धर्म के मामले में कोई आदमी बकवास करता है. बहस करता है, धर्म कभी नीचा होता नहीं है, ऊंचा होता है, धर्म व्यक्तिगत चीज है।

इस मामले में किसी ने इन्टरफियरेन्स किया वह राज्य जिस ने किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, वह मर्यादाओं को खो देता है, वह शासन कर नहीं सकता। आप चाहते क्या हैं, १० आदमी धर्म करने के लिए इकट्ठे हुए, उनकी आत्मा ने बात की, प्रेम, श्रद्धा से, भक्ति से, मोहब्बत से, और सच्चे प्रेम से। उनकी बात को झूठा कहें और उनकी श्रद्धा और प्रेम की भावना पर कानून का डंडा करना चाहें, यह असम्भव है। कोई दया के नाम पर दौलत दे देता है, और जो भेंट की जाती है, वह दान नहीं है दान और भेंट में जमीन और आसमान का अन्तर है। इस दान के लिए कहते हैं संस्थाओं को कंट्रोल करो। जो संस्थायें हजारों रुपये पैदा करती हैं और उनका दुरुपयोग होता है, उनके लिए गवर्नमेंट कहना चाहती है कि हम अपने देश में व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, हिन्दुओं के नाम पर, हिन्दू ट्रस्ट बिल के नाम पर करनी हैं सुव्यवस्था लेकिन जहां बारह सौ आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इस बिल को पारित करना चाहिए क्योंकि बड़ा प्रगतिशील बिल हैं। आदमी प्रगति करना चाहता है अन्तर आत्मा और व्यवहार के दो तरीके हैं आज मनुष्य के पास। आज संस्थाओं पर सभ्यता का मुलम्मा चढ़ा कर यह बता दें कि धर्म एक अलग चीज है। जो आदमी आत्मा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहता है, उसको क्यों छिन्न भिन्न करते हैं। आपने इसको समझ करके रखी अलग अलग। विधान बनाने वालों ने यह सोचा होता तो धर्म के मामले में एक स्थिति स्थापित कर देते। हिन्दुस्तान में कम धर्म हो जायं, यह धर्म का मामला है, यह अन्दर की चीज है, वह न आप कर सकते हैं, न

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं कर सकता हूँ। आप किसी मन्दिर को ले लीजिये, किसी जैन मन्दिर को ले लीजिये, आप का देलवाड़ा में टेम्पल बना हुआ है, बाहर के लोग भी मंदिर में दान देते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के सम्बन्ध में मैं बताऊं कि जिन का दूसरे देशों से सम्बन्ध है, आप अफ्रीका में देखें, और दूसरे देश में देखें तो जो डेलवाड़ा में विश्वास करते हैं, वे वहां उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं। राजस्थान के लोग ब्रिटेन में व्यापार करने वाले हैं, उनके दिमाग में धर्म के लिए श्रद्धा है, वे फंड इकट्ठा करते हैं। आप कहां घुसना चाहते हैं। महरबानी करके आप अपने दरवाजे को ठीक कीजिये, अपने घर की व्यवस्था कीजिये। धर्म आपसे कानून मांगने नहीं आया ? जिस दिन धर्म ने कानून मांग लिया, उस दिन हिन्दुस्तान की आत्मा खत्म होगी।

(करतल ध्वनि)

कानून का शासन हुआ, हिन्दुस्तान के प्राण में धर्म वैसा है। भूतकाल में हजारों लोग आये, हमला कर गये, धर्म वैसा ही रहा। यहां धर्म के नाम बहस होती है, एक मठ और एक मंदिर का नाम लिया, वहां बरबाद होती है दौलत तो हम धर्म पर विचार नहीं करेंगे। मैं समझता हूं जहां ऐसा होता है वह मंदिर नहीं है, धर्म का मठ नहीं है। हम मानते हैं कि अगर कांग्रेस में चार आदमी बदमाश हैं, चरित्र हीन हैं तो पूरी कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं। आप धर्म की भावना पर ठेस पहुँचना चाहते हैं, बिना मतलब के, बिना फायदे के हस्तक्षेप करना चाहते हैं। कानून कहेगा नाथद्वारा में जो ठाकुरजी का मंदिर है, जहां लोग थोड़ा थोड़ा दान देते हैं, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से देते हैं। काश्तकार हर फसल तैयार होने के बाद वहां श्रद्धा से, प्रेम से भेंट चढ़ाते हैं। आप चाहते हैं कि वहां जो शक्ति की पूजा होती है, वहां भावनाओं का मूल्य होता है, उन भावनाओं के मूल्य से, जिससे भारत की आत्मा में सहकारिता का उपदेश मिल रहा है, जहां नेहरू घर घर में संदेश लेकर जा रहा है, एक सहकारिता का संदेश लाया जा रहा है। सहकारिता तब हो सकती है, जब कूए पर, गांव में सहकारिता हो। जहां कई व्यक्ति, कई आदमी एक जगह मिल कर बैठे और समझे अन्तर आत्मा की भावनाओं को, कानून की बारिकियों से दूर होकर, कानून के प्रपंच से दूर होकर। आपने समझ रखा है कि हिन्दू ट्रस्ट बिल से सब ठीक होगा। कोई जैन संस्कृति के लिए कहे, मैं समझता हूं, जैन संस्कृति का सवाल पैदा नहीं पैदा किया Hindu includes such and such. आपकी परिभाषा देखिये, मैंने भी उसे देखा है, आपने बड़ा अच्छा किया, हिन्दू इनक्लूड्स एवरीथिंग। मैं मानता हूं कि इस बात को सोचना चाहिए कि जिस कानून को बनाना चाहते हैं, उस कानून में वह व्यवस्था हो, जो समाज के अन्दर एक व्यवस्था कायम करता हो, एक मनुष्य मनुष्य के बीच में जो खाई है, उसको पाट देता हो। आप धर्म के मामले में अव्यवस्था को मिटाना चाहते हैं, मैंने एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। उसमें मैंने देखा है कि देवस्थान के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला है। मैं निवेदन करूं कि देवजी के मन्दिर की ट्रस्ट कायम होते हुए वहां की धर्मशाला गन्दी पड़ी हुई है। यह क्या आप उसकी इनकम ले लेंगे। आपने क्या परिभाषा की है हिन्दू की, उसके अन्दर

(श्री मूलचन्द डागा)

आपने दिया है, हिन्दू ट्रस्ट बिल के अन्दर कि 'Hindu' includes a person professing the Buddhist, Sikh, or Jain religion." आज मास्टर तारासिंह का आन्दोलन जारी है। रोज अखबारों में निकलता है कि मास्टर तारासिंह ने आन्दोलन किस आधार पर शुरू किया। आपने कह दिया Hindu includes such and such. जैन तीर्थों के लिए कह दें, तुम्हारी कोई संस्कृति नहीं, तुम्हारी संस्कृति भारतीय नहीं। हम कहते हैं वेदकालीन समय में भी जैन धर्म का वर्णन किया है। हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन्, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है साफ शब्दों में, कि वेद कालीन समय में जैन धर्म की ऋचायें, उपनिषद् में, जैन धर्म का वर्णन आता है, इसका उल्लेख है। आप जैन धर्म के अन्दर कोई अन्तर नहीं समझते हैं। जैन साधुओं के पास एक कपड़ा तक नहीं होता, वह रख नहीं सकता। मन्दिर में, जहां जैन साधु रहता है, वहां कोई दौलत नहीं। उसका ट्रस्ट बना दिया, खत्म हो गया और जैन साधु बाहर, जो नंगा रहता है, जो अभी तक जंगल में रहना पसन्द करता है, जो नंगा है, भूखा है आप वहां यह व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, यह आपका हस्तक्षेप है। जो जैन धर्म में विश्वास करते हैं, हिन्दू धर्म में विश्वास करते हैं, वे जानते हैं कि धर्म का पैसा खाने के बाद आदमी का क्या होता है? आप उस विश्वास को पलटना चाहते हैं, जो सारे विश्वास हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वैसे पलट जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको बताता हूं, कैसे पलट जाता है। आज संसार में विज्ञान और धर्म में संघर्ष चल रहा है। हर व्यक्ति वैज्ञानिक युग में और धर्म युग में अन्तर मानता है। हम आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं हम वैज्ञानिक इतने हो जांय कि वैज्ञानिक होने के बाद जैन क्या कहते हैं, जैन कहते हैं कि परमात्मा का एग्ज़िस्टेन्स नहीं मानते, हम यह मानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उनका हमें फल मिलता है। हम कभी यह नहीं कहते कि परमात्मा हमें यह दे,यह हमारी आदत ही नहीं, हमारी तो प्रार्थना में ही ये शब्द हैं नहीं कि किसी शक्ति से भीख मांगें। हम तो साफ कहते हैं अपने शब्दों में कि मनुष्य जो कर्म करता है, उनका उसे फल भोगना पड़ता है। मुख पर मुखवस्त्रिका बाधते हैं, कम बोलना चाहते हैं। आप बनिये वैज्ञानिक, क्यों पत्थर को दूध पिलाते हैं, आप यह करिये कि दूध गरीब बच्चों को पिलाइये, दूध की खीर बना कर हलवा पुरी क्यों चढ़ाते हैं। आप कहेंगे कि पत्थर बोलता नहीं, खाता नहीं उसके चढ़ावे को। विज्ञान कहता है कि बाप को बाप मत समझो, पैदा कर दिया कर दिया पर हिन्दू संस्कृति सिखाती है कि बाप को बाप समझो, आदर करो। हिन्दू धर्म सिद्ध ही नहीं होता तो हर प्रकार के मन्दिर को, हर धर्म को आप तो कह दीजिये कि वैज्ञानिक युग से जोड़ो। बाकी मैं समझता हूं धर्म के बारे में हम विश्वास ले कर चलते हैं, श्रद्धा की बात को ले कर चलते हैं। मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है,वहां २५, ३० लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, सत्तर सत्तर, ८०, ८० वर्ष के बूढ़े जिनके दांत हिलते हैं वे भी उस नदी के ठंडे पानी

(श्री मूलचन्द डागा)

में गोता लगाते हैं और अपने जीवन को कृतकृत्य समझते हैं, "सुन्दर विश्वासों से बनता नहीं सुखमय जीवन"। हमारा शरीर केवल ढांचे से नहीं बना हुआ है, हम कुछ विश्वासों से बने हुए हैं, मांस और खून का पुतला ही नहीं इसमें कुछ भावनाएं, धर्म की क्रियाएं और संस्कारों से बना हुआ पुतला है। उन संस्कारों को मिटाने का अधिकार किसी को नहीं, इसलिये हमने कहा था कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रामदेवजी का मन्दिर है वहां सभी जाते हैं, राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण, भांभी सभी जाते हैं और एक साथ पूजा करते हैं...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : हिन्दू ट्रस्ट बिल में क्या पूजा करना बन्द कर देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री सोहनलाल भटनागर : गलत है। कैसे ?

श्री मूलचन्द डागा : कैसे क्या बन्द कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति इस प्रश्न को रख रहा है। एक बोर्ड आपने मुकर्रर किया, एक आदमी कहता है कि मैं गुप्त दान देना चाहता हूं, २५,००० रु० देना चाहता हूं, नाम कहीं अंकित नहीं होना चाहिये, किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिये, ट्रस्ट भी नहीं जाने कि मैंने दान दिया और मकान बन गया। आपका बोर्ड बैठता है और कहता है कि यह पैसा कहां से आया, किसने दिया, कैसे मकान बना ?

डॉ० बहादुरसिंह : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है बिल में, जो तरीके अभी हैं वे ही रहेंगे।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : आप बोल लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बीच में क्यों दस्तंदाजी करते हैं ?

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : इतनी ही बात होती है कि आपने तो यह कर दिया कि चुनाव के सारे कायदे इस बिल में कर दिये, बोर्ड के सदस्यों को सरकार नामज़द करेगी। एक तो नामज़दगी म्युनिसिपैलिटीज़ में थी, उसको हटाया अब हिन्दू ट्रस्ट बिल में कराइये।

एक माननीय सदस्य : इलेक्शन करा लें ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं इलेक्शन की प्रणाली भी नहीं चाहता, न इलेक्शन चाहते हैं न धर्म चर्चा चाहते हैं हम तो यह चाहते हैं कि यहां हिन्दू धर्म और मुस्लिम धर्म के नाम पर झगड़े में मत पड़िये क्योंकि आपने धर्म की व्याख्या नहीं समझी है, जो मनुष्य जैसे ठीक समझता है उसे करने दीजिये, धर्म की जिस चीज़ में जिसको जैसा विश्वास है उसको वैसा करने दीजिये। दुकानदार है वह सुबह उठते ही कहता है कि मैं तो कीड़ियों (चींटियां) को दाना चुगाऊंगा...

डॉ० बहादुरसिंह : इसके लिये बिल में मुमानियत कहां है ?

श्री मूलचन्द डागा : देखिये साफ पढ़िये, आपको चिन्ता क्या पड़ी है कि

(श्री मूलचन्द डागा)

दूसरों के धार्मिक विश्वासों में खामख्वाह टांग अड़ायें....

डॉ० बहादुरसिंह : व्यवस्था को ठीक करने के लिये।

श्री मूलचन्द डागा : धर्म को और विज्ञान को एक ही समझना चाहते हैं। विज्ञान के युग में रेडियो से शिक्षा पा चुके हैं, समन्दरों में तैर चुके हैं, आकाश में उड़ चुके हैं, हमारे यहां कुछ लोग विज्ञान को ले कर चलते हैं, कुछ अपनी संस्कृति और पीढ़ियों की परम्पराओं को ले कर चलते हैं, इनका सम्मिश्रण नहीं हो पाता और इस तरह का बेढंगा, कहना चाहिये अनावश्यक कानून रखना चाहते हैं, जिसको समाज नहीं चाहता, कोई धर्म को मानने वाला नहीं चाहता। आप समाज में नई चीज़ पैदा करना चाहते हैं, समाज आपका इन्टरफीयरेंस नहीं चाहता, हस्तक्षेप नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि देश को सुधारना चाहते हैं, व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्रान्ति लाइये और क्रान्ति लाने के बाद कानून लाना चाहिये पर आप क्या करते हैं कि क्रान्ति तो पहले लाते नहीं और कानून लाना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि कानून का अनुकरण करने वाले कानून का अनुकरण नहीं करेंगे और कानून को चुनौती दी जायगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दू ट्रस्ट बिल की एक एक क्लॉज़ की कुछ बातें बताऊं और राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि धर्म के नाम पर आंख मूंद कर कानून पास न करें। मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह गये, मैं समझता हूं कि अन्धेरा क्या होता है, अन्धेरा होने के बाद ही अन्दर उतरता है, आंखें बन्द करने के बाद अन्धेरे की तरफ प्रवेश करता है, तो बाहर नहीं देख कर विचार करता है तो मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे एक बार फिर अपने प्रस्ताव के बारे में अपने मन मन्दिर में बैठ कर सोचें कि इस कानून को लाने से पहले इस बात को सोचें कि इससे धर्म के मामले में ठेस पहुंचती है या नहीं। फिर वे अपना मनतव्य दे सकते हैं। इस कानून के आने से आपके अकॉउन्टस के झगड़े पैदा होंगे। बजट पास होगा और लोगों को रुपया मिलेगा। मगर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इन मन्दिरों में जो हजारों की तादाद में हैं वहां पर न तो स्टाफ का प्रश्न है न कोई पैसे का। वहां पर एक बात होती है, लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और वहां पर भावना का सम्मेलन होता है। न वहां पर किसी प्रकार का वाद विवाद है न किसी का तर्क। वहां पर चेतना दी जाती है अपनी आत्मा को, अपने जीवन को। आप कहते हैं कि यह सारे के सारे हमारे कानून के खिलाफ होंगे। आप बड़े बड़े व्यक्तियों की दुहाई देते हैं और मुसलमानों के जमाने में भी अकबर के गीत गाये थे कि अकबर ने कभी धर्म के मामलों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया। आज आप सारे धर्मवालों को एक लकड़ी से हांकना चाहते हैं। जैन और बुद्धों को एक लकड़ी से हांकना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जैनियों के कोई मत नहीं होते आप हमारे मत कौन से मानते हैं। हमारे यहां हमारे मुंहपति वाले बैठे रहते हैं और वहां पर ईश्वर का

Page No.93

(श्री मूलचन्द डागा)

नाम लिया जाता है। हमारे यहां ६० हजार की बिल्डिंग होती है और उसमें बैठ कर धर्म का नाम लिया जाता है। आप उसका अकाउन्ट लेंगे। हमारे यहां पर क्या अकाउन्ट होता है। हमारे यहां जो कोई धर्म करते है, दान करते हैं, हमारे यहां दान शब्द नहीं है। हमारे यहां धर्म का प्रयोग ऐसा है जिसका सम्बन्ध केवल निज की आत्मा से होता है। हमने हमारे साधुओं से पूछा कि आप साधु क्यों बनते है। क्या आप समाज सुधार के लिये साधु बनते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिये साधु बनते है। साधु कहते हैं, हम तुम्हारे किये साधु नहीं होते। मैं कुछ समय पहले आबू के पहाड़ों में गया। वहां एक साधु के यहां गया। साधु बोला, चले जाओ तुम्हारा क्या काम है। हमारी नजर तो किसी से लगी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member, let us confine to the provisions of this Bill, otherwise it will be very dialatory.

श्री मूलचन्द डागा : मैं, इसके लिये सुप्रिम कोर्ट के जजमेंट में मुकर्जी ने कहा है रिलिजियस के लिये आपको पढ़ कर सुनाता हूं "Religious practices or performances of the ... in person of the religion are as much as a part of religion as faith or belief in particular doctrines." जब १६५४ में सुप्रिम कोर्ट से जजमेंट हुआ और यह फैसला हुआ था कि धर्म के प्रयोग और समाधि की क्रियाएं धर्म के अंग माने जावें। अगर आप हमारे धर्म के प्रयोगों और क्रियाओं को धर्म का अंग नहीं मानते हैं तो यह ट्रस्ट बिल हमारी क्रियाओं पर बाधा डालता है। आपने हमें क्या दिया है, यह तो आपका उद्देश्य था।

"The Bill is intended to regulate and to make better provision for the administration of Hindu public trust to mean public trusts, both religious and charitable."

मैं आपसे अर्ज करूंगा माननीय उपाध्यक्ष, आप राजस्थान के किसी भी विभाग के अधिकारी से जांच कराइये। सारा गोड़वाल इलाका ले लीजिये। रनकजी का मन्दिर और तिलवाड़े का मन्दिर और जितने भी गोड़वाल के मन्दिर है, सारे मन्दिरों में जो लोग काम करते है आज तक कोई गवर्नमेंट के पास उनकी शिकायत नहीं आई होगी और मैं मानता हूँ कि जैन धर्म के फंड और संस्थाएं के बारे में न तो मठ होते हैं न अखाड़े के मल्ल होते हैं और न अखाड़े होते है और न उसमें कोई कूदने वाले होते है। वहां तो वे लोग अपनी आत्मा को सुखाना जानते हैं। वे लोग कहते हैं कि हम दौलत को चाहते नहीं। हम तो अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। आप कहते है हिन्दू ट्रस्ट बिल ला रहे है। हम लोग त्याग वृत्ति को चाहते हैं। हमारी क्रियाओं में और हिन्दू धर्म की क्रियाओं में अन्तर है। हम तो साधना करते हैं मगर एक धर्म को हम दूसरे धर्म से ऊंचा मानते हैं। और हम यह समझते हैं कि वह धर्म सबसे ऊंचा है जो किसी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं करता है। हमें तो कहते है कि हमारा एक मार्ग है। अगर ऐसा नहीं होता तो महावीर स्वामी ने अपना राजपट नहीं छोड़ा होता। हम पूजा नहीं करते। हम पूजा नहीं चाहते।

(श्री मूलचन्द डागा)

हमारे यहां जैन धर्म में ठाकुरजी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारे यहां तो इस बात का झगड़ा चलता रहता है कि कौन कितना अपने शरीर को सुखाता है। अगर आप इसके लिये कोई इस प्रकार का बिल लाते कि कोई भूखा न रहे जिस प्रकार की हमारे यहां साधू लोग दो दो साल तक भूखे रह कर अपने शरीर को सुखाते है तो मैं समझता कि आप किसी प्रकार का हमारे हित का कानून ला रहे है। जिस प्रकार सती को बन्द करने के लिये आप कानून बनाये हुए हैं। हमारे यहां तो आप देखेंगे कि लोग नंगे ही रहते है। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस मामले में न तो आपने धर्म को समझा न आप धर्म को जानते हैं। महावीर स्वामी किसी राजा के लड़के थे उन्होंने अपनी दौलत का विसर्जन करने के बाद उन्होंने यह ऐलान किया, महावीर स्वामी का एलान था जो लोग मन्दिर और मस्जिद को घर समझते है हम उसे घर नहीं समझते। हमतो कहते है कि हड्डियों और शरीर का ढांचा बिल्कुल अलग होना चाहिये। आप हिन्दू ट्रस्ट बिल के द्वारा हम लोगों पर भी इस प्रकार का कानून थोपना चाहते है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक एक बजे समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो अभी ऊपरी ढांचे की बात ही की है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। मेरा फर्ज है इस पर कुछ कहूं। आप मुझे दस मिनिट और दें। अगर इस नाम पर जो बिल बनता है तो अपना कर्तव्य अदा करने लिये कुछ कहूँगा। कल १५ मिनिट दे दिये जावें तो आभार प्रकट करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : There are two minutes more from this watch. (Pointing towards left side watch.) I disbelieve in this side (pointing towards right.)

श्री पी० के० चौधरी : विरोधी पक्ष दो मिनट लेट चलते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक किताब लिखी है। आपने यह कानून बनाया है उसमें कुछ हिस्सा बम्बई का रखा है, कुछ मध्य प्रदेश का उठाया है और कुछ राजस्थान का रखा है। आपको अगर इस प्रकार का जानवर ही खड़ा करना था, तो उसको एक गधा ही बनाना चाहिये था। तो आपने गधे के हाथी के पैर, गधे का मुंह तथा हरिण की टांगे लगा दी। इसी तरह का यह हिन्दू ट्रस्ट बिल हो गया जो बनने जा रहा है। यह जो खजाना है, दौलत है, उस दौलत पर हम आवश्यक रूप से जिसका माल नहीं है, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी और सिक्ख को मैं यह पूछना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस बिल के प्रस्तुत करने से पहले माननीय मास्टर तारासिंह ने गुरुद्वारा बिल के सम्बन्ध में जो चुनौती दी हैं उसको देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : I reserve 10 minues for you tomorrow. We now adjourn to mt tomorrow at 8 a. m.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ म० प० बुधवार दिनांक २६ अप्रेल, ५६ के ८ प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।)

Page No.95

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार २८ अप्रेल, १९५९)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	८७०५	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतें ।	
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्थापन ।		ग्राम सेविका विद्यालय, शाहपुरा में एक छात्रा की मृत्यु ।	
डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील एवं ग्राम वाइज तकावी वितरित ।		जिला भरतपुर व धौलपुर में लोहे का लघु उद्योग ।	
डोडा पोस्त के लाइसेंस ।		डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन के नाम अलोटेड सरकारी जमीन ।	
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय ।		लॉ कॉलेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति ।	
चूरू जिले के अकालग्रस्त गांवों को राहत देने संबंधी ।		राजसमन्द और रेलमंगरा तहसील में सिंचित-असिंचित भूमि ।	
आर. ए. एस. इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट ।		जयपुर में हाई, मिडिल व प्राईमरी स्कूल-भवनों की सूची ।	
जागीरदार बूसी (पाली) द्वारा जाली रेकार्ड ।		तहसील आसिन्द (भीलवाड़ा) के हरिजनों की सरकार से आर्थिक मदद की मांग ।	
कोटा डिवीजन में पाठ्य पुस्तकों की खरीद की व्यवस्था ।		अलवर ज़िला में जागीरदारों को मुआवज़ा ।	
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के मुकद्दमों की पैरवी ।		ट्रेंड अध्यापकों को एरियर ।	
राजमहल गर्ल्स हाई स्कूल, जोधपुर में फीस ।		अकाल सहायता ।	
राजगढ़ तहसील में आबादी क्षेत्र से बाहर बाड़े बनाने सम्बन्धी ।		धौलपुर के मिडिल स्कूलों के ड्राइंग व क्राफ्ट अध्यापकों का ग्रेड ।	

Page No.96

स्कम्भ | स्कम्भ

भीलवाड़ा के मरहूम जागीरदार के महलात।

सन् १६५८-५६ में आई. ए. एस. आफिसर्स के रिक्त स्थान।

भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी समितियों को भूमि का वितरण।

छोटी सादड़ी का राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय पर सरकारी खर्चा।

स्थगित प्रश्न ८७५६

त्रासणा ग्राम में लगान की वसूली।

तहसील बौली में काश्तकारों की बेदखली।

जागीरदारों द्वारा जागीरों की ग्रान्ट।

सन् १६५७-५८ में बाली तहसील में अकाल सहायता।

माउन्ट आबू पर विकास कार्य।

भीलवाड़ा तहसील में Ganverdi की बीड़।

जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १६५६-६० के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा। ८७७३

जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति १६५६-६० के निर्वाचित सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं :

जन लेखा समिति

१ श्री हरिदेव जोशी (५६)
२ श्री भवानी शंकर नन्दवाना (१७)
३ श्री भीमसेन (१६)
४ श्रीमती सुमित्रा देवी (१६५)
५ श्री श्रीमानसिंह (१६२)
६ श्री भैरोंसिंह (१४)
७ श्री विशंभरनाथ जोशी (२२)
८ श्री परसराम मदेरना (११६)
६ श्री होतीलाल (६३)
१० श्री तनसिंह (१६७)

प्राक्कलन समिति

१ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (१५१)
२ श्री जगदीश प्रसाद माथुर (६५)
३ श्री रामदेवसिंह (१३१)
४ श्री गुलाबसिंह (५२)
५ श्रीमती प्रभा मिश्रा (१२३)
६ श्री भंवरलाल शर्मा (१६)
७ श्री गनपति लाल वर्मा (४४)
८ श्री लालूराम (८४)
६ श्री पी. के. चौधरी (१२१)
१० श्री धर्मपाल पंवार (३६)
११ श्री भोलानाथ (२१)
१२ श्री गोपाललाल पुरोहित (४६)
१३ श्री लक्ष्मीचन्द (८३)

Page No.97

१४ श्री शंकरलाल (१५३)

१५ श्री गिरधारीलाल (४७)

इन समितियों का कार्यकाल १४ मई, १९५९ से प्रारम्भ होगा।

विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किये गये विधेयक। ८८७५

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :

१ राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५९

२ राजस्थान अव्यापारिक कम्पनी विधेयक, १९५९

३ राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १९५९

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५८ ८८७५

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी विचार जारी रहा। वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

१ श्री दयाकृष्ण विजय

२ श्री मुरलीधर व्यास

३ श्री भैरोंसिंह (१४)

४ श्री जनार्दनराय नागर

५ श्री पुरुषोतमलाल शर्मा

६ श्री मदनसिंह

७ श्री रामचन्द्र

बुधवार दिनांक २९ अप्रेल, ५९ की कार्य सूची।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५८

(विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२३७ का उत्तर देखिये)

योजना पर जिलेवार व्यय

क्रम संख्या	जिले का नाम	१९५८-५९ (अप्रैल से दिसम्बर तक)
१	अजमेर	२८.०५
२	अलवर	९.५४
३	भरतपुर	१८.५८
४	जयपुर	१८.१०
५	झुंझुनू	११.८९
६	सवाई माधोपुर	११.८९
७	सीकर	१०.२६
८	टोंक	१६.७५
९	बीकानेर	१६.८६
१०	चूरू	७.१४
११	गंगानगर	१३५.०९
१२	बाड़मेर	६.२५
१३	जैसलमेर	६.४४
१४	जालोर	४.३४
१५	जोधपुर	१६.६८
१६	नागौर	११.२१
१७	पाली	१७.१०
१८	सिरोही	११.२३
१९	बूंदी	१२.६३
२०	झालावाड़	९.२०
२१	कोटा	१७८.९८
२२	बांसवाड़ा	१०.३५

१	२	३
२३	भीलवाड़ा	२४.१४
२४	चित्तौड़गढ़	१६.७६
२५	डूंगरपुर	६.३३
२६	उदयपुर	४१.६०
ब	योजनाओं पर जो सब	
	राज्य के लाभार्थ खर्च	३४.८५
स	मुख्यालय पर खर्च	११.०६
द	भवन निर्माण खर्च	५२.०३
	कुल योग	७६५.८६

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२३८ का उत्तर देखिये)

सूचि विधान सभा प्रश्न सं० १६२ आर० एम० प्रश्नकर्त्ता श्री रावतराम (१४२)

क्रम सं०	नाम तहसील	कुल गांव	अकालग्रस्त घोषित किये गये गांव
१	डूंगरगढ़	९५	८८
२	सरदारशहर	१७७	१६९
३	चूरू	९१	८८
४	तारानगर	१११	११५
५	रतनगढ़	९५	२७
६	सुजानगढ़	१५५	३४
७	राजगढ़	१८७	७५
		९११	५९६

सूचि रिलीफ कार्य सन् ५७-५८ जिला चूरू

क्रम सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम कार्य	खर्चा
१	तारानगर	साहवा	खुदाई जोहड	३७१०-६१
२	,,	कैलाश	,,	१३६७-५७
३	,,	रेडी	,,	२३७-३७
४	,,	वनियाला	,,	१०६-६३
५	,,	झाडसर बडा	,,	८७०-७२
६	डूंगरगढ़	ललासर	खुदाई व मरम्मत जोहडा	१६६६-८८
७	,,	खूडसर	,,	१६६६-६२
८	,,	जयसिंहपुरा	खुदाई तालाब	१६६०-२७
६	,,	सूरजनसर	,,	१६६८-७१
१०	,,	जैतासर	मरम्मत कुंआ	४६६-५०
११	,,	गुसाईसर	मरम्मत जोहड	१०६५-४४
१२	,,	पुनरासर	खुदाई जोहड	१३८२-६३
१३	सरदारशहर	पुनसीसर	,,	६५८-००
१४	,,	बुकनसर छोटा	मरम्मत कुंआ	११६०-६१
१५	,,	बरजानसर	बनाने कुंआ	३८६६-६२
१६	,,	महरासर उपाध्यान	खुदाई जोहड	६६८-२५
१७	सुजानगढ़	माडेता		
१८	,,	लोडसर	खुदाई जोहड	१६६६-३७
१६	,,	बिलगा		
२०	राजगढ़	ढाणा	मरम्मत कुंआ	५००-००
				२६४४१-७०

Page No.102

सूचि रिलीफ कार्य सन् ४८-४९ जिला चूरू

क्रम सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	कार्य विवरण	राशी जो खर्च हुई।
१	२	३	४	५
१	चूरू	गायसर	मरम्मत कुआ	१६६६—६८
२	,,	खण्डवा पट्टा भारिया	,,	१५६८—७६
३	,,	,, ,, चूरू	,,	१५६६—६६
४	,,	देपालसर	,,	१७६६—७७
५	,,	टाढर	,,	१०००—८०
				७६६६—५०
६	राजगढ़	गालड	खुदाई जोहड़ा	५४७—८७
७	,,	दुण्डा खेडी	,,	१८७७—७६
८	,,	रतनपुरा	,,	२७७१—००
९	,,	जसवन्तपुरा	,,	११२०—८८
				६३१६—८१
१०	तारानगर	पुनरास	खुदाई जोहड़	२०७६—५०
११	,,	साल्यू	,,	७५६—८१
१२	,,	रेडी	,,	१०८१—५५
१३	,,	भाडसर बडा	,,	६६६—०४
१४	,,	सारायण	,,	२६६६—५१
१५	,,	कैलाश	,,	१८१—१६
१६	,,	रेवाना	,,	४१—७०
१७	,,	अनियाला	,,	४०४८—२५
१८	,,	नेठवा	,,	१२५२—८६
१९	,,	साहवा	,,	२६२६—६८
				१६०४०—२६

Page No.103

१	२	३	४	५
२०	रतनगढ़	सूछ	खुदाई जोहड	७५—००
२१	,,	परसमेऊ	,,	६०२—१२
२२	,,	रतनसरा	,,	६६६—५०
२३	,,	टोडा	,,	६६६—२४
२४	,,	मोतीसर	,,	१०००—००
				३६७५—८६
२५	सरदारशहर	बरजागसर	निर्माण कुंआ	५६५१—११
२६	,,	वासासर	खुदाई जोहड	२५०६—३८
२७	,,	रवेजड़ा	,,	६६७—६२
२८	,,	भिलूवास रामपुरा	,,	१३५७—५०
				१०५१८—६१
२९	डूंगरगढ	गुसाईसर बड़ा	खुदाई जोहड	४३१—३६
३०	,,	ईमासर	,,	३६५—७३
३१	,,	लखासर	,,	४७२—६५
३२	,,	पीरदेसर	,,	२७१—१२
३३	,,	जेतासर	मरम्मत कुंआ	१७७—६७
३४	,,	टुकरीयासर	त्यारी जोहड	४६१—८५
३५	,,	बेनीसर	सफाई जोहड	६११—२६
३६	,,	दुलचासर	खुदाई जोहड	१४०७—७६
३७	,,	बाडसर	,,	६६८—६२
३८	,,	बीझासर	,,	६५१—४४
३९	,,	शेहला	,,	६६८—१७
४०	,,	जोधासर	,,	६६६—६०
४१	,,	उभयसिंहपुरा	,,	३३९—५६
४२	,,	बीग्गा	कुंआ के लिए	५८५—६६
४३	,,	बीलिया	,,	१८८८—०७

Page No.104

१	२	३	४	५
४४	,,	तोमियासर	मरम्मत कुंआ	४६८—३६
				११८७४—५१
४५	सुजानगढ	मोडेता	खुदाई जोहड	३४६२—४६
४६	,,	तोडसर	,,	३६२४—६१
४७	,,	बिलना	,,	१६१०—२५
४८	,,	नेवरसर	,,	१६६०—७५
४६	,,	मुडावडी	,,	१३८३—१२
५०	,,	पारवतीसर	,,	४१०—६२
५१	,,	बापटिया	,,	५५८—५०
५२	,,	मारोठिया	,,	२३१—८७
				१३२७२—२१
			कुल योग:—	६६६२१—७६

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२४३ का उत्तर देखिये)

फीस	कक्षा ६ से ८	कक्षा ९ व १०
१ ट्यूशन शुल्क	छात्राओं से नहीं ली जाती है ।	
२ प्रवेश	नहीं	१ रू०
३ पुन: प्रवेश	८ आने	१ रू०
४ विद्यालय छोडने का सर्टिफिकेट शुल्क	८ आने	१ रू०
५ खेल शुल्क	२ प्रति वर्ष	४ रू० प्रति वर्ष
६ यूनियन फीस	नहीं	१ रू
७ रीडिंग रूम फीस	१ रू०	२ रू०
८ सोशियल गैदरिंग फीस	नहीं	१ रू०
९ परीक्षा फीस	१ रू० ८ आने प्रति परीक्षा टर्म	२ रू० प्रति परीक्षा टर्म
१० काशन फीस	नहीं	५ रू० एक बार ही लेकर पाठशाला छोडते समय लौटाई जाती है ।
११ मैगजीन फीस	१ रू० प्रति वर्ष	१ रू० प्रति वर्ष

विद्यालय की मैगजीन प्रत्येक छात्र को दी जाती है ।

ख १९५५–५६ में छात्राओं से कोई फीस नहीं ली गई। १ जनवरी ५६ को बेलन्स कुछ नहीं था। दि० १ जनवरी, ५६ से ३० जून ५७ तक का शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है।

नाम शुल्क	कुछ रकम प्राप्त हुई	व्यय	बेलेन्स
१ परीक्षा शुल्क	३४८६.०५	८२६.६७	२६५६.०८
२ खेल	२०४०.८६	३७४.२३	१६६३.६३
३ लाइब्रेरी	६५२.८६	१८१.६७	४७०.८६
४ यूनियन	६५०.२५	१७५.१८	४७५.०७
५ मैगजीन	३२१.००	४.४७	३१६.५३
६ काशन	१५६५.००	कुछ नहीं	१५६५.००
	८७४६.०२	१५६२.८२	७१८३.२०

१९५७–५८

नाम शुल्क	पूर्व का बैलन्स	प्राप्त रकम	व्यय	बैलेन्स
१ परीक्षा शुल्क	२६५९.०८	१५०४.२५	१२२८.०१	२८२९.३२
२ खेल	१६६६.६३	२३४६.००	३१०२.२४	८४४.३९
३ लाइब्रेरी व रीडिंग रूम फीस	४७०.८६	१२३६.२३	५५६.८०	११९६.१९
४ यूनियन	४७५.०७	६०७.२५	४४८.२७	६०६.१८
५ मैगजीन	२१६.५३	९६४.५३	७१५.४०	२२०.१३
६ काशन	१५९५.००	९४५.००	४८०.००	२०६०.००
७ अन्टरटेन मेंट		४८९.००		४८९.००
योग	७१८३.२०	७७७५.१३	६५३०.७२	८२३२.[illegible]

सन् ५८-५६ में फरवरी तक के आमद और खर्च का ब्योरा निम्न है:—

नाम शुल्क	प्राप्त रकम	व्यय
खेल	१६४४.६२	१५१०.८३
परीक्षा शुल्क	६३०.७५	४१६.६६
लाइब्रेरी	६२४.१२	१२६.६८
यूनियन	३६६.००	१६.१२
मैगजीन	३६१.००	१५१.६६
काशन	६६५.००	४५०.००
एन्टरटेन मेन्ट	३४६.००	२११.६६

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि उस पत्र की जो कस्तूरबा ग्राम सेविका विद्यालय शाहपुरा द्वारा प्रान्तीय समाज कल्याण बोर्ड को भेजा गया था।

आज मैं आपके सम्मुख विद्यालय में होने वाली ऐसी एक दुर्घटना का विवरण लिख रही हूं जिसके लिखने हुए मुझे बड़ा दुख है तथा लेखनी कांप रही है।

दिनांक ३.३.५६ को दिन के १बजे के लगभग विद्यालय की सारी छात्राएं नास्ता करने रसोवड़े की तरफ बैठी हुई थी। एक छात्रा छात्रावास के ऊपर के जीना के पास वाले कमरे में बीमार थी जिसका नाम गुलाब था। श्री नूरबेगम टोलो नायक होने के नाते उसे चाय देने को ऊपर गई। वहां बीमार के कमरे के पास वाले दूसरे कमरे में वह चाय बनाने लगी। इन दोनों कमरों के नीचे का कमरा बन्द था। न मालूम कैसे उस छात्रा के कपड़ों ने आग ले ली और वह बहुत बुरी तरह जल गई। उसके चिल्लाने की आवाज होने पर छात्राएं तथा स्टाफ के अन्य सब व्यक्ति भग कर गये तथा कम्बल आदि डाल कर आग बुझा दी। शीघ्र ही बीमार को शाहपुरा पहुंचाने हेतु चैयरमैन, म्युनिसिपैल्टी तथा महेश-चन्द्रजी व्यास को सूचित करा कर जीप गाड़ी मंगवाने का प्रबंध किया। यहां से तुरंत बीमार को बैलगाड़ी में लेटा कर मैं स्वयं अस्पताल के लिए रवाना हो गई। रास्ते ही में जीप गाड़ी मिली जिसमें चैयरमैन साहब तथा महेशचंद्र जी सर्वोदय कार्यकर्त्ता थे। रोगी को जीप में लेकर शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया। डाक्टर साहब ने उसे तुरन्त ' इनडोर पेशेंट' में लेकर मरहम पट्टी की तथा 'इन्जेक्शन' आदि दिये, खूब परिश्रम किया।

डाक्टर साहब के आदेशानुसार मरीज के मां बाप को भी उसी समय तार द्वारा सूचना दे दी गई। फौन द्वारा प्रान्तीय प्रतिनिधियों को भीलवाड़ा भी सूचना दे दी गई थी। परन्तु फिर भी हम लोगों को विश्वास न था कि ना मालूम भविष्य में जीवे या मरें श्रीमान् मजिस्ट्रेट साहब को बुला कर उसके बयान उनके सामने होसोहवास की हालत में दिला दिये गये। उसने स्वयं लिखवाया कि चाय बनाते समय में ना मालूम किस प्रकार जल गई। शाहपुरा से उसके बुआ वगैरह जो रिश्तेदार थे वे भी बुला लिये गये थे।

आखिर दिनांक ४.३.५६ को सुबह ४-५ बजे के लगभग वह इस संसार से चल बसी। सुबह भीलवाड़ा से प्रान्तीय प्रतिनिधि श्रीमान् केसरपुरी जो भी पधार आये थे। बाद में

पुलिस इन्सपेक्टर भी अस्पताल आये और सबके बयान लेकर फिर विद्यालय में मौका देखने को आये। साथ में श्री महेशचन्द्रजी तथा श्री केसरपुरीजी भी थे। यहां पर भी पुरी साहब के, महेशजी के तथा छात्राओं आदि के बयान लेकर वापस चले गये।

उसके मां बाप समय पर नहीं पहुंच पाये थे। अतः उसके रिश्तेदारों को कफन के लिए पचास रुपये विद्यालय से दिये गए। दफन के समय श्री केसरपुरीजी तथा श्री महेशचन्द्र जी सम्मिलित हुये थे।

दिनांक ५.६.५६ की रात को उसके माता पिता शाहपुरा पहुंचे थे। दिनांक ६ को जुम्मा होने से सेव का फातिया देने वे गये। इसलिए उस दिन वे विद्यालय में नहीं आये। दिनांक ७.३.५६. को पिता विद्यालय में आया और उसके साथ एक सर्वोदय मुस्लिम कार्यकर्ता भी था। मुझे से बातचीत की। १०–१५ मिनिट बाद वापस चला गया।

ह०; संचालिका
कस्तूरबा ग्राम सेविका विद्यालय,
बख्त विलास, शाहपुरा
(राजस्थान)

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२५० का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या ४१७ सी. एम.

प्रश्नकर्ता: श्री दयाकृष्ण विजय।

लॉ कॉलेजों के लिये चुने गये प्राध्यापकों के नामों की सूची–

१. श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य।

२. श्री सम्पतराम।

३. श्री मिलापचंद जैन।

४. श्री धर्मचंद जैन।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७५४ का उत्तर देखिये)

सूची रकम जिनको सहायतार्थ दी गई है:-

नाम ग्राम	रकम
सहाड़ी	१३.१६
विसल पुर	८५४.५०
विरामी	१६२२.८१
	कुल २४६०. ५० न० पै०

बागड़ा २८३५६

सन् १९५७-५८ के वर्ष में ऐसी. बिल नं० १८ दिनांक २५-९-५८ द्वारा १५००) अकाल तकावी ऋण के रूप मे वितरित किये उसकी सूची:-

क्रमांक नाम	ग्राम	रकम
१. लालसिंह आत्मज जुगारसिंह	आगरी.	३००)
२. परतापा आत्मज लच्छा	पराखिया	२००)
३. माना आत्मज दूदो	बाली	५००)
	योग.	१०००)

टिप्पणी:—अवितरित रकम जो रु० ५००) जो चालान — ५००)

क्रमांक ६६६ दिनांक ३१-३-५८ द्वारा बाली सब ट्रेजरी में जमा कराई। — १५००)

सन् १९५७-५८ के वर्ष में ऐसी. बिल नं० ३ दिनांक २६-३-५८ द्वारा ६५०) अकाल तकावी ऋण के रूप में वितरित किये गये उसकी सूची।

१. प्रेमसिंह आत्मज आनन्दसिंह	तखतगढ़	१००)
२. ताराचंद	तखतगढ़	१००)
३. दाया आत्मज मघा	,,	१००)
४. शेषमल आत्मज रूगनाथ	,,	१००)
५. आजाद खां आत्मज अकाम	बाली	१००)
६. अमरा आत्मज सवला	तखतगढ़	१००)
७. भूरा खां ,,	,,	१००)
८. गनीखां ,,	,,	१००)
९. सतारखां ,,	,,	१००)
	योग-	९००)

टिप्पणी:—अवितरित रकम रु० ५०) सब ट्रेजरी बाली में चालान — ५०)

नं० ३०२, ३१-३-५८ द्वारा जमा कराई। — ९५०)

हस्ताक्षर:—

तहसीलदार बाली.

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६१ का उत्तर देखिये)

Statement showing the development works carried out at Mt. Abu from 1957 to 1958.

Education

(1) Establishment of Youth Hostels.

(2) Taking over of the Municipal High School

BUILDINGS & ROADS.

(1) Improvement & widening of Roads of Mt. Abut	Completed
(2) Improvement of approach road going to Nakki lake & layout of Terres Garden.	In progress
(3) Improvement of the stair of Adhar Devi Temple	Completed
(4) Road from Delwara to Achalgarh.	-do-
(5) Improvement of road going to Guru Mukh	In progress
(6) Construction of buildings	Completed

AGRICULTURE.

(a) Minor Irrigation.

(i) Construction of 18 wells.

(ii) Advance of loan to cultivators for installation of Persian wheels.

(b) Distribution of seed and fertilizers.

(i) Wheet Seed 500 mds.

(ii) Fertilisers. 30 mds. and 30 seers.

(c) Fruit Development.

(a) Advance of loan of Rs. 2300/- to 3 cultivators for laying out orchard in 8 acres.

(d) Land Development.

(a) Mer Bandi was done in 150 acres and 8 acres of land was brought under cultivation.

(b) Plant protection measures were undertaken in 600 acres-

COOPERATION.

Establishment of Co-operative Soeieties.

(a) Tar Gur Production Cooperative Society Ltd. Abu — Established.

(b) Match Cooperative Society, Abu

(c) Rana Multipurpose Cooperative Society, Abu (Being established

(d) Milk Productian Cooperative Society (

INDUSTRIES.

(1) Handloom Sales Depat. (Established.

(2) Silk Production Centre. (

TOURIST.

(1) Boating Facilities.

(2) Purchase of Motor Boat,

(3) Repairs of Ghat,

(4) Providing Boats at Tarivar Tal.

(5) Completion of work of Motor Boat & Ghat.

(6) Purchase of four Shikres.

(7) Purchase of small Boats for Tarival Tal.

(8) Purchase of life Belt.

(9) Light at the Sunset Point & Nikital. Completed.

(10) Light in Treses.

(11) Light at New Park.

(12) Flush latrine at Naki Lake.

(13) Light at the Tarrest garden.

(14) Cement Plastering of the Terival Tal Bundh

(15) Letrine for females at the Terival Tal.

(16) Providing chairs and new tarrest at the Sunset point

(17) Providing Urinals at the Sunset point.

FORESTS.

(1) Establishment of a Nursery.

(2) Creation of Plantation over 100 acres in following mansoon.

(3) Cultural operation over 100 acres of bamboo forests..

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ का उत्तर देखिये)

प्रश्न के आईटम नं० ४ व ५ से सम्बन्धित सूचि

क्रमसं०	नाम सदस्य मय पते के (समिति के सदस्य)	भूमि हीन है या नहीं
१	श्री केला पिता गुलाब बलाई स्वरूपगंज	भूमि हीन
२	श्री मांगीलाल वल्द रामसिंह गुवारडी	भूमि है
३	श्री गोपी वल्द देवा गुजर गुवारडी	भूमिहीन
४	श्री रामलाल वल्द श्री किशन गुजर गुवारडी	भूमिहीन
५	श्री भवाना वल्द देवा गुजर गुवारडी	भूमिहीन
६	श्री रूपा वल्द धौकल गुजर गुवारडी	भूमि है
७	श्री भैरू वल्द चतरभुज सुथार गुवारडी	भूमिहीन
८	श्री गोपी वल्द गोविन्दराम गुजर गुवारडी	भूमि है
९	श्री सवाई राम वल्द पोखर गुजर गुवारडी	भूमि है
१०	श्री मांगीलाल वल्द बागा गुजर गुवारडी	भूमिहीन
११	श्री हरिसिंह वल्द रडमलसिंह राजपूत गुवारडी	भूमिहीन
१२	श्री सूरजमल वल्द छीतरनायक गुवारडी	भूमि है
१३	श्री रामचन्द्र वल्द छोटु ब्राह्मण गुवारडी	भूमि है
१४	श्री कासम वल्द कालु पीनारा स्वरूपगंज	भूमि है
१५	श्री जमना प्रसाद वल्द केसरीमल स्वरूपगंज	भूमि है
१६	श्री भंवर लाल वल्द भोजराज स्वरूपगंज	भूमि है
१७	श्री किशन वल्द धौकल गुजर गुवारडी	भूमि हीन
१८	श्री भंवरलाल वल्द रंगलाल पुर	भूमिहीन
१९	श्री मणीशंकर वल्द रामचन्द्र पुर	भूमिहीन
	रजिस्ट्री के बाद बने सदस्य	
२०	श्री किशन लाल कुमावत ग्रा० हमीरगढ़	भूमिहीन
२१	श्री मांगीलाल वल्द डालसिंह	भूमिहीन

२२	श्री नोला वल्द गंगाराम गुजर स्वरूपगंज	भूमिहीन
२३	श्री गंगाराम वल्द प्रताप चमार स्वरूपगंज	भूमिहीन
२४	श्री जगता वल्द प्रताप चमार स्वरूपगंज	भूमिहीन

प्रश्न के आईटम नं० ६ सम्बन्धित सूचि (ब)

सं०	नाम काश्तकार जिनको भूमि जुलाई ५८ में अलाट हुई है	तादाद भूमि	नाम सदस्य समिति	रिश्तेदारी
१	श्री शिवकुमार वल्द चन्द्रशेखर सा० भीलवाड़ा	१५) बीघा		
२	श्रीदेवी वल्द सुरजमल नायक गुवारडी	६) ४बीघा	श्री सूरजमल वल्द छीतर नायक गुवारडी	लड़का
३	श्री मांगीया वल्द किसना रेगर गुवारडी	६॥)१बीघा		
४	श्री लादुलाल वल्द प्यार चंद दर्जी स्वरुपगंज	७।)३ बीघा		
५	श्री लादुलाल वल्द जीधा चमार गुवारड़ी	५)२ बीघा		
६	श्री गंगा वल्द श्रीराम चमार स्वरुपगंज	६।।।)१बी०.	श्री गंगा वल्द श्रीराम	खुद के नाम
७	श्री नोला वल्द गंगा रेगर स्वरुपगंज	७)बीघा	श्री नोला वल्द गंगा रेगर	खुद व भाई के नाम श्री भागीया
८	श्री छंगा वल्द खुमा भील गुवारडी	५॥)२ बीघा		
९	श्री बगता वल्द श्रीराम चमार स्वरुपगंज	६।)२ बीघा	श्री बगता वल्द श्रीराम	खुद के नाम
१०	श्री हरिशंकर वल्द रामचंद्र चोकी स्वरुपगंज	८।) बीघा		
११	श्री उगमा वल्द गणेश चोकी स्वरुपगंज	५।।।) ४) बीघा		
१२	श्री नाथुलाल वल्द किसनलाल हमीरगढ़	६।) बीघा	श्री किसनलाल कुमावत	लड़के के नाम
१३	श्री उंकार वल्द रामसिंह दरोगा गुवारडी	३)१ बीघा	श्री मांगीलाल वल्द रामसिंह दरोगा	भाई के नाम
१४	श्री नन्दलाल वल्द मांगीलाल चोकी स्वरूपगंज	१०।।।)३		

१	२	३	४	५
१५	श्री नारू वल्द कालु भील गुवारडी	६)२ बीघा		
१६	श्री मांगीलाल वल्द लालसिंह राजपूत हमीरगढ़	५।।।) बीघा	श्री मांगीलाल वल्द लालसिंह	खुद के नाम
१७	श्री मणिशंकर वल्द रामचंद्र ब्राह्मण पुर	६।।।)२ बीघा		
१८	श्री मांगीया वल्द गांगा रेगर स्वरुपगंज	६।)१ बीघा		
१९	श्री बालु वल्द भैरु खाती स्वरुपगंज	१०) बीघा	श्री बालु भैरू वल्द चतुरभुज	सदस्य के लड़के
२०	श्री केला वल्द गुलाब बलाई स्वरुपगंज	७।)१ बीघा	श्री केला वल्द गुलाब बलाई	खुद के नाम
२१	श्री प्रेमनारायण वल्द भंवरलाल ब्राह्मण सा० स्वरुपगंज	६।।) बीघा	श्री भंवरलाल वल्द मेघराज	सदस्य का लड़का
२२	श्री मांगु वल्द बागा गुजर गुवारडी	६।।)१ बीघा	श्री मांगु वल्द बागा गुजर गुवारडी	खुद के नाम
२३	श्री रामलाल वल्द किसना गुजर गुवारडी	४।।।)२ बीघा	श्री रामनाथ वल्द किसना गु०	खुद के नाम
		१७२'।) बीघा		

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ का उत्तर देखिये)

List of candidates recommended by the R.A.S. Emergency Recruitment Board.

1. Shri Ganesh Dutt Chhangani.
2. Shri Harish Chandra Mangal.
3. Shri N. N. Bhatnagar.
4. Shri Gopal Lal Sharma.
5. Shri Jagdish Kishore Sharma.
6. Shri Davendra Singh Saktawat.
7. Shri Babu Prasad Mathur.
8. Shri Sukhdeo Arya.
9. Shri Bhagwat Swarup Mathur.
10. Shri Om Prakash Joshi.
11. Shri Arjun Raj Bhandari.
12. Shri Guman Singh.
13. Shri Gopal Singh.
14. Kumari Mukulika Sen.
15. Shri Ram Nath Kaul'
16. Shri Jaswant Mal B. Karnawat.
17. Shri Dipendra Nath Upadhya.
18. Shri Brahma Prakash Bhargava.
19. Shri C. L. Kanwaria.
20. Shri Amer Chand Sethi.
21. Shri Vishunu Dutt Sharma.
22. Shri Sarda Prasad Saxena.

23. Shri Ganesh Narain Vyas.
24. Shri Laxmi Narain Sharma.
25. Shri Ishwari Singh Agre.
26. Shri Padam Chand Singhi.
27. Shri Brij Kishore Sharma.
28. Shri Raghunandan Prasad.
29. Shri Kishori lal
30. Shri Radhey Shyam Dadheech
31. Shri Mahendra Kumar Vyas.
32. Shri Bal Krishna Sharma.
33. Shri Hari Shanker Durga Shanker Dave.
34. Shri Hari Kumar Sharma.
35. Shri Bhawani Singh.
36. Shri Hira Lal Kothari.
37. Shri Jagmal Singh.
38. Shri Mahmud.
39. Shri Bal Krishna Sharma.
40. Shri Anand Kishore Pareek.
41. Shri N. M. Kothari.
42. Shri Taru Lal Dashora.
43. Shri Keshav Prasad Pande.
44. Shri Surendra Nath Sharma.
45. Shri Rajeshwar Dayal Mathur.
46. Shri Kunj Behari Sharma.
47. Shri Yashwant Singh Mehta.
48. Shri Liladhar Chaturvedi.
49. Shri Tej Narain Sharma.
50. Shri Satya Kirti Sharma.
51. Shri Laxmi Narain Srivastava.

52. Shri Kalyan Lal Sharma.
53. Shri Ram Sharan Sharma.
54. Shri Dau Lal Rohiwal,
55. Shri Ram Chand Purohit.
56. Shri Sri Krishana Verma.
57. Shri Narendra Mal Mehta.
58. Shri Amrit Lal H. Gandhi.
59. Shri Sri Krishna Tak.
60. Shri Ghanshyam Das Bhardwaj.
61. Shri Radhe Kant Sharma.
62. Shri Kalyan Singh.
63. Shri Bhanwar Lal Verma.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, २८ अप्रेल, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
८७०५	अन्तिम से २	iocation	location
८७१३	८	produ ctlon	production
,,	अन्तिम	थां उजेन्ड्स में	थाउजेन्ड्स में
८७३४	११	श्री पूनमचन्द विश्नोई	श्री पूनमचन्द विश्नोई
८७४७	२	मेजा	भेजा
८७५३	अन्तिम से ६	श्री रामचद्र	श्री रामचन्द्र
८७५८	शीर्षक	तांराकितं प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर (स्थगित)
८७५९	१	श्री तेजराम गहलोत	श्री तेजाराम गहलोत
८७६७	प्रथमत :	(श्री पी. के चौधरी)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
६७६९	८	Nothing	Nothing
८७७४	अन्तिम से १०	श्री भौलानाथ	श्री भोलानाथ
८७९३	शीर्षक	विधेयक, ५९	विधेयक, ५८
८७९५ से ८७९८	शीर्षक	राजस्थान अनुशासिक कार्यवाही विधेयक, ५९	राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५९
८८००	१५	तपश	पेश
८८२७	शीर्षक	२८ अप्रेल, ३९	२८ अप्रेल, ५९
,,	५	मिलएप्रोप्रियेशन	मिसएप्रोप्रियेशन
८८४८	अन्तिम से ४	rejevenation	rejuvenation
८८५१	११	not lle	not the
८८५३	१	श्री जनादिर्जराय नागर	श्री जनार्दनराय नागर
८८५७	५	सम्प्रदाव	सम्प्रदाय

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
८८६५	२	एयूज्केशन,	एजूकेशन
८८६७	१	श्री नसिंह	श्री मदनसिंह
८८६८	८	कग्रेसी	कांग्रेसी
८८८८	१	सदप्य	सदस्य
८८६२	अन्तिम से ४	to mt	to meet